अ नु क्र म णि का

			पृष्ठ
	प्रस्तावना		पृष्ठ
अध्याय–1	1.	लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि	1-2
	2.	प्रशासनिक स्थिति एवं बजट	2-4
	3.	अन्वेषण की अधिकारिता	5-6
	4.	जांच व अन्वेषण करने की प्रक्रिया	6-7
	5.	प्रचार–प्रसार	7-8
	परिशिष्ट–ए से परिशिष्ट–ए–1		9-12
अध्याय–2	**निष्पादित कार्य**		
	1.	समग्र कार्य	13
	2.	प्रारंभिक जांच के प्रकरण	13-14
	3.	अन्वेषण के प्रकरण	14
	4.	अनुशंसा के प्रकरण	14
	5.	अनुतोष के प्रकरण	14-15
	परिशिष्ट–1 से 8		16-26
अध्याय–3	**अनुशंसा के प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण**		27-32
अध्याय–4	**अनुतोष के प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण**		33-46
अध्याय–5	**भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की शिकायतों पर विभागों की असंवेदनशीलता**		47-64
अध्याय–6	**लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता**		
	1.	लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे	65-70
	2.	लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जावे	70-80
	3.	अन्वेषण एजेन्सी प्रदान की जावे	81-83
	4.	सुशासन के लिए सुझाव	83-84
अध्याय–7	**लोकायुक्त/लोकपाल/उप–लोकायुक्त/ऑम्बुड्समैन सम्मेलन**		85
	लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदास्थापना अवधि		86
	जिलास्तरीय अधिकारियों व गैरसरकारी संगठनों की बैठकों के छाया चित्र		A to D

परिशिष्ट अनुक्रमणिका

परिशिष्ट		परिशिष्ट का विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय-1	A	बजट वर्ष 2008-2009	9
	A-1	अधिनियम की धारा 2(i)(iv)(d) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं	10-12
	1	1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के दौरान् प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों तथा लंबित शिकायतों को दर्शित करने वाला	16
	2	1.4.1979 से 31.3.2009 की कालावधि के दौरान् प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों तथा लंबित रही शिकायतों को दर्शित करने वाला	17
	3	1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के दौरान् संस्थित प्रारंभिक जांच प्रकरणों, निपटाये गये प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों को दर्शित करने वाला विवरण	18
	4	1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के दौरान् संस्थित अन्वेषण प्रकरणों, निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों तथा लंबित रहे अन्वेषण प्रकरणों को दर्शित करने वाला विवरण	19
	5	1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को प्रेषित प्रतिवेदनों को दर्शित करने वाला विवरण	20
	6	1.4.2004 से 31.3.2008 की कालावधि में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को प्रेषित प्रतिवेदनों तथा उन पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शित करने वाला विवरण	21-24
v/;k;&2	7	1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के दौरान् लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से दिलाये गये विभागवार अनुतोष प्रकरणों को दर्शित करने वाला विवरण	25

	8	वर्ष 1984-85 से 31.3.2009 की कालावधि के के दौरान् दिलाये गये अनुतोष के प्रकरणों को दर्शित करने वाला तुलनात्मक चार्ट	26

प्रस्तावना

यह 24वां वार्षिक प्रतिवेदन मेरे कार्यकाल का दूसरा प्रतिवेदन है जो कि 1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि में मेरे द्वारा संपादित किये गये कार्य के संबंध में है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में 1357 परिवादों का निपटारा किया गया, 67 प्रकरणों में अनुतोष दिलाया गया, 24 नये प्रकरणों में प्रारंभिक जांच व 17 नये प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ किया गया तथा 26 प्रारंभिक जांच व 4 अन्वेषण प्रकरणों का निपटारा किया गया । इसका विस्तृत विवरण अध्याय-2 ''निष्पादित कार्य'' में दिया गया है ।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में बहुत से ऐसे मामले देखने में आये हैं जिनमें इस सचिवालय के निर्देशों के बावजूद भी न तो तत्परता से जांच की गई और न ही इस सचिवालय द्वारा मांगी गई टिप्पणी समय से प्रेषित की गई । कई प्रकरण ऐसे भी देखने में आये जिनमें आरोप प्रमाणित हो जाने के बावजूद भी निर्णय लेने में अनावश्यक विलम्ब किया गया, मामले को एक-दूसरे पर टाला गया व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कई वर्ष तक पेंशन व अन्य बकाया देय राशि का भुगतान नहीं किया गया । ऐसे मामले कुशासन की देन हैं । कुशासन व भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । लोगों का कानून के शासन में विश्वास दृढ़ हो, इसके लिये भ्रष्टाचार, पदीय दुरूपयोग व अकर्मण्यता की शिकायतों पर तत्परता से प्रभावी कार्रवाई किये जाने व दोषी लोकसेवक को नियमानुसार समुचित रूप से तत्काल दण्डित किये जाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग की शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई होते हुए दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि दोषी लोकसेवक को मिलने वाला दण्ड । प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुछ ऐसे प्रकरण देखने में आये हैं जिनमें लोकसेवकों के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप प्रमाणित पाये गये, परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपों की गंभीरता के अनुपात में उन्हें दण्ड नहीं दिया गया। इस तरह की शिकायतें कम से कम हों, इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, प्रत्येक कार्य को निपटाने की अवधि तय की जानी चाहिए व राजकीय कार्यों में अधिकतम पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए और अधिकाधिक कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

मैंने आरंभ से ही यह अनुभव किया है कि इस संस्था की विद्यमानता एवं कृत्यों संबंधी प्रचार के माध्यम से जनसामान्य में यह चेतना लाई जा सकती है कि हमारे राज्य में लोकसेवकों/लोककृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार व पदीय दुरूपयोग की शिकायतों की जांच करने के लिए लोकायुक्त सचिवालय के रूप में एक स्वतंत्र व उच्च स्तरीय संस्था विद्यमान है जहां वे भ्रष्टाचार व पदीय दुरूपयोग की शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं । इस दिशा में मेरे द्वारा विभिन्न जिलों में जाकर जिलास्तरीय अधिकारियों एवं गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन कर उनमें लोकायुक्त संस्था के महत्व, अधिकारक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई तथा सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से आम लोगों को इस संस्था के बारे में समुचित जानकारी देने आग्रह किया गया । परन्तु मेरा मानना है कि संस्था के प्रचार-प्रसार का कार्य सतत् रूप से किये जाने की आवश्यकता है ।

इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार इस सचिवालय में एक जनसम्पर्क अधिकारी के नवीन पद का सृजन करें एवं आवश्यक बजट आवंटित करे।

हमारे राज्य में लोकायुक्त संस्था को स्थापित हुए लगभग 36 वर्ष हो चुके हैं । अब समय आ गया है कि सरकार यह देखे कि जिस प्रयोजन के लिए 1973 का कानून बनाकर यह संस्था सृजित की गई थी, उसे प्राप्त करने के लिए क्या कानून में संशोधन की आवश्यकता है ? यह उल्लेखनीय है कि प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा प्रथम उप-लोकायुक्त श्री के.पी.यू.मेनन से लेकर लगभग सभी लोकायुक्तों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों व पत्रों के माध्यम से सरकार को इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को समुचित रूप से संशोधन किये जाने के सुझाव दिये गये हैं।

मेरे द्वारा भी प्रस्तुत 23वें वार्षिक प्रतिवेदन में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में कतिपय संशोधन किये जाने के सुझाव दिये गये थे । मुख्यत: वे सुझाव निम्नवत् हैं :-

- लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे,
- 'लोकसेवक' की परिभाषा व्यापक बनाई जावे,
- लोकायुक्त की पदावधि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त की भांति छ: वर्ष की जावे,
- पांच वर्ष पूर्व की शिकायत पर भी संज्ञान लिये जाने की अधिकारिता दी जावे,
- लोकसेवकों को भी लोकायुक्त को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी जावे,
- शिकायत के समर्थन में शपथ प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता समाप्त की जावे,
- अन्वेषण की प्रक्रिया लोकायुक्त के विवेकाधिकार पर छोड़ दी जावे,
- तलाशी व जब्ती की शक्तियां दी जावे,
- सिफारिश की पालना अनिवार्य की जावे,
- भारत के संविधान के पार्ट VI के चैप्टर VI में यथापरिभाषित अधीनस्थ न्यायालय के किसी न्यायिक अधिकारी के अलावा अन्य सभी पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध अन्वेषण किये जाने की अधिकारिता दी जावे,
- लोकसेवकों/लोककृत्यकारियों (public functionaries) द्वारा लोकायुक्त को अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया जावे, एवं
- अंतरिम सिफारिश किये जाने की अधिकारिता दी जावे ।

प्रतिवेदन में अन्वेषण कार्य हेतु एक अन्वेषण एजेन्सी व पर्याप्त स्टाफ प्रदान किये जाने का भी सुझाव दिया गया था । विकल्प में यह सुझाया गया था कि यदि इतनी बड़ी संख्या

में संशोधन किया जाना व्यावहारिक न हो तो आठवें अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त सम्मलेन 2004 देहरादून की सिफारिशों के अनुरूप सभी राज्यों में एकसमान लोकायुक्त विधि हो, इस उद्देश्य से लोकायुक्तों द्वारा बनाये गये *'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 2005'* के अनुसार एक नवीन लोकायुक्त अधिनियम बनाया जाकर वर्तमान अधिनियम को उससे प्रतिस्थापित (substitute) किये जाने पर विचार किया जावे । परन्तु, अभी तक किसी भी सुझाव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है । इस प्रतिवेदन में उक्त सभी सुझावों को पुनः दोहराया जा रहा है ।

यह संस्था सीमित विधिक प्रावधानों व संसाधनों के बावजूद भ्रष्टाचार व पदीय दुरूपयोग तथा अकर्मण्यता की शिकायतों पर कार्रवाई कर सुशासन प्रदान करने के सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान कर रही है, परन्तु मैं व्यक्तिशः यह महसूस करता हूँ कि मेरे द्वारा और मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों के अनुसार लोकायुक्त अधिनियम में जब तक आवश्यक संशोधन नहीं किये जाते हैं व अलग व स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान कर इस संस्था को मजबूत नहीं बनाया जाता है तब तक इस संस्था को अपने व्रत (Misson) में पूर्णरूप से सफलता प्राप्त करने में कठिनाई बनी रहेगी ।

आशा है सरकार अब उपर्युक्त प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों पर विचार कर उन पर शीघ्र कार्रवाई करेगी।

(जी.एल.गुप्ता)
लोकायुक्त

अध्याय-1

लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि

लोकायुक्त संस्था की अवधारणा की कल्पना सर्वप्रथम स्केण्डीनेवियन देशों में की गई। आधुनिक ऑम्बुड्समैन की जड़ें स्वीडन के जस्टिस ऑम्बुड्समैन (ऑम्बुड्समैन फोर जस्टिस) में ढूँढी जा सकती हैं, जहां इस संस्था की स्थापना सन् 1809[1] में की गई थी । स्वीडिश शब्द 'औम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्बता, अकुशलता, अपारदर्शिता एवं स्थिति के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया है । यह संस्था 20वीं शताब्दी में तब तक विस्तार नहीं पा सकी जब तक कि स्केण्डिनेवियन देशों -फिनलैण्ड (1919), डेनमार्क (1955) एवं नॉर्वे (1962) में इसे नहीं अपना लिया गया । ऑम्बुड्समैन संस्था की लोकप्रियता 1960 के दशक के पूर्व में तब काफी बढ़ी जब राष्ट्रमण्डल एवं अन्य यूरोपियन देशों में इसकी स्थापना की गई । उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैण्ड (1968), यूनाइटेड किंगडम (1967), अधिकतर कनाडियन प्रदेश (1967), तन्जानिया (1968), इजराइल (1971), प्यूर्टो रिको (1977), ऑस्ट्रेलिया (1977 संघीय स्तर पर एवं 1972-1979 राज्य स्तर पर), फ्रांस (1973), पूर्तगाल (1975), ऑस्ट्रिया (1977), स्पेन (1981) एवं नीदरलैण्ड (1981) । इसके अतिरिक्त 7 ऑम्बुड्समैन के कार्यालय अफ्रीका में, 17 एशिया में (भारत को छोड़ कर), 11 ऑस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक में, 10 कैरेबियन एवं लैटिन अमेरिकन देशों में, 41 यूरोपियन देशों में, 6 कनाडा में एवं 10 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किये गये। इतने देशों में ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना ने जवाबदेह, पक्षपातरहित, पारदर्शी सुशासन प्रदान करने में इसके महत्व को साबित किया है ।

उपर्युक्त परिदृश्य में एक ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता महसूस की गई जिसके द्वारा किया गया प्रशासन का पुनरावलोकन सस्ता, शीघ्र, स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित हो । यह एजेन्सी स्केन्डीनेवियन एवं अन्य देशों में प्रचलित **ऑम्बुड्समैन** और भारत में कई राज्यों में स्थापित **लोकायुक्त संस्था** के सिवाय दूसरी कोई नहीं हो सकती । श्री पी.वी.गजेन्द्रगढ़कर, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पुस्तक *''ला, लिबर्टी एण्ड सौशल जस्टिस''* में यह बात दृढ़तापूर्वक कही है कि जब तक हम ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधान मण्डलीय प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकेगा ।

लोकायुक्त संस्था एक प्रभावकारी एवं ऐसा दक्ष प्रशासन, जो भ्रष्टाचार एवं अनुचित आचरण से मुक्त हो, दिलवाना संभव करती है । मूलतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग करने की आदत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, और साधारण व्यक्तियों,

1 इन्टरनेशनल ऑम्बुड्समैन इन्स्टीट्यूट, एडमॉन्टन अलबर्टा, कनाडा द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

जिनके पास सरकारी या राजनीतिक दबाव या पहुंच नहीं होती, को न्याय दिलाने के लिये लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त संस्था का सृजन विधानमण्डल के अधिनियम के द्वारा किया गया है ।

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने भी ***''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस आफ सिटिजन्स ग्रीवेन्सेज''*** विषयक अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार की व्याप्ति, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदन शून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले जन आक्रोश पर विचार किया और जन अभियोग निवारण के लिये तथा दुर्व्यवस्था से उद्भूत हुई भ्रष्टाचार या अन्याय का अधिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिये लोकपाल तथा लोकायुक्त की कानूनी संस्थाओं की सिफारिश की थी । कई बार के प्रयासों के बावजूद अभी तक भी केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था की स्थापना नहीं हो पाई है । द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने भी अपनी चौथी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने की अनुशंसा की है ।

जहां तक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का प्रश्न है, सबसे पहिले लोकपाल संस्था की स्थापना उड़ीसा राज्य में वर्ष 1970 में की गई थी, परन्तु 1995 में लोकपाल अधिनियम पुनः प्रवृत किया गया। महाराष्ट्र में वर्ष 1972, बिहार में वर्ष 1974, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977, मध्य प्रदेश में वर्ष 1981, आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1983, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1983, कर्नाटक में वर्ष 1984, आसाम में वर्ष 1986, गुजरात में वर्ष 1988, दिल्ली में वर्ष 1995, पंजाब में वर्ष 1996, केरल में वर्ष 1998 एवं हरियाणा में वर्ष 1997 में इस संस्था की स्थापना की गई । हरियाणा राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को वर्ष 2002 में पुनः प्रवृत्त किया गया । छत्तीसगढ़ व उत्तराखण्ड राज्य में भी वर्ष 2002 में इस संस्था की स्थापना की गई। पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2007 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की जा चुकी है।

हमारे राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (1963) ने अपने प्रतिवेदन में 'औम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी जिसका कार्य सरकार की कार्यपालिक कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही या तो अवैध हो या अन्यायपूर्ण, मनमानी अथवा विद्यमान नियमों या स्थापित पूर्वोदाहरणों की घोर उल्लंघनकारी तथा उन मामलों, जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट अभिकथन सन्निहित हो, में अन्वेषण करना हो । उसकी अधिकारिता का प्रसार समस्त मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों, उप मंत्रियों, सिविल सेवकों तथा राज्य की सेवा में कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के, जहां तक उस हैसियत में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का संबंध है, कार्यो तक होना था, परन्तु विधि न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्व कोई क्षेत्राधिकार नही था । यद्यपि जन अभियोगों की देखभाल के लिये राज्य में जन अभियोग निराकरण विभाग का एक अलग तंत्र पहले से ही विद्यमान था, किन्तु सरकार के विद्यमान तंत्र में किसी ऐसी व्यवस्था का उपबन्ध नहीं था, जिसमें मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की शिकायतों की जांच और अन्वेषण किया जा सके ।

अतएव, जनता में विश्वास और संतोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये और स्वच्छ, ईमानदार और सक्षम प्रशासन प्रदान करने के लिये मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध, पद के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार, आदि की शिकायतों को देखने और उनमें अन्वेषण करने के लिये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया ।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये **1973 का राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश सं. 3 24 जनवरी, 1973** को प्रख्यापित किया गया था तथा 25 जनवरी, 1973 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । यह अधिसूचित किया गया था कि यह अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत होगा । इस अध्यादेश को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी । यह अधिनियम भी उसी तारीख से अर्थात् 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत हुआ समझा गया जिस तारीख को अध्यादेश प्रवृत हुआ था ।

1.2 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रशासनिक स्थिति निम्नानुसार है :-

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या		कुल स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		स्थाई	अस्थाई		
1.	सचिव	1	–	1	–
2.	उप सचिव	1	–	1	–
3.	सहायक सचिव	1	–	1	1
4.	निजी सचिव	2	–	2	–
5.	अनुभागाधिकारी	2	–	2	–
6.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	–	1	–
7.	निजी सहायक	2	–	2	–
8.	आशुलिपिक	1	–	1	1
9.	सहायक	1	–	1	–
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	–	1	–
11.	वरिष्ठ लिपिक	3	–	3	–
12.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	–	1	–
13.	कनिष्ठ लिपिक	7	–	7	–
14.	जमादार	2	–	2	–
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	–	10	1
16.	तामील कुनिन्दा	2	–	2	–

लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है । इस अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों एवं सेवा शर्तो के संबंध में कोई भी निर्णय लोकायुक्त से परामर्श किये जाने के पश्चात् ही लिया जा सकता है। धारा 14 निम्नवत् है:-

> ''14. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों का कर्मचारीवर्ग--(1) इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने क लिये, लोकायुक्त, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा या किसी उप-लोकायुक्त को अथवा लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी नियुक्तियां करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।
>
> (2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी कि लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात् विहित की जायं।''

बजट निर्णायक समिति वर्ष 2006-2007 ने बिना लोकायुक्त से परामर्श प्राप्त किये ही दो स्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों को समाप्त कर दिया । यह उल्लेखनीय है कि **उक्त अवधि में लोकायुक्त का पद रिक्त था** । इससे पूर्व भी बजट निर्णायक समिति द्वारा वरिष्ठ निजी सहायक एवं सहायक के पदों को लोकायुक्त के पदासीन होते हुए भी बिना पूर्व में परामर्श किये ही समाप्त कर दिया गया था, परन्तु बाद में पत्राचार किये जाने पर सरकार के पत्र क्रमांक: एफ.6(8)कार्मिक-क-3/शिकायत/विभाग/99 जयपुर दिनांक 7.5.2001 द्वारा पुनर्जीवित किया गया।

बजट निर्णायक समिति की उक्त कार्रवाई उक्त वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है । समिति को इस सचिवालय के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उक्त वैधानिक प्रावधान को दृष्टिगत रखना चाहिए ।

उक्त समाप्त किये गये दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को पुनर्जीवित करने हेतु पिछले 23वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया जा चुका है, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

राज्य सरकार को चाहिए कि **वह अब शीघ्र ही धारा 14 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उक्त समाप्त किये गये दो स्थाई चतुर्थ श्रेणी के पदों को पुनर्जीवित करने का आदेश प्रसारित करे** और वित्त विभाग व बजट निर्णायक समिति को यह स्थाई आदेश प्रदान करे कि वह लोकायुक्त संस्था के कर्मचारीवर्ग के संबंध में कोई भी निर्णय बिना लोकायुक्त

के पूर्व परामर्श के न ले ताकि लोकायुक्त सचिवालय की स्वतंत्र संस्था की छवि को कोई आंच न आये और आम लोगों का इस संस्था में विश्वास बना रहे ।

वर्ष 2008-2009 का बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-ए** में दिया गया है ।

1.3 अन्वेषण की अधिकारिता

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी गई है । अधिनियम की धारा 2(i) में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्न के विरूद्ध अन्वेषण करने की अधिकारिता है :-

1. राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य (मुख्य मंत्री के अतिरिक्त, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप-मंत्री,
2. राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति,
3. जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 37) के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष,
4. नगरपालिका परिषद का प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन या उसके द्वारा गठित या गठित समझी गयी किसी समिति का अध्यक्ष,
5. प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, अर्थात्:-
   (क) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राज पत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाय,
   (ख) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),
   (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यूनत राज्य सरकार द्वारा धारित है,

(घ) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है ।

अधिनियम की धारा 2(i)(iv)(a) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं **परिशिष्ट-'ए-1'** में दी गई हैं ।

1.4 जांच व अन्वेषण करने की प्रकिया

''दोषी लोकसेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण'' के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए यह सचिवालय लोकसेवकों के विरूद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास करता है । परीक्षण के पश्चात् यदि शिकायत में लगाये गये आरोप अधिक स्पष्ट न हों, तो उसमें लगाये गये आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं और यदि मामला प्रथम दृष्टि में ही प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रतीत हो, तो उसमें प्रारंभिक जांच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं ।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका अवलोकन करके अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है व आवश्यक होने पर आपत्तियों पर पुनः टिप्पणी भी मांगी जाती है । **यदि तथ्यात्मक प्रतिवेदन व आपत्तियों का परीक्षण किये जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है और यदि आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में, या तो कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को लिखा जाता है, या इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच किये जाने, या सीधे ही, अन्वेषण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।**

इस सचिवालय स्तर पर प्रांरभिक जांच करने के दौरान् परिवादी, उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध अभिकथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो प्रारंभिक जांच को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, जिसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है । **यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाते हैं, तो राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाता है ।** अन्वेषण प्रारंभ करते ही संबंधित लोकसेवक को नोटिस एवं अन्वेषण के आधारों का विवरण, उसका जवाब/स्पष्टीकरण मय शपथ पत्र एवं उन दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिये, भेजा जाता है, जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे एवं उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है। **अन्वेषण के दौरान् संबंधित लोकसेवक को अपना पक्ष रखने का एवं व्यक्तिगत सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है ।**

अन्वेषण के पश्चात् यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं, तो अन्वेषण को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है एवं **इसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है तथा यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में अन्वेषण प्रतिवेदन धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है, जिसमें यदि लोकसेवक द्वारा कोई दाण्डिक अपराध किया गया हो तो दाण्डिक मामला संस्थित करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की जाती है ।**

यदि किसी मामले में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जावे, परन्तु यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार या अवचार का अवसर मिलता है, **तो इस संस्था द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन में समुचित परिवर्तन कर दिया जाये या संबंधित नियमों को उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जावे कि जिससे लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या अवचार किये जाने की संभावना समाप्त हो जाये या जिससे कि आम लोगों को अनुचित अपहानि न हो ।**

1.5 प्रचार-प्रसार

लोकायुक्त संस्था के महत्व, कार्य एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित कराने के लिये प्रतिवेदनाधीन अवधि में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई:-

जिले का नाम	जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक	गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक
राजसमन्द	8.9.2008	8.9.2008
उदयपुर	9.9.2008	9.9.2008
चूरू	27.1.2009	27.1.2009
टोंक	16.3.2009	16.3.2009
कोटा	17.3.2009	17.3.2009
बूंदी	18.3.2009	18.3.2009

समाज में स्वयंसेवी संगठनों का विशेष महत्व है और जब वे आम जन को कोई बात कहते हैं उसका असर भी होता है । अतः बैठकों में लोकायुक्त संस्था के महत्व, अधिकारक्षेत्र, कार्य प्रणाली व शिकायत कैसे प्रस्तुत की जावे, के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से इस संस्था के बारे में आम लोगों को समुचित जानकारी देने का आग्रह किया गया । उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि वे सूचना के अधिकार के बारे में भी आमजन को जागरूक करने की पहल करें ।

जिला स्तरीय अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाये जाने व राजकीय कार्य में अधिकतम पारदर्शिता अपनाये जाने हेतु कहा गया जिससे कि अकमर्ण्यता, पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की शिकायतों को उत्पन्न होने का अवसर ही न मिले । यह भी निर्देश दिया गया कि जब भी किसी शिकायत के बारे में उनसे तथ्यात्मक जानकारी मांगी जाती है तो उनका दायित्व है कि वे तत्परता से कार्यवाही करते हुए बिना किसी विलम्ब के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। बैठकों में मौके पर प्राप्त शिकायतों के बारे में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श कर जानकारी प्राप्त की गई व उनके बारे में मौके पर उपस्थित जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिये गये ।

बैठकों के बारे में स्थानीय अखबारों में छपी खबरों की कटिंग व फोटोग्राफ प्रतिवेदन के अंतिम पृष्ठों पर दिये गये हैं ।

परिशिष्ट–'ए'

वित्तीय वर्ष 2008–09 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखों में)

क्र.स.	बजट शीर्ष	मूल अनुदान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	संवेतन	84.00	110.00	97.00
2.	यात्रा व्यय	2.00	6.54	6.71
3.	चिकित्सा व्यय	2.00	2.50	2.54
4.	कार्यालय व्यय	5.00	5.00	5.01
5.	साक्षियों पर व्यय	0.30	0.20	0.20
6.	सत्कार व आतिथ्य	0.05	0.05	0.02
7.	अन्य प्रभार	0.10	0.01	0.00
8.	वाहन किराया	1.20	0.79	0.60
9.	वर्दी व्यय	0.01	0.10	0.06
10.	संविदा सेवाएं	1.80	1.20	0.77
11.	पेंशन अंशदान	0.01	0.01	0.00
	कुल योग :	**96.47**	**126.40**	**112.91**

परिशिष्ट-'ए-1'

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग
अधिसूचना

क्रमांक: एफ.6(1)कार्मिक/क-3/75 जयपुर, दिनांक 13 मार्च, 75

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा:-

1.	नगरपालिका परिषदें-	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर
2.	नगर सुधार न्यास-	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर

राज्यपाल के आदेश से,
ह0 (राजेन्द्र पाल सिंह)
शासन उप सचिव

कार्मिक (क-3) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, दिसम्बर 12, 1988

एस.ओ.202:- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में जयपुर विकास प्राधिकरण की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सेवक होगा।

(संख्या एफ. 6(1) डी.ओ.पी/ए-3/75)

राज्यपाल के आदेश से,
हरि शंकर टण्डन, उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक: एफ.6(1)कार्मिक/क-3/75 जयपुर, दिनांक 10.7.89

अधिसूचना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा :-

1.	नगरपालिका परिषदें-	ब्यावर, चूरू, सवाई माधोपुर, किशनगढ़, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर, भरतपुर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा ।
2.	नगर सुधार न्यास-	भरतपुर, भीलवाड़ा

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक: प.6(1)कार्मिक/क-3/75 जयपुर, दिनांक 9.12.96

अधिसूचना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(झ) (iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो राजस्थान राज्य में किसी भी नगरपालिका की सेवा में है या उनका वेतनभोगी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

....

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक: प.8(च)नियम/डीएलबी/97/2168 दिनांक: 30.4.97

सचिव,
लोकायुक्त,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 में संशोधन के क्रम में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ.39()एलएएस/8/3861 दिनांक 4.2.97

महोदय,

प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63, 1ए में संशोधन पर विधि विभाग की राय ली गई जिन्होंने संशोधन को आवश्यक नहीं माना तथा संशोधन के बिना भी राज्य सरकार लोकायुक्त सचिवालय की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में सक्षम है विधि विभाग की राय से यह विभाग भी सहमत है ।

भवदीय,
निदेशक

....

उपरोक्त पत्र लोकायुक्त सचिवालय के पत्र क्रमांक: एफ.39(2)लोआस/81/3860-61 दिनांक 4.2.97 के संदर्भ में लिखा गया था, जिसमें मेयर, उप-मेयर आदि के संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 में संशोधन करने की अनुशंसा की गई थी । उस पत्र का सुसंगत भाग इस प्रकार है:-

"Section 2(i) of the Lokayukta Act defines 'public servant'. The expression denotes as person falling also under its clause (iii) (b) as under :-

"(iii)(b) every President and Vice-President of a Municipal Council, Chairman and Vice-Chairman of a Municipal Board and Chairman of any Committee, constitute or deemed to be constituted by or under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act 38 of 1959;"

Therefore, the Lokayukta has jurisdiction to make a report under Section 12 of the Lokayukta Act also against the Mayor, Deputy Mayor or the Municipal Corporation and Chairman of any committee constituted or deemed to be constituted under the Act. The Lokayukta has also jurisdiction to make a report under Section 12 of the Lokayukta Act against any President or Vice President of the Municipal Council or Municipal Board and Chairman of their any committee constituted under the Act.

When the Act was made by the State Legislature, the Lokayukta Act was not in force and had only come into force in the year 1973. The Act, therefore, did not and could not contain the provision that the State Government could also exercise its powers under sub-section (1) of Section 63 upon receipt of a report from the Lokayukta. It may be that despite the aforesaid omission in sub-section (1A) of the Act, the State Government could exercise its powers from facts otherwise coming to the knowledge in the report of the Lokayukta, but to avoid any controversy as and when it arises, It will suggest that in sub-section (1A) of Section 63 of the Act, in between the words 'behalf' and 'or' the following words be added: 'or upon the report of the Lokayukta made under Section 12 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973'. "

अध्याय–2

निष्पादित कार्य

2.1 समग्र कार्य

दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 कालावधि में प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) **1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के दौरान लंबित, प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरणः-**

दिनांक 31.3.2008 को 1121 शिकायतें कार्यवाही हेतु लम्बित थी, 1.4.2008 से 31.3.2009 की अवधि में 1246 शिकायतें और प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल 2367 शिकायतों में से 1357 शिकायतों का इस कालावधि में निस्तारण किया गया व दिनांक 31.3.2009 को 1010 शिकायतें लंबित रही जिसका विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है ।

(2) **सर्वाधिक शिकायतवाले विभागः-**

परिशिष्ट–1 में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार प्रतिवेदनाधीन अवधि में पुलिस विभाग के लोकसेवकों विरूद्ध सबसे अधिक 219, राजस्व विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध 202, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/जयपुर विकास प्राधिकरण/स्वायत्त शासन विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध 154, विविध शीर्ष के अन्तर्गत एक से अधिक विभागों के लोकसेवकों के विरूद्ध 148, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध 116 तथा शिक्षा विभाग के लोकसेवकों के विरूद्ध 99 के शिकायतें प्राप्त हुई । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जनसम्पर्क निदेशालय, अकाल एवं राहत, मुद्रण एवं लेखन, भेड़ व ऊन तथा राणा प्रताप सागर/जवाहर सागर के लोकसेवकों के विरूद्ध प्रतिवेदनाधीन अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(3) **1.4.1979 से लेकर 31.3.2009 की कालावधि के दौरान् निपटाई गई शिकायतों का विवरणः-**

1.4.1979 से लेकर 31.3.2009 की कालावधि में प्राप्त हुई शिकायतों व निपटाई गई शिकायतों का विवरण **परिशिष्ट–2** में दिया गया है ।

2.2 प्रारंभिक जांच के प्रकरण

1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक

31.3.2008 को 46 प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित थी, दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि में 24 नवीन प्रकरणों में प्रारंभिक जांच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल 70 प्रकरणों में से उक्त कालाविध में 08 प्रकरणों को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 1 प्रकरण को विभाग द्वारा पहिले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दिये जाने के कारण, 2 प्रकरणों को मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, 2 प्रकरणों को अन्य कारणों से बंद किया गया । 13 प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ कर दिये जाने के कारण उन्हें अन्वेषण प्रकरणों में स्थानान्तरित किया गया । इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 26 प्रारंभिक जांच प्रकरणों का निपटारा किया गया व दिनांक 31.3.2009 को 44 प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित रही ।

2.3 अन्वेषण के प्रकरण

1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट-4** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.2008 को 12 प्रकरणों में अन्वेषण लंबित था, दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि में 17 नवीन प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ किया गया । इस प्रकार कुल 29 अन्वेषण प्रकरणों में से उक्त कालाविध में 2 प्रकरण को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण बंद किया गया व 2 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें प्रेषित की गई । इस प्रकार कुल 4 प्रकरणों का निपटारा किया गया व दिनांक 31.3.2009 को 25 अन्वेषण प्रकरण लंबित रहे ।

2.4 अनुशंसा के प्रकरण

(1) 1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि में 2 प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को अन्वेषण प्रतिवेदन मय अनुशंसा के प्रेषित किये गये जिनका विवरण **परिशिष्ट-5** में दिया गया है तथा संक्षिप्त विवरण **अध्याय-3** में दिया गया है ।

(2) 1.4.2004 से 31.3.2008 की कालावधि में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों तथा उन पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण **परिशिष्ट-6** में दिया गया है ।

2.5 अनुतोष के प्रकरण

(1) 1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के अनुतोष प्रकरणों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट-7** में दिया गया है जिसके अनुसार 67 मामलों में इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण **अध्याय-4** में दिया गया है । भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की शिकायतों

पर विभागों की असंवेदनशीता को दर्शित करने वाले प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण **अध्याय-5** में दिया गया है ।

(2) वर्ष 1984-85 से लेकर वर्ष 2008-2009 की कालावधि के अनुतोष के प्रकरणों का विवरण **चार्ट परिशिष्ट-8** में दिया गया है ।

परिशिष्ट-1

1.4.2008 से 31.3.2009 तक की कालावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	31.3.2008 को लंबित शिकायतें	1.4.2008 से 31.3.2009 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	1.4.2008 से 31.3.2009 तक की शिकायतों का निपटारा	31.3.2009 को लंबित रही शिकायतें (3-4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	8	6	14	10	4
3	पुलिस	154	219	373	235	138
4	सहकारिता	8	15	23	16	7
5	शिक्षा	85	99	184	101	83
6	कॉलेज शिक्षा	5	6	11	7	4
7	खाद्य एवं आपूर्ति	16	27	43	25	18
8	चिकि. एवं स्वा.	47	43	90	46	44
9	सा.नि.वि.	8	13	21	14	7
10	विद्युत कम्पनियां	40	45	85	57	28
11	राजस्व	188	202	390	237	153
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	98	116	214	131	83
13	अकाल एव राहत	0	0	0	0	0
14	यातायात	1	10	11	8	3
15	वन	13	12	25	11	14
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	224	154	378	154	224
17	जनसम्पर्क	1	0	1	1	0
18	आबकारी	9	2	11	5	6
19	उद्योग	9	4	13	3	10
20	मुद्रण एवं लेखन	0	0	0	0	0
21	पशुपालन	5	4	9	6	3
22	भेड् एवं ऊन	0	0	0	0	0
23	सिंचाई	16	18	34	16	18
24	इं.गा.नहर परि.	7	5	12	6	6
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	0	0	0	0	0
26	उपनिवेशन	2	2	4	3	1
28	न्याय	3	4	7	4	3
29	जेल	3	3	6	2	4
30	श्रम	1	2	3	2	1
31	पी.एच.ई.डी.	25	17	42	26	16
32	समाज कल्याण	10	10	20	11	9
33	भू-प्रबन्ध	6	4	10	5	5
34	सचिवालय	9	13	22	13	9
35	विविध	79	148	227	155	72
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	2	0	2	2	0
41	आयुर्वेद	1	2	3	2	1
42	देवस्थान	10	7	17	10	7
43	रा.रा.प.प.निगम	0	7	7	7	0
44	वाणिज्यिक कर	7	8	15	6	9
45	खान एव भूविज्ञान	10	7	17	8	9
46	संस्कृत शिक्षा	2	1	3	1	2
47	बीमा एवं प्रा.निधि	8	7	15	8	7
48	तकनीकी शिक्षा	1	4	5	3	2
योग:-		1121	1246	2367	1357	1010

परिशिष्ट–2

1.4.1979 से 31.3.2009 की कालावधि की शिकायतों का विवरण

कालावधि	विगत वर्ष की शेष शिकायतें	वर्ष में प्राप्त शिकायतें	कुल योग	निस्तारित शिकायतें	वर्षान्त शेष शिकायतें	अनुतोष प्रकरण
1-4-79 to 31-3-1980	521	231	752	313	438	-
1-4-80 to 31-3-1981	438	318	756	360	396	-
1-4-1981 to 31-3-1982	396	240	636	328	308	-
1-4-1982 to 31-3-1983	308	263	571	163	412	-
1-4-1983 to 31-3-1984	412	229	641	-	641	-
1-4-1984 to 31-3-1985	641	371	1012	834	178	19
1-4-1985 to 31-3-1986	178	340	518	270	248	41
1-4-1986 to 31-3-1987	248	106	354	161	193	23
1-4-1987 to 31-12-1987	193	81	274	190	84	26
1-1-1988 to 30-6-1989	84	698	782	614	168	47
1-7-1989 to 31-12-1989	168	236	404	206	198	20
1-1-1990 to 31-8-1993	198	1795	1993	1675	318	99
1-9-1993 to 31-3-1996	318	1411	1729	1446	283	85
1-4-1996 to 31-3-1997	283	623	906	728	178	3
1-4-1997 to 31-3-1998	178	577	755	629	126	5
1-4-1998 to 31-3-1999	126	430	556	455	101	5
1-4-1999 to 31-3-2000	101	402	503	249	254	5
1-4-2000 to 31-3-2001	254	1101	1355	535	820	33
1-4-2001to 31-3-2002	820	1648	2468	977	1491	60
1-4-2002 to 31-3-2003	1491	1934	3425	2341	1084	110
1-4-2003 to 31-3-2004	1084	1369	2453	1627	826	66
1-4-2004 to 26-11-2004	826	1246	2072	1188	884	35
27-11-2004 to 31-3-2005	884	456	1340	-	1340	-
1-4-2005 to 31-3-2006	1340	1037	2377	-	2377	-
1-4-2006 to 30-4-2007	2377	517	2894	-	2894	-
1-5-2007 to 31-3-2008	2894	1267	4161	3040	1121	138
1-4-2008 to 31-3-2009	1121	1246	2367	1357	1010	67

- लोकायुक्त का पद 8.8.1982 से 3.4.1984 तक, 4.1.90 से 15.1.1990 तक, 7.3.1990 से 9.8.1990, 1.10.1993 से 20.1.1994 तक, 17.2.1994 से 5.7.1994 तक, 7.7.1999 से 25.11.1999 तक एवं 27.11.2004 से 30.4.2007 तक रिक्त रहा है ।

परिशिष्ट-3

1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	31.3.2008 को लम्बित प्रारंभिक जांच	46
2	1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के दौरान संस्थित की गई प्रारंभिक जांच	24
3	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	70
4	जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सके ।	8
5	जिनमें विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई ।	1
6	मामला पांच वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण	–
7	जिनमें अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये गये।	–
8	अनुतोष प्राप्त हो गया ।	–
9	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	2
10	लोकसेवक न रहने के कारण	–
11	अन्य कारणों से	2
12	निपटायी गई प्रारंभिक जांच की संख्या (4 से 11)	13
13	जिन्हें अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के कारण स्थानांतरित किया गया।	13
14	जिनमें सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में सिफारिशें की गई ।	–
15	31.3.2009 को लम्बित प्रारंभिक जांच	44

परिशिष्ट–4

1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणों का विवरण

क.सं.	विवरण	संख्या
1.	31.3.2008 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	12
2.	1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि के दौरान संस्थित किये गये	17
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	29
4.	अन्वेषण के पश्चात अभिकथन सिद्ध न होने से नस्तीबद्ध किये गये प्रकरण	2
5.	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	-
6.	अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के कारण	-
7.	लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण	-
8.	जिनमें संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम की धारा–12(1) के अन्तर्गत सिफारिशें भेजी गई ।	2
9.	कुल निपटाये गये अन्वेषण प्रकरण योग (पंक्ति संख्या 4 से 8)	4
10.	31.3.2009 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	25

परिशिष्ट-5

1.4.2008 से 31.3.2009 तक की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक
1.	44(9)LAS/2000	➢ श्री पी.के.देब आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर । **आरोप:**-अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए न्यू मैजेस्टिक सिनेमा, अजमेर के मालिक को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए केवल मरम्मत के आधार पर ही नियमविरूद्ध तरीके से पांच साल के लिए मनोरंजन कर में छूट प्रदान कर राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में ।	✓ माननीय मुख्यमेत्री, राजस्थान ✓ दिनांक: 26.2.2009
		अनुशंसा:-आरोप पूर्णतया सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाने के फलस्वरूप लोकसेवक के विरूद्ध उस पर लागू नियमों के तहत् पूर्ण विभागीय जांच की जावे व मनोरंजन कर छूट प्रदान कर राजकोष को जो हानि पहुंचाई गई है, उसकी वसूली कर दण्डित किया जावे । **कार्यवाही:**-की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना अपेक्षित है।	
2.	11(198)LAS/2002	➢ श्री समीर सिंह चन्देल आई.ए.एस. तत्कालीन जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर **आरोप:**-श्री उदय सिंह व हुकुमराज को ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पदों पर नियुक्ति दिलाने की एवज में उदयसिंह के भाई सुमेर सिंह व हुकुमराज से एक-एक लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जाने के संबंध में ।	✓ माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान ✓ दिनांक 5.3.2009
		अनुशंसा:-आरोप सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाने पर श्री समीर सिंह चन्देल के विरूद्ध भारी शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु सम्बधित नियमों के तहतृ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जावे व आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे निलम्बित करने पर विचार किया जावे । **कार्यवाही:-** ➢ अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना अपेक्षित है ।	

परिशिष्ट–6

1.4.2004 से 31.3.2008 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों का विवरण व उनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक
1.	42(4)1999/PE	देवस्थान की सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द किये जाने से बचाये जाने के संबंध में।	➢ आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ✓ दिनांक 7.8.2004
		अनुशंसाः– जिन देवस्थान सम्पत्तियों के कब्जेधारकों के किरायेदारी के नियम के मामले, आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के समक्ष विचाराधीन हैं, उनमें शीघ्र निर्णय लिया जाकर सूचित किया जावे । **कार्यवाहीः–** सम्पदा सं. 73 व 80 के संबंध में अंतिम निर्णय की सूचना अपेक्षित है ।	
2.	16(185)2000/PE	शांति निकेतन हरियाणा आवासीय आयोजना, जयपुर में पार्क की भूमि के अवैध नियमन बाबत ।	➢ आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर । ✓ दिनांक 5.8.2004
		अनुशंसाः– दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावे एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विधि अनुसार कार्यवाही करवाई जावे। **कार्यवाहीः–** लोकसेवक श्री जगदीश नारायण वर्मा, तत्कालीन सहायक नगर नियोजक 2002 में सेवानिवृत्त हो जाने तथा तत्कालीन उपायुक्त श्री अनिल गुप्ता, आर.ए.एस. को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी नहीं माने जाने पर यह पत्रावली दिनांक 2.3.2009 को नस्तीबद्ध कर दी गई ।	
3.	31(10)2000/Inv.	श्री किशन लाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चौमू	➢ शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। ✓ दिनांकः 30.11.2004
		अनुशंसाः– क्वार्टरों के निर्माण के पर्यवेक्षण में कर्त्तव्य का निर्वहन उचित प्रकार से न कर घटिया सामग्री से राज्य हानि पहुंचाने के संबंध में 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे । **कार्यवाहीः–** पत्र दिनांक 22.3.2006 के अनुसार 16 सीसीए में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। परिणाम की सूचना अपेक्षित है ।	

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पत्रावली संख्या</th><th>लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/ विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई</th><th>सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>➢ श्री उदल सिंह, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली
➢ श्री मनोज शांडिल्य, तत्कालीन लेखाधिकारी, करौली
➢ श्री शिवराम शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, टोडभीम
➢ श्री डालचंद वर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, हिण्डौन
➢ श्री रूप सिंह गूर्जर, तत्कालीन विकास अधिकारी, नादौती ।
➢ श्री शिव कुमार शर्मा, कार्यवाहक विकास अधिकारी, हिण्डौन ।
➢ श्री पल्लीवाल मीणा, विकास अधिकारी, दौसा ।
➢ श्री देवी लाल मीणा, विकास अधिकारी, बौली, जिला सवाई माधोपुर ।</td><td>➢ निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
✓ दिनांक 6.5.2004</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>12(86)2001/FR</td><td colspan="2">अनुशंसाः-
पंचायतों में सहायक सचिव के पदों पर अवयस्क बच्चों को नियुक्तियां प्रदान करने के दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे।
कार्यवाहीः-
आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः एफ. 13()शिका/वि.अ./करौली/प्र.1/परावि/04/1133 दिनांक 6.4.2005 द्वारा निम्नानुसार सूचित किया है :-
➢ श्री उदल सिंह, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में आगे कार्यवाही कार्मिक विभाग के स्तर पर सम्पादित की जावेगी ।
➢ श्री रूप सिंह गूर्जर, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नादौती के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उन्हें एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है ।
➢ शेष सात लोकसेवकों सर्वश्री मनोज शांडिल्य, शिवराम शर्मा, डालचन्द वर्मा, शिवकुमार शर्मा, पल्लीवाल मीणा, देवी लाल मीणा एवं राम दयाल मीणा के विरूद्ध 16 सीसीए के तहत् कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन माननीय पंचायती राजमंत्री के स्तर से लिया जा चुका है और अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है ।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पत्रावली संख्या</th><th>लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई</th><th>सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया
प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">11(39)2000/INV</td><td>➢ श्री शिवदत्त गौड़, तत्कालीन तहसीलदार, बाली, जिला पाली
➢ श्री जगदीश्वर दयाल, तत्कालीन पटवारी भू-अभिलेख, तहसील बाली, जिला पाली</td><td>➢ माननीय राजस्वमंत्री, राजस्थान सरकार
➢ शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
✓ दिनांक: 14.06.2007</td></tr>
<tr><td colspan="2">अनुशंसाः-
➢ परिवादी की भूमि को क्रय करने हेतु अनुचित दबाव डालने के लिये पेड़ काटने की गलत रिपोर्ट दर्ज करवाकर अनुचित अपहानि पहुंचाने के लिये दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई ।
कार्यवाहीः-
अनुशंसा की पालना में लोकसेवक श्री जगदीश्वर दयाल के विरूद्ध की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td rowspan="2">23(19)2000/PE</td><td>➢ श्री मदन लाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक, सिंचाई उपखण्ड, भंवरगढ़, जिला बारां।</td><td>➢ शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
✓ दिनांक: 14.06.2007</td></tr>
<tr><td colspan="2">अनुशंसाः-
➢ सेवा पुस्तिका खो जाने में लापरवाही बरतने एवं समर्पित अवकाशों हेतु दुबारा आवेदन कर भुगतान प्राप्त करने के संबंध में ही उक्त आदेश से दंडित किया गया जबकि उसके विरूद्ध अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर व रिकार्ड में हेरा-फेरी कर सबूत नष्ट करने, वाउचरों में हेरा-फेरी कर राशि हड़प करने, स्टोर में रहकर स्टोर का सामान गायब करने आदि के आरोप भी प्रमाणित पाये गये थे । अतः लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग कोटा के आदेश क्रमांकः अमुअ/सिं/डी.ई./41/87/9719-24 दिनांक 16.6.2003 को रिव्यू करके उचित दंडादेश पारित करें ।
कार्यवाहीः-
➢ अनुशंसा की पालना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवादी गई है जिस पर पत्रावली दिनांक 15.9.2008 को नस्तीबद्ध की जा चुकी है ।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पत्रावली संख्या</th><th>लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई</th><th>सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया
प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक</th></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td rowspan="2">42(5)1999/INV</td><td>➢ श्री बनवारी लाल शर्मा, तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर।
➢ श्री शिवभगवान राजपुरोहित, तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर।
➢ श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर ।</td><td>➢ माननीय राज्यमंत्री, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
➢ शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
✓ दिनांक: 20.06.2007</td></tr>
<tr><td colspan="2">अनुशंसा:-
➢ लोकसेवक श्री बनवारी लाल, तत्कालीन, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर व श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध जानबूझ कर परिवादी को वांछित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाकर अकमर्ण्यता को दोषी होने, जवाबदेही से बचने के लिये पिछली तिथियों में नोटिंग करने तथा
➢ लोकसेवक श्री शिवभगवान राजपुरोहित द्वारा नियमविरूद्ध तरीके से प्रन्यास के चुनाव में वित्तीय अनियमिताएं बरतने व यह तथ्य जानकारी में आने के उपरान्त भी कि दिनांक 22.3.2000 को महासभा के मैनेजर के पद से हटा दिये जाने के उपरान्त भी श्री हनुमानदास से बतौर मैनेजर ट्रस्ट का कार्य लेकर पद का दुरूपयोग करने लेने का दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई ।
कार्यवाही:-
➢ लोकसेवक श्री हरिओम शर्मा को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है परन्तु अन्य लोकसेवक सर्वश्री बनवारी लाल एवं शिवभगवान राजपुरोहित के विरूद्ध अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट–7

1.4.2008 से 31.3.2009 तक की कालावधि के अनुतोष प्रकरण

शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या	शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	0	23	सिंचाई	-
3	पुलिस	4	24	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	2
4	सहकारिता	1	25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-
5	शिक्षा	15	26	उपनिवेशन	-
6	कॉलेज शिक्षा	0	28	न्याय	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	2	29	जेल विभाग	-
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2	30	श्रम विभाग	-
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	0	31	जनस्वा. अभियांत्रिकी विभाग	1
10	रा.रा.वि.मण्डल	2	32	समाज कल्याण विभाग	-
11	राजस्व	17	33	भू-प्रबन्ध विभाग	1
12	ग्रा. वि. एवं पंचायतीराज	6	34	सचिवालय	1
13	अकाल एव राहत	-	35	विविध	2
14	यातायात	-	40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
15	वन	7	41	आयुर्वेद	-
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	-	42	देवस्थान	-
17	जनसम्पर्क	-	43	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	-
18	आबकारी	-	44	वाणिज्यिक कर	-
19	उद्योग	-	45	खान एव भूविज्ञान	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-	46	संस्कृत शिक्षा	-
21	पशुपालन	-	47	राज्य बीमा एवं प्रावधायीनिधि	3
22	भेड़ एवं ऊन	-	48	तकनीकी शिक्षा	1
				योगः	**67**

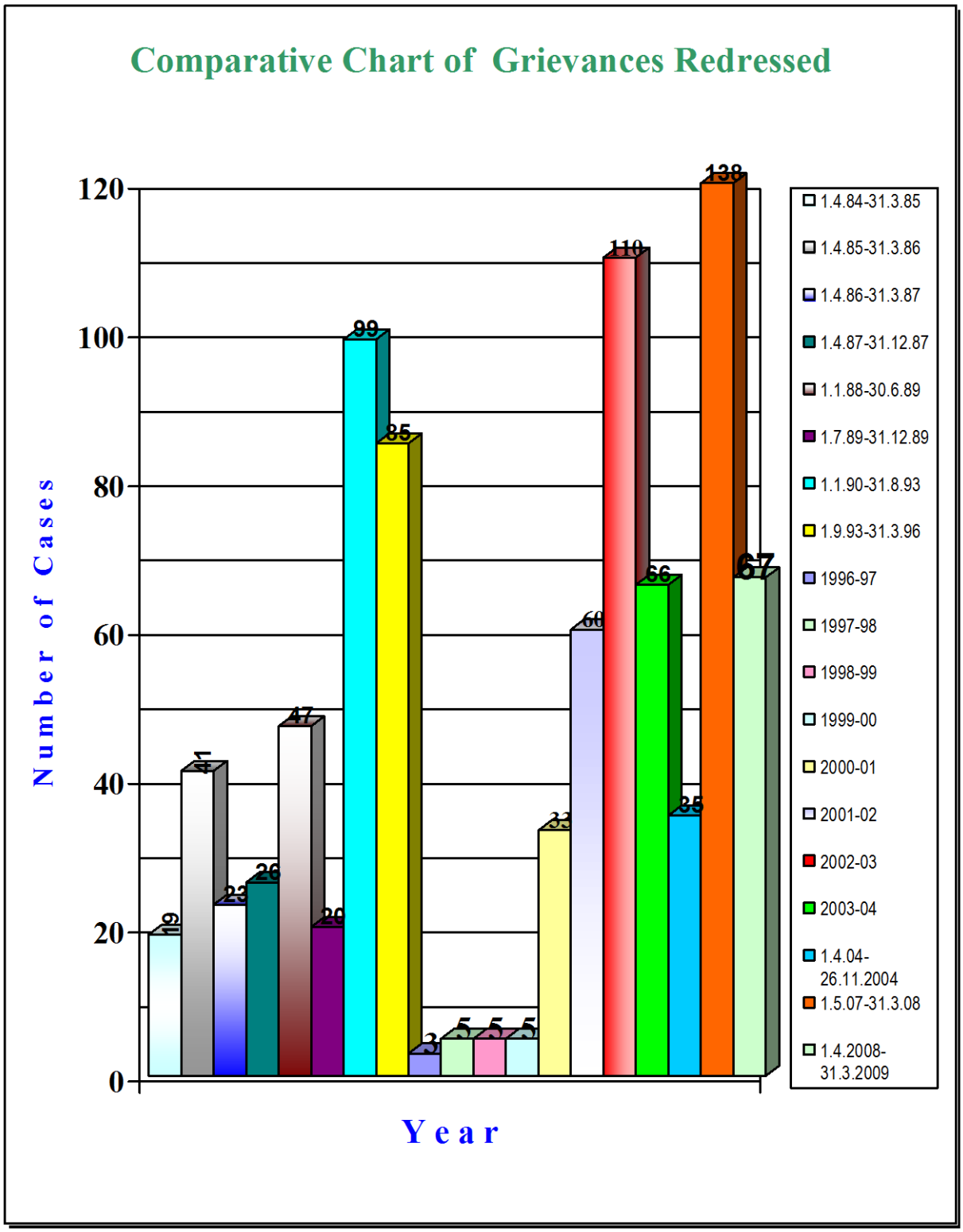

परिशिष्ट–8

Comparative Chart of Grievances Redressed

अध्याय-3

अनुशंसा के प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण
(1.4.2008 से 31.3.2009)

राजस्व विभाग

एफ 44(9)लोआस/2000

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि एक श्री एल.एन.अग्रवाल, सचिव, अजमेर सिनेमा यूनियन, ब्ल्यू कैसल, अजमेर की ओर से दिनांक 27.2.2001 को यह परिवाद इस आशय का पेश किया गया कि न्यू मेजेस्टिक टॉकीज, अजमेर एक 70 साल पुराना टॉकीज है, परन्तु इसके मालिक को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, अजमेर ने अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए नियमों के विपरीत मरम्मत के आधार पर ही पांच वर्ष के मनोरंजन कर में छूट प्रदान कर राजकोष को 1,30,00,000/- रूपये की हानि पहुंचाई जो छूट नहीं दी जा सकती थी ।

इस पर परिवाद के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया व तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात् समस्त संबंधित रिकार्ड तलब किया गया । इस बीच श्री एल.एन. अग्रवाल ने सूचित किया कि यह परिवाद उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु चूँकि मामला निश्चित लोक महत्व का था, इसलिये इस प्रकरण को स्व-प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया माने जाने का निर्णय लिया गया व प्रारंभिक जांच किये जाने का निर्णय किया गया व जांच किये जाने हेतु उप सचिव को अधिकृत किया गया।

प्रारंभिक जांच में श्री पी.के.देब, तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया जिस पर श्री देब के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण प्रारंभ करने के पश्चात् लोकसेवक श्री पी.के.देब को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया, परन्तु अपना जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् श्री देब ने प्रारंभिक जांच उप सचिव द्वारा किये जाने पर आपत्ति उठाई । चूँकि इस आपत्ति में कोई सार नहीं था, इसलिये इसे खारिज किया गया व श्री देब को रिकार्ड सहित व्यक्तिशः उपस्थित होने हेतु पुनः नोटिस जारी किया गया, किन्तु सम्मन तामील होने के उपरान्त भी वह उपस्थित नहीं आये । तो भी श्री देब को रिकार्ड का निरीक्षण करने या अन्य कोई रिकार्ड,

यदि वह मंगवाना चाहें, तो उसके लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। श्री पी.के.देब दिनांक 26 अगस्त, 2003 को उपस्थित आये और यह कथन किया कि वह दस्तावेजात, जिनके आधार पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है, उन्हें उपलब्ध कराये जावें। उन्हें उसी दिन रिकार्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई। उन्होंने प्रार्थना की कि सम्पूर्ण मूल नोटशीट मय विश्वसनीय फोटोकोपीज के विभाग से मंगवाई जावें । उन्होंने उस आधार को भी, जिसके आधार पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा सिनेमा मालिक को नई अनुज्ञा जारी की गई, मंगवाने की प्रार्थना की ।

उक्त रिकार्ड के प्राप्त होने के पश्चात् श्री पी.के.देब को इस बारे में सूचित किया गया, परन्तु श्री देव सम्मन, पत्र, ईमेल, स्मृति पत्रादि व रजिस्टर्ड पत्र भेजे जाने के पश्चात् भी एक लम्बे समय तक उपस्थित नहीं आये । इसलिये मामले में एकपक्षीय तौर पर कार्रवाई करने के आदेश दिनांक 28.11.2005 को दिये गये । श्री पी.के.देब को दिल्ली लोकायुक्त के मार्फत तामील कराने के बाद वे उपस्थित आये और पत्र दिनांक 18.12.2005 प्रस्तुत कर कुछ दस्तावेजात की कोपियां मांगी । उन्हें सूचित किया गया कि वे दिनांक 24.2.2006 को इससे पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का निरीक्षण कर सकते हैं, परन्तु न तो श्री देब उपस्थित आये और न ही कोई जवाब ही प्रस्तुत किया ।

इसके पश्चात् मामले में साक्ष्य लेखबद्ध की गई । सा.सं. 1 श्री मुकुट लाल थानवी, जिन्होंने मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के मामले को वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर की हैसियत से परीक्षित किया था, ने यह पाया था कि सिनेमा घर में आग लग गई थी जिसके कारण छत, फर्नीचर, बालकोनी व पर्दे की मरम्मत का कुछ कार्य किया गया था। उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिशाषी अभियन्ता ने सिनेमा घर के भवन का निरीक्षण कर दिनांक 6.9.2000 को अपनी रिपोर्ट प्रदर्श-3 प्रस्तुत की थी जिसमें यह अंकित किया गया था कि सिनेमा घर का भवन काफी पुराना है । उसकी राय में सिनेमा मालिक मनोरंजन कर की छूट प्राप्त किये जाने के पात्र नहीं थे । साक्षी संख्या 2 श्री सहीराम कटारिया, तत्कालीन उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर ने कथन किया कि उन्होंने उक्त जांच कराई थी और रिपोर्ट प्रदर्श-3 से सहमत थे और उसकी राय में सिनेमा मालिक मनोरंजन कर की छूट का लाभ पाने के पात्र नहीं थे । उन्होंने यह भी कथन किया कि श्री पी.के.देब, तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने आदेश दिनांक 16.9.2000 प्रदर्श-7 के द्वारा न्यू मेजेस्टिक सिनेमा को पांच वर्ष के लिये मनोरंजन कर में छूट प्रदान की थी ।

इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या श्री पी.के.देब, तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा न्यू मेजेस्टिक सिनेमा, अजमेर को पांच वर्ष के लिये मनोरंजन कर के भुगतान में दी गई छूट क्या उचित थी ?

इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिये अधिसूचना क्रमांक: एफ.4(69)एफ.डी./टैक्स-डिवी/95-98 दिनांक 15.3.1996 सपठित अधिसूचना क्रमांक:

एफ.4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-307 दिनांक 30.3.2002 का उल्लेख यहां किया जाना उचित होगा जिनके अन्तर्गत श्री पी.के.देब ने प्रश्नगत छूट का आदेश प्रदान किया था :-

F.4(69)FD/Tax-Div./95-98 dated 15.3.1996

S.O.293.-In exercise of the powers conferred by S.7(2) of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, the State Govt. [.1.] hereby exempts entertainment tax (including additional entertainment tax) for a period of five years, payable by a new Cinema Hall constructed subject to the condition that commercial exhibition of films in such cinema hall should start upto March 31, 2000.

For previous reference, see Notification dated 27.6.1987 [S.No.E.19].

(Emphasis supplied)

F.4(1)FD/Tax-Div/2000-308 dated March 30, 2000

S.O.384- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Act, 1957 (Act No.24 of1957), the State Government hereby makes the following amendment in this Department Notification No.F.4(4)FD/Tax-Div/99-249 dated 13.11.1999, namely.-

In the said notification,

(i) the existing expression *"upto 31.3.2000"*. shall be substituted by the expression *"upto 31.3.2001".*

(ii) for the expression *"which have paid more than Rs. one crore as entertainment tax in the preceding year"*, the expression *"which have paid more tax in the preceding year than the tax estimated on the basis of 50% of the authorised seating capacity"* shall be substituted.

(Emphasis supplied)

उक्त अधिसूचना दिनांक 15.3.1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मनोरंजन कर की छूट उस समय बने नये सिनेमा हॉलों को दी जा सकती थी, पुराने सिनेमा हॉल, जिनमें मरम्मत या नवीनीकरण का कार्य कराया गया हो, को इस छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता था । आर.एल.डब्ल्यू में रिपोर्टेड केस मैसर्स विनोद टॉकीज बनाम राजस्थान राज्य 1995 (1) (राज.) 557 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि 'नये सिनेमा के निर्माण' से तात्पर्य पहली बार निर्मित किये गये ऑडीटोरियम, चारदिवारी व एक केबीनेट से है ।

अधिसूचना दिनांक 15.3.1996 से पूर्व मनोरंजन कर में कमी या छूट प्रदान करने के संबंध में राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन अधिनियम, 1957 की धारा 7(2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.9(6)एफ.डी./ग्रुप-4/86 दिनांक 27.6.1987 द्वारा प्रवृत्त योजना प्रभावशील थी जिसमें 'नये सिनेमा' की परिभाषा दी गई थी जो परिभाषा निम्नानुसार है :-

(a) "New Cinema" means-

(i) a cinema newly constructed during the immediate preceding one year.
(ii) a cinema, the civil construction of which is started and completed as such during the operative period.

उक्त योजना (1) एक नये सिनेमा, तथा (2) योजना के पैरा 3 के अनुसार एक निर्मित व पूर्ण सिनेमा पर ही लागू होती थी । पैरा 3 के स्पष्टीकरण में निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:-

"Explanation- The Remission Scheme shall not be applicable
(a) to a cinema repaired, improved, renovated to modernized;
(b) to a cinema converted from any type of other building or construction; and
(c) to cinema constructed at the site of an old cinema, running or closed."

अत: स्पष्ट है कि रेमीसन स्कीम मरम्मत किये गये सिनेमा, सुधारे गये या नवीनीकृत या अधिनिकृत किये गये सिनेमा पर लागू नहीं होती थी । यहां तक कि पुराने चालू या बंद सिनेमा की जगह बनाये गये सिनेमा पर भी लागू नहीं होती थी ।

निश्चित रूप से जब श्री पी.के.देब ने प्रश्नगत छूट का आदेश जारी किया तब 1987 की स्कीम प्रभाव में नहीं थी परन्तु उक्त स्कीम के प्रावधान हमें अधिसूचना दिनांक 15.3.1996 को लागू किये जाने को समझने में मदद करते हैं जो अधिसूचना भी राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 7(2) के अन्तर्गत जारी की गई थी । अधिसूचना दिनांक 15.3.1996 का प्रमुख उद्देश्य नये सिनेमा हॉलों के निर्माण को बढ़ावा देना था ।

अधिसूचना दिनांक 15.3.1996 के अन्तर्गत छूट, जिसे आगे के लिये अधिसूचना दिनांक 30.3.2000 के द्वारा दिनांक 31.3.2002 तक बढ़ाया गया था, केवल संबंधित कालावधि में निर्माण किये गये नये सिनेमा हालों के लिए ही दी जा सकती थी । किसी भी परिस्थिति में यह छूट पुराने सिनेमाहालों को नहीं दी जा सकती थी । इस बात का कोई महत्व नहीं है कि पुराने सिनेमा हाल में मरम्मत की गई थी या नवीनीकरण किया गया था ।

श्री पी.के.देब के अधीनस्थ अधिकारीगण ने पत्रावली पर अपनी टिप्पणियों में यह आपत्तियां अंकित की थी कि न्यू मेजेस्टिक सिनेमा को मनोरंजन कर में छूट प्रदान नहीं की जा सकती, तो भी श्री देब ने उनको नकारते हुए छूट प्रदान की, जो नहीं प्रदान की जानी चाहिए थी ।

श्री पी.के.देब ने नोटशीट पर दिनांक 16.9.2000 को आदेश देते हुए यह अंकित किया कि न्यू मेजेस्टिक सिनेमा दिनिांक 7 मई, 2000 को भयंकर आग लगने से पूरी तरह जल गया, उसकी छत नये सिरे से डाली गई है और फर्नीचर व फिटिंग्स सब नये हैं, सीटिंग पैटर्न को पुनरीक्षित किया गया है, साइड वालों की वृहद मरम्मत की गई है और साउण्ड प्रूफिंग, फायर सिस्टम और वायरिंग सब नये हैं । अत: निर्माण नये निर्माण किये गये सिनेमा की श्रेणी में आता है ।

श्री देब द्वारा अपनाया गया उक्त दृष्टिकोण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्णय व 1987 की स्कीम के प्रावधानों का विराधाभासी है । ऊपर अंकित की गई मौखिक साक्ष्य से भी निर्माण नये सिनेमा हाल की श्रेणी नहीं आता है ।

ऊपर लिखित कारणों से यह मत व्यक्त किया गया कि लोकसेवक श्री पी.के.देब, तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया सिद्ध किये जाने योग्य हैं । अतः श्री देब के विरूद्ध उन पर लागू नियमों के तहत् पूर्ण विभागीय जांच प्रारंभ की जावे व साथ ही उनके प्रश्नगत आदेश के कारण राजकोष को जो वित्तीय हानि उठानी पड़ी है, उसकी वसूली की जाकर दण्डित किया जावे । अन्वेषण प्रतिवेदन की एक प्रति राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत पत्र क्रमांकः 44(9)लोआस/2000/8068 दिनांकः 26.2.2009 के द्वारा माननीय माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान को उचित कार्रवाई करने के लिए प्रेषित की गई व लिये गये निर्णय से तीन माह में अवगत कराने की अपेक्षा की गई ।

सिफारिश की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना अपेक्षित है।

एफ 11(198)लोआस/2002

यह प्रकरण श्री सुमेर सिंह व श्री हुकुमराज की शिकायत दिनांक 25.9.2002 के आधार पर पंजीकृत किया गया था जिसमें श्री समीर सिंह चन्देल, तत्कालीन कलेक्टर, सवाईमाधोपुर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने श्री सुमेर सिंह के भाई उदय सिंह व हुकुमराज को ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पद पर नियुक्ति दिलाने की एवज में एक-एक लाख रूपये की राशि प्राप्त की परन्तु जब उनका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में नहीं आया तो उन्होंने श्री चन्देल से अपने रूपये वापिस मांगे जिस पर श्री चन्देल ने उन्हें प्लाट बेच कर रूपये लौटाने की बात कह कर एक साइट प्लान दिया, परन्तु ज्ञात करने पर मालूम हुआ कि वह प्लाट उनके नहीं हैं । फिर उन्होंने रूपये लौटाने का विश्वास दिलाने के लिए खाली प्रोमीसरी नोट व रसीद दी व बाद में दो लाख रूपये का चैक दिया, परन्तु वह अनादरित हो गया । परिवादीगण ने प्रार्थना की कि श्री समीर सिंह चन्देल को दण्डित किया जावे व उनके रूपये उन्हें लौटाये जावें ।

इस प्रकरण में प्रारंभिक जांच की गई व आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने पर धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया गया । लोकसेवक को अपना पक्ष रखने व स्पष्टीकरण/टिप्पणी प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया ।

अन्वेषणोपरान्त आरोप सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति लोकसेवक के सक्षम प्राधिकारी माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान को पत्र कमांकः एफ.

11(198)लोआस/2002/8191 दिनांक 5.3.2009 के द्वारा भिजवा कर श्री समीर सिंह चन्देल को भारी शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु सम्बधित नियमों के तहतृ अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गई व यह भी अंकित किया गया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री लोकसेवक को निलम्बित किये जाने पर विचार कर सकते हैं ।

अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई सूचना अपेक्षित है।

अध्याय-4

अनुतोष के प्रकरण
(1.4.2008 से 31.3.2009)

दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 की कालावधि में 67 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया जिनमें से कुछ प्रकरणों का विवरण यहां दिया जा रहा है ।

शिक्षा विभाग

एफ. 5(35)लोआस/2001

श्री लखपतराय गुप्ता, सेवानिवृत्त अध्यापक, राजकीय नेताजी उच्च प्राथमिक विद्यालय, नसीराबाद निवासी -पप/232, ए.जी. कोलोनी, बजाज नगर, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 29.9.2001 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उन्होंने घरेलु आर्थिक परिस्थितिवश दिनांक 31.3.1998 को उक्त विद्यालय से अध्यापक के पद से तीन माह पूर्व नोटिस देकर स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, लेकिन **साढे तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उसे पेंशन परिलाभ यथा ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन आदि का भुगतान नहीं किया गया है ।** इस संबंध में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक बारबार लिख कर आवेदन दे चुके हैं, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है व प्रार्थना की कि उसे पेंशन व पेंशन परिलाभों का भुगतान यथशीघ्र करवाया जावे ।

इस परिवेदना के संबंध में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 12.12.2001 के माध्यम से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया ।

काफी पत्राचार के उपरान्त अन्ततोगत्वा पत्र दिनांक 3.1.2008 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि अधिक आयु में की गई पुनः नियुक्ति को नियमित करने हेतु राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 38 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान करने के उपरान्त परिवादी की नियुक्ति तिथि 16.3.1077 मानते हुए पेंशन योग्य सेवा की गणना दिनांक 16.3.1977 से किये जाने की स्वीकृति दिनांक 1.12.2007 को जारी की जा चुकी है तथा पत्र दिनांक 20.2.2008 के द्वारा अवगत कराया कि श्री गुप्ता का पेंशन प्रकरण निस्तारित हो चुका है और उसे पी.पी.ओ. नं. 801777 एवं जी.पी.ओ. नं. 803847 जारी किये जा चुके हैं ।

इस प्रकार **परिवादी को सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान किया हुआ मानते हुए यह प्रकरण दिनांक 5.7.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।**

एफ. 5(69)लोआस/2003

श्री शंकर लाल शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, खण्डेला, जिला सीकर ने यह परिवाद दिनांक 13.11.2003 को विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों से वेतन, वेतन स्थिरीकरण, स्थानान्तरण टी.ए. मेडीकल बिल, केन्द्राधीक्षक भत्ते, टी.ए. के बकाया के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक13.1.2004 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया व आगे भी काफी पत्राचार किया गया व **विभाग के अंतिम पत्र दिनांक 19.3.2008 के अनुसार परिवादी को देय समस्त भुगतान कर दिये गये जिस पर यह परिवाद दिनांक 16.5.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।**

एफ. 5(111)लोआस/2004

श्री जमना लाल व्यास, सेवानिवृत्त प्रध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ ने यह परिवाद दिनांक 21.2.2005 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 30.4.2004 को सेवानिवृत्त हो चुका है । उसके द्वारा स्टाफ संचयिका में फिक्स्ड डिपोजिट में ढाई लाख रूपये जमा कराये गये थे जिसका चुकारा मय ब्याज के माह मार्च, 2004 में किया जाना था जिसका भुगतान आज तक श्री अनिल कुमार पाटिल, वरिष्ठ अध्यापक एवं कोषाधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ द्वारा नहीं किया जा रहा है । बाद में भुगतान के लिये जो चैक दिये गये वे भी अनादरित हो गये । परिवादी ने यह भी प्रार्थना की कि उसकी पेंशन अभी तक भी चालू नहीं हुई है। परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 31.5.2007 के पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 17.8.2007 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि स्टाफ संचयिका रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी । संस्था के खाते में राशि नहीं होने के कारण चैक अनादरित हो गये जिस पर प्रार्थी श्री जमना लाल व्यास ने ए.सी.जे.एम. कोर्ट, प्रतापगढ़ में चैकों के अनादरण होने पर वाद दायर किया हुआ है जो विचाराधीन है । पेंशन के संबंध में संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र **दिनांक 29.1.2008 के द्वारा यह अवगत कराया कि परिवादी को पी.पी.ओ. व जी.पी.ओ. जारी किये जा चुके हैं व पेंशन परिलाभ संबंधी कोई भी राशि बकाया नहीं है** जिस यह परिवाद सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाना मानते हुए दिनांक 16.5.2008 को नस्तीबद्ध कर दिया गया ।

एफ. 5(116)लोआस/2004

सुश्री आशा शर्मा व ज्योति शर्मा निवासी बांदीकुई, जिला दौसा ने यह परिवाद दिनांक 3.3.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके पिताजी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हरनाथपुरा, झोटवाड़ा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 10.5.1998 को देहान्त हो गया था । उनकी माताजी का इनसे पूर्व ही देहान्त हो चुका था । उनकी वे दो पुत्रिया हैं । उनके पिताजी का अप्रेल, 1998 का वेतन एवं मई माह, 1998 का दस दिन का वेतन तथा उपार्जित अवकाश व नवीन वेतनमान, 1998 का एरियर नहीं मिला है, जिसका भुगतान उन्हें करवाया जावे ।

इस संबंध में आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 8.8.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 28.11.2007 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि स्व. श्री रामेश्वर शर्मा पूर्व अध्यापक, राप्रावि, हरनाथपुरा के बकाया उपार्जित अवकाश की राशि 53,557/- रूपये, फिक्सेशन एरियर अवधि 1/1997 से 5/1998 तक राशि 24,304/- रूपये का भुगतान दिनांक 6.2.2007 को कर दिया गया है । शेष राशि उपार्जित अवकाश 10 दिन तथा अप्रेल, 1998 का वेतन राशि रूपये 11,468/- कोष कार्यालय से पारित हो चुका है तथा भुगतान प्राप्त करने हेतु परिवादियान को सूचित किया जा चुका है ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादियान को लगभग 9 वर्ष से लंबित वेतन व एरियर का भुगतान कराया गया व सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 22.4.2008 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 5(126)लोआस/2004

श्रीमती कृष्णा शर्मा, अध्यापिका, एफ-2, पावर हाउस कोलोनी, चैनपुरा फाटक, निवाई जिला टोंक ने यह परिवाद दिनांक 17.3.2005 को बी.ई.ओ., मालपुरा से दिसम्बर, 2000 से 16 फरवरी, 2001 का वेतन दिलाने की प्रार्थना की जिस पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर से पत्र दिनांक 31.5.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 2.2.2008 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादिया को समस्त बकाया का भुगतान कर दिया गया है । इस प्रकार परिवादी को सम्पूर्ण वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के पश्चात् यदि परिवाद दिनांक 4.3.2008 को नस्तीबद्ध कर दिया गया ।

एफ. 5(28)लोआस/2005

यह परिवाद श्री भंवर लाल प्रजापत, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक, बाड़ीबास, झालरियों के कुआ के पास, सरदारशहर, जिला चूरू ने दिनांक 17.8.2005 को ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सरदारशहर से बकाया यात्रा भत्ता राशि रूप्ये 5650.65 का भुगतान करवाने के संबंध में प्रस्तुत किया । परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 3.8.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया व काफी पत्राचार किया गया जिस पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 28.2.2008 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी का वेतन उप जिला शिक्षा अधिकारी, सरदार शहर से आहरित होने व मुख्यालय सरदारशहर होने से उक्त कार्यालय में चार्ज देने हेतु की गई यात्रा का यात्रा भत्ता देय नहीं है । शेष यात्रा भत्ता बिल की राशि रूपये 3264 का भुगतान परिवादी को कर दिया गया है । इस प्रकार परिवादी को सम्पूर्ण वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 5.7.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ. 5(42)लोआस/2007

सुश्री संतोष चौधरी, वरिष्ठ अध्यापिका (विज्ञान), राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बाघोली जिला झुन्झूनू ने यह परिवाद दिनांक 7.9.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसका स्थानान्तरण सीधी भर्ती पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गडालियों का तला, जिला बाड़मेर से आदेश दिनांक 22.9.2006 के द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बाघोली, जिला झुन्झूनू में कर दिये जाने के पश्चात् उसने दिनांक 7.10.2006 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 9.10.2006 को नवीन पदस्थापन स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था, परन्तु गत भुगतान प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने के कारण उसे अक्टूबर, 2006 से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है जो दिलवाया जावे ।

इस संबंध में आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 9.10.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 19.12.2007 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादिया का गत भुगतान पत्र, सेवापुस्तिका, एस.आई. की पास बुक, एस.आई. की मूल पॉलिसी सं. 986785, जी.पी.एफ. पास बुक एवं निजी पत्रावली भिजवा दी गई है। 14 माह तक विलम्ब होने के संबंध में पत्र दिनांक 4.4.2008 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादिया का तला, बाड़मेर में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत रहते हुए सीधी भर्ती द्वारा ही चूरू मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयन हुआ, परन्तु सीधी भर्ती पर कार्यमुक्त किये जाने पर अंतिम भुगतान पत्र भिजवाने की बाबत नियमों की अनभिज्ञता के कारण उच्चाधिकारियों से मार्गदशन चाहा गया जिसके कारण विलम्ब हो गया । यह भी सूचित किया गया कि परिवादिया को समस्त बकाया वेतन, भत्तों व बोनस का भुगतान कर दिया गया है जिस पर इस प्रकरण को दिनांक 25.4.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ. 5(3)लोआस/2008

यह परिवाद श्री ओम प्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6 डी.डी., अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 30.3.2008 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 31.8.2003 को सेवानिवृत्त हो चुका है परन्तु उसके 1998 से 2003 की अवधि के लगभग 8500/- रूपये के टी.ए. बिलों का भुगतान अभी तक भी नहीं किया गया है जो शीघ्र करवाया जावे।

इस संबंध में आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 29.5.2008 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी पत्राचार के पश्चात् अ0शा0 पत्र दिनांक 29.9.2008 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादी के यात्रा भत्ता बिल राशि रूपये 6453/- उप कोष कार्यालय को पारित करने हेतु भिजवाया जा चुका है जो पारित होते ही उसका भुगतान परिवादी को कर दिया जावेगा । स्वयं परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 16.2.2009 के द्वारा सूचित किया कि उसे बकाया टी.ए. बिलों का भुगतान प्राप्त हो चुका है ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से एक सेवानिवृत्त अध्यापक को लगभग 6 वर्ष से लंबित टी.ए. बिलों का भुगतान कराया गया व सम्पूर्ण वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 6.3.2009 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 5(44)लोआस/2008

यह परिवाद श्री बसन्ती लाल जैन, पूर्व व्याख्याता (गणित), राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 26.8.2008 को चयनित वेतनमान का लाभ दिलाने के संबंध में प्रस्तुत किया । चूँकि परिवाद में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कोई भ्रष्टाचार के आरोप अंकित नहीं थे, इसलिये परिवाद की एक प्रति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 23.9.2008 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने व की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को अवगत कराने हेतु प्रेषित की गई जिसके प्रत्युत्तर में निदेशालय के पत्र दिनांक 12.2.2009 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादी को चयनित वेतनमान कार्यालय आदेश दिनांक 24.12.2008 के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है । पत्र के साथ आदेश की प्रति भी प्रेषित की गई।

रसद विभाग

एफ. 7(21)लोआस/2007

श्री साधोसिंह बिष्ट ने यह परिवाद दिनांक 16.1.2008 को राशन कार्ड में से बेटे का नाम कटवा कर अलग राशन कार्ड बनवाने के संबंध में प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से पत्र दिनांक 4.2.2008 के माध्यम से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में अन्ततोगत्वा पत्र दिनांक 17.9.2008 के द्वारा यह अवगत कराया कि परिवादी के राशनकार्ड संख्या 48 से उसके पुत्र का नाम अलग किया जाकर पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह के नाम से नवीन राशनकार्ड संख्या 701 दिनांक 9.9.2008 को जारी किया जा चुका है। इस प्रकार परिवादी को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 29.9.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

एफ. 8(11)लोआस/2007

यह परिवाद डा. विजय कुमार सोनी, रेडियोलोलिस्ट, फतहपुर रोड, सीकर ने दिनांक 2.8.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने दिनांक 15.12.2003 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करली थी परन्तु उसे माह मार्च, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक के यात्रा भत्ता व चिकित्सा पुनर्भरण के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है । इसके संबंध में उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झूनू व जिला कलेक्टर, झुन्झूनू को कई बार लिखा, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस परिवेदना के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झूनू से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 20.9.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया व काफी पत्राचार के पश्चात् अन्ततोगत्वा पत्र दिनांक 9.5.2008 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी को चिकित्सा बिल राशि रूपये 807/- का भुगतान किया जा चुका है व अंतिम पत्र दिनांक 11.7.2008 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादी को बकाया यात्रा भत्ता बिल राशि रूपये 8886/- दिनांक 19.6.2008 को किया जा चुका है । भुगतान में विलम्ब बिलों के अवधिपार हो जाने के कारण हुआ ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से सेवानिवृत्त कर्मचारी को लगभग चार वर्ष से अधिक समय से लंबित यात्रा व चिकित्सा बिलों का भुगतान कराया गया व सम्पूर्ण वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 5.8.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

विद्युत विभाग

एफ. 10(38)लोआस/2007

श्री भीम सिंह निवासी ग्राम - पोस्ट मई, तहसील नदबई, जिला भरतपुर ने यह परिवाद दिनांक 16.2.2008 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने1 महीने पहिले डिमाण्ड नोटिस के प्रत्युत्तर में घरेलु कनेक्शन के लिए जमाकरा दिये थे, परन्तु उसे कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से पत्र दिनांक 31.3.2008 के माध्यम से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 12.5.2008 के द्वारा यह अवगत कराया कि विद्युत तंत्र स्थापित नहीं होने के कारण कनेक्शन जारी नहीं किया जा सका । अब विद्युत तंत्र स्थापित कर दिया गया है एवं परिवादी को दिनांक 24.4.2008 को कनेक्शन जारी कर दिया गया है । इस प्रकार परिवादी को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 30.5.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ. 10(14)लोआस/2008

परिवादिया श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. श्री घीसा लाल बलाई, मुकाम कवंरासा पोस्ट काजपुरा वाया सांभर लेक, जिला जयपुर ने यह परिवेदना पत्र दिनांक 25.6.2008 को इस आशय का प्रेषित किया कि उसके पति श्री घीसालाल, जो कि सी.सी.ए. के पद पर कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओ एण्ड एम), जयपवुर डिस्कॉम, फागी जिला जयपुर में कार्यरत थे, का स्वर्गवास दिनांक 10.7.2002 को दुर्घटना में हो गया । एफ.आई.आर., पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट मय दस्तावेजात के सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करवा दिये, परन्तु उसे आज तक कोई भुगतान नहीं मिला है जो शीघ्र दिलवाया जावे ।

इस शिकायत के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 8.7.2008 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 11.9.2008 व 15.9.2008 के द्वारा अवगत कराया गया कि मृतक कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना की राशि रूप्ये 2,00,000/- का भुगतान उसकी पत्नी परिवादिया श्रीमती रामेश्वरी देवी को किये जाने की स्वीकृति आदेश दिनांक 9.9.2008 के आदेश द्वारा दी जा कर उक्त राशि का भुगतान चैक संख्या 155421 दिनांक 11.9.2008 के द्वारा किया जा चुका है जिसकी प्राप्ति रसीद भी संलग्न कर भिजवाई गई । भुगतान में 6 वर्ष का विलम्ब किये जाने का कारण यह बताया गया कि काफी प्रयासों के बाद भी विसरा रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ, जिस पर निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिवादिया को बिना विसरा रिपोर्ट के ही सामूहिक बीमा राशि का भुगतान कर दिया जिस पर उसे उक्तानुसार भुगतान किया जा चुका है । विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ।

स्पष्ट है कि इस सचिवालय **के हस्तक्षेप से 6 वर्ष से लंबित सामूहिक बीमा राशि रूपये 2,00,000/- का भुगतान परिवादिया को परिवाद प्रस्तुत करने से लगभग तीन माह की अवधि में ही कर दिया गया ।**

राजस्व विभाग

एफ. 11(145)लोआस/2004

श्री हंसराज मीणा वगैरह निवासी ग्राम भूका, तहसील मलारना डूँगर, जिला सवाईमाधोपुर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि ग्राम की चरागाह भूमि पर किये गये भारी अतिक्रमण को हटवाया जाकर चरागाह को मुक्त करवाया जावे ।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से पत्र दिनांक 11.10.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.4.2008 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम भूका में सन् 2002-2003 में कुल चरागाह भूमि 287 बीघा 5 बिस्वा में से 10.8 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर 98 अतिक्रमियों द्वारा मकान बाड़ा बना कर एवं फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया था जिनके विरूद्ध धारा 91, भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् कार्यवाही की गई जिनमें से 22 प्रभावशाली व्यक्तियों को तीन-तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया तथा सभी अतिक्रमियों पर लगान का 50 गुना पेनेल्टी, फसल नीलामी करके दण्डित किया गया । उक्त कार्यवाही के परिणाम स्वरूप 2003-2004 में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण केवल 40 बीघा पर ही रह गया, इन अतिक्रमियों पर भी नियमानुसारा पेनल्टी फसल की नीलामी एवं बेदखली की कार्यवाही की गई। सन् 2004-2005 में चरागाह भूमि पर 66 बीघा 12 बिस्वा पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया जिनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.12.2004 व दिनांक 25.12.2004 को तहसीलदार, मलारना डूँगर द्वारा ट्रेक्टर चलवा कर व पशु चरवाकर अतिक्रमित भूमि की फसल नष्ट करवादी गई । इसके बाद ग्राम पंचायत, भूका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक

12.1.2004 के संदर्भ में ग्राम पंचायत की मांग पर चरागाह भूमि खसरा नं. 1/1 में से 2 बीघा खसरा नं. 137 में से 3 बीघा, खसरा नं. 185 में से 2 बीघा एवं खसरा नं. 132 में से 1 बीघा -कुल 8 बीघा भूमि, जिस पर मौके पर मकान बाड़े बना कर अतिक्रमण किया हुआ था, को गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तित करने की कार्यवाही के प्रस्ताव तहसीलदार, मलारना डूँगर द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये गये जिस पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 2.8.2007 के द्वारा आबादी में परिवर्तित किया गया । इस प्रकार उक्त आबादी में परिवर्तित की गई भूमि के अतिरिक्त शेष चरागाह की भूमि अतिक्रमण से मुक्त है ।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कर लिये जाने के उपरान्त यह पत्रावली दिनांक 29.5.2008 को नस्तीबद्ध की गई ।

एफ. 11(219)लोआस/2004

परिवादी श्री उमर मोहम्मद ग्राम धानगरी तहसील कामां जिला भरतपुर ने यह परिवाद दिनांक 7.1.2005 को **कब्रिस्तान की भूमि पर से अतिक्रमण हटवाये जाने की प्रार्थना के साथ** प्रस्तुत किया । इस संबंध में जिला कलेक्टर, भरतपुर से पत्र दिनांक 1.6.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 12.5.2008 के द्वारा अवगत कराया कि आराजी खसरा नं. 163 पर कुल 6 अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया जिनके विरूद्ध राजस्थान भूरास्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कुल 6 प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार, कामां के द्वारा दिनांक 28.9.2007 को आदेश पारित कर बेदखली के आदेश दिये गये हैं तथा दिनांक 25.12.2007 को अतिक्रमियों को मौके से बेदखल किया जा चुका है व वर्तमान में कब्रिस्तान खाली है तथा किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है । परिवदी को सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह प्रकरण दिनांक 16.7.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ. 11(133)लोआस/2005

परिवादी श्री मूलचन्द, मिश्री लाल, घुड़मल, रामफूल, सुखजीलाल पुत्र श्री भागीरथ बैरवा निवासी हाल कोटा ने यह परिवाद दिनांक 21.1.2006 को ग्राम कीरपुरा तहसील सवाई माधोपुर की खसरा नं. 559/976/3/1 कुल तीन बीघा एक बिस्वा को **अनधिकृत कब्जे से मुक्त करवाकर कब्जा दिलाने के संबंध में प्रस्तुत किया ।**

इस शिकायत के संबंध में संभागीय आयुक्त, भरतपुर से पत्र दिनांक 25.8.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उनके पत्र दिनांक 15.2.2008 के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम कीरपुरा के खसरा नं. 667/0, 33, 667/876/0.28 पर ग्राम कीरपुरा के जगदीश, बद्री, रामनाथ, रामफूल पिता श्योपाल जाति कीर मौके पर लगभग 50 वर्षो से काबिज हैं । शिकायतकर्ताओं को विवादित भूमि का कब्जा संभलवाने हेतु तहसीलदार, सवाईमाधोपुर के पत्र दिनांक 27.11.2007 के द्वारा नोटिस जारी करने के उपरान्त भी नियत तारीख 15.12.2007 को उपस्थित नहीं हुए जिससे भूमि का कब्जा नहीं संभलवाया जा सका।

तदुपरान्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.7.2008 व संभागीय आयुक्त, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.8.2008 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम कीरपुरा के खसरा नं. 669 रकबा 0.05, 671/864 रकबा 0.022, 667/865 रकबा 0.44 एवं खसरा नं. 668/866 रकबा 0.06 कुल किता 4 रकबा 0.77 का दिनांक 15.3.2008 को सीमाज्ञान करवाया जाकर कब्जा संभलवाया जा चुका है । इस प्रकार परिवादीगण को सम्पूर्ण वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 15.9.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ. 11(152)लोआस/2005

यह परिवाद श्री राम कल्याण नागर निवासी अलीपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां ने दिनांक 28.6.2004 को **फीस जमा करवा दिये जाने के बावजूद भी भूमि का सीमाज्ञान नहीं करावाने के संबंध में प्रस्तुत किया ।** इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, बारां से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 8.10.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 29.2.2008 के द्वारा प्रेषित किया गया एवं अवगत कराया गया कि परिवादी की आराजी खसरा नं. 325 व 326 की पैमाईश दिनांक 8.7.2004 को मौके पर कवाई जाकर सीमाज्ञान करवाया जा चुका था । पुनः दिनांक 17.4.2006 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। पत्र के साथ परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 7.11.2007 की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जिसमें परिवादी ने सीमाज्ञान करवा दिये जाने व अब कोई विवाद न होने की बाबत लिखा है । परिवादी को कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया जो प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह मानते हुए कि परिवादी को सम्पूर्ण वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है, यह परिवाद दिनांक 29.5.2008 को नस्तीबद्ध कर दिया गया ।

एफ. 11(41)लोआस/2006

यह परिवाद श्री बद्री लाल पुत्र श्री बजरंग लाल जाति बैरवा, निवासी नौरंगपुरा, तहसील पीपलू जिला टोंक ने दिनांक 5.8.2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह अनुसूचित जाति का गरीब बी.पी.एल. चयनित परिवार का सदस्य है । उसके पिता जी को उप जिला कलेक्टर, टोंक की **आवंटन पत्रावली सं. 600/75 क्रमांक 61 दिनांक 26.3.1976 के द्वारा ग्राम** नौरंगपुरा के खसरा नं. 45 में से रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी जिसका अभी तक भी राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं किया गया है जो शीघ्र करवाया जावे।

परिवादी द्वारा शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 1.8.2007 के द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.2.2008 व 5.3.2008 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम नौरंगपुरा के खसरा नं. 45 में आवंटित भूमि 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि का अमलदरामद वारिसान के नाम नामान्तरण संख्या 443 दिनांक 16.1.2008 के द्वारा कर दिया गया है । इस पर यह परिवाद दिनांक 21.4.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादी को लगभग 32 साल से वांछित अनुतोष प्राप्त हुआ ।

एफ. 11(171)लोआस/2007

यह परिवाद श्री दुर्गासिंह निवासी जीजी क्वार्टर, सीमेन्ट फैक्ट्री, जिला सवाई माधोपुर ने दिनांक 16.1.2008 को इस बाबत पेश किया कि दिनांक 4.12.2007 को **अज्ञात वाहन से टक्कर मारने से उसके पिता बृजरमण सिंह की मृत्यु हो गई । परिवादी ने प्रार्थना की कि उसे मुख्यमंत्री सहायताकोष से सहायता नहीं दी गई जो दिलाई जावे ।** इस पर जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से पत्र दिनांक 5.2.2008 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 29.9.2008 के द्वारा अवगत कराया गया कि मृतक बृजरमण के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी श्री बृजरमण चौहान को प्रतिकर के रूप में पच्चीस हजार रूपये का भुगतान किये जाने की स्वीकृति आदेश दिनांक 16.9.2008 के द्वारा दी जा चुकी है। पत्र दिनांक 2.2.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती मुन्नी बाई को सहायता राशि का चैक दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी, कोटा से मिला गया है जिसका भुगतान भी उसने बैंक से ले लिया है । पत्र के साथ प्राप्ति की रसीद भी भिजवाई गई। इस प्रकार यह परिवाद सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर दिनांक 17.2.2009 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 11(83)लोआस/2008

श्रीमती सोमादेवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम निवासी जवाहर नगर, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 16.7.2008 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति श्री गोगाराम के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बड़वा तहसील बस्सी जिला जयपुर में खसरा नं. 558 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 535 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा 1/3 हिस्से की स्थित है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन श्री मूला, श्री गोगाराम एवं सेडिया पुत्रान श्री नारायण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । उसके पति स्व. श्री गोगाराम का देहान्त दिनांक 12.8.1991 को हो चुका है । दिनांक 22.3.2007 को नामान्तरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया, परन्तु वारिसान के नाम **से नामान्तरण नहीं खुला है जो खुलवाया जावे ।**

इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 30.7.2008 के द्वारा जिला कलेक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 11.12.2008 के द्वारा सूचित किया कि नामान्तरण संख्या 581 परिवादिया के पति श्री गोगा के वारिसान लालराम, जगदीश, कमलेश, नरेश मुन्ना पुत्रान श्री गोगा, रेखा पुत्री श्री गोगा व सोमा पत्नी श्री गोगा के नाम दर्ज किया जाकर दिनांक 11.11.2008 को नामान्तरण स्वीकृत किया जा चुका है । इस प्रकार परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह पत्रावली दिनांक 4.3.2009 को नस्तीबद्ध की गई ।

पंचायती राज विभाग

एफ. 12(22)लोआस/2005

परिवादिया श्रीमती श्यामा कुमारी सोलंकी पत्नी गोपाल सोलंकी निवासी रायपुर जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद दिनांक 7.5.2005 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री गोपाल सिंह ने **तीन संतान होते हुए भी झूंठा शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ा और आज ग्राम पंचायत, चौथपुर तहसील चित्तौड़गढ़ में उप सरपंच है ।** परिवादिया ने शिकायत की पुष्टि में सुसंगत दस्तावेजात की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की व उसे अयोग्य घोषित किये जाने की प्रार्थना की।

चूँकि सरपंच व उप सरपंच राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2 में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में 'लोकसेवक' की श्रेणी में आते हैं, इसलिये इस प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हुआ । परन्तु आरोपों की प्रामाणिकता को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद की एक प्रति आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 26.5.2007 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई जिसे उनके पत्र दिनांक 11.6.2007 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु संभागीय आयुक्त, अजमेर को भिजवाया गया ।

अंततोगत्वा अवर सचिव (जांच), ग्रामी विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 16.1.2009 के द्वारा संभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश दिनांक 27.11.2007 की फोटो प्रति संलग्न कर यह अवगत कराया कि निर्धारित दिनांक 27.11.1995 के पश्चात् तीसरी संतान होने की पुष्टि होने पर श्री गोपाल सिंह को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (ठ) के अन्तर्गत अपने पद के लिये अपात्र हो जाने से अपने पद के लिये अयोग्य घोषित करते हुए पद रिक्त घोषित कर दिया गया है।

स्थानीय निकाय विभाग

एफ. 16(66)लोआस/2007

परिवादी श्री रतन लाल आर्य, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, बूँदी ने यह परिवाद दिनांक 27.8.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 31.5.2007 को सेवानिवृत्त हो गया था, परन्तु नगरपालिका, बूंदी में बार-बार जाकर मौखिक रूप से निवेदन करने पर भी उसका **पेंशन केस तैयार नहीं किया गया है** जो शीघ्र तैयार करवा जाकर पेंशन व पेंशन परिलाभ दिलाये जावें ।

इस परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, बूँदी से पत्र दिनांक 29.9.2007 के जरिये तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 5.11.2007 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी

का पेंशन प्रकरण दिनांक 25.10.2007 को स्वीकृति हेतु उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा को भिजवा दिया गया है । तत्पश्चात् मामला स्थानीय निकाय विभाग के साथ उठाया गया और अंततः संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 24.1.2008 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 16.1.2008 के द्वारा किया जाकर पी.पी.ओ. संख्या 767531 (आर.एम.) एवं जी.पी.ओ. सं. 768900 (आर) राशि रूपये 170694/- जारी किया जा चुका है जिस पर यह परिवाद वांछित सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर दिनांक 30.4.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ. 16(111)लोआस/2007

परिवादी श्री बनवारी लाल गर्ग, निवासी गंगापोल बाहर, बास बदनपुरा, जयपुर ने यह शिकायत श्री मामराज शर्मा द्वारा दुकान नं. 261, शुभम गारमेन्ट एण्ड फैन्सी स्टोर, गंगापोल के विरूद्ध अपनी **दुकान के आगे रास्ते में अतिक्रमण काउन्टर लगाने के संबंध में प्रस्तुत किया** जिस पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 16.2.2008 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने **पत्र दिनांक 9.4.2008** के द्वारा सूचित किया कि श्री मामराज शर्मा द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 1.3.2008 को हटवा दिया गया है ।

एफ. 16(109)लोआस/2008

परिवादी श्री फैयाज खत्री निवासी वार्ड नं. 23, सीकर ने यह शिकायत दिनांक 8.12.2008 को प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि श्री मुश्ताक खां पुत्र श्री सद्दीक खां कच्छावा ने वार्ड न. 23, अंजूमन गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल के पास में बिना इजाजत आम रास्ते में 5 फुट गुणा 20 फुट का चार फुट ऊंचा चबूतरा बनवा लिया है जिससे आम आदमी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसे हटवाया जावे ।

इस संबंध में आयुक्त, नगर परिषद, सीकर से पत्र दिनांक 31.12.2008 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 10.2.2009 के द्वारा अवगत कराया कि श्री मुश्ताक द्वारा आम रास्ते में बनाये गये चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया है ।

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग

एफ. 31(8)लोआस/2006 व 31(13)लोआस/2006

ये शिकायतें श्री सुवालाल, फोरमैन-प्रथम, बी-18, टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ने दिनांक 6.8.2006 को **संशोधित पेंशन दिलवाने** इत्यादि के संबंध में प्रस्तुत की जिनके संबंध में मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 7.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 19.12.2007 के द्वारा भिजवाया गया जिसमें अवगत कराया गया कि केवल मात्र उपार्जित अवकाशों का समायोजन किये जाने से परिवादी को भुगतान देय होता था जिसका उसे

भुगतान कर दिया गया है अन्य कोई भुगतान या संशोधन का मामला नहीं बनता है जिस यह प्रकरण सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान किया हुआ होना मानते हुए दिनांक 1.5.2008 को नस्तीबद्ध किया गया।

विविध

एफ. 35(31)लोआस/2007

श्रीमती शकुन्तला शर्मा धर्मपत्नी स्व. श्री नत्थूराम शर्मा निवासी 3-घ-6 प्रताप नगर, मनुमार्ग, हाउसिंग बोर्ड, अलवर ने यह परिवाद दिनांक 20.6.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति श्री नत्थूराम शर्मा नगर परिषद, अलवर से इंसपेक्टर के पद से दिनांक 31.8.1992-93 में रिटायर हुए थे, उनका पी.पी.ओ. नं. 921 था, किन्हीं पारिवारिक कारणों से उसका पति के साथ संयुक्त फोटो पेंशन कुलक पर नहीं लगाया गया था । दिनांक 24.11.2006 को उसके पति का देहान्त हो चुका है । उसके द्वारा पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया था जिस पर नगर परिषद द्वारा दिनांक 30.4.2007 को पेंशन विभाग को पारिवारिक पेंशन केस बना कर भिजवा दिया गया था, परन्तु उसे अभी तक पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है ।

इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से पत्र दिनांक 5.7.2007 के माध्यम से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 27.2.2008 के द्वारा यह अवगत कराया कि परिवादिया को पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हो गई है जिसका पीपीओ नम्बर 956 दिनांक 2.12.2007 जारी हो चुका है जिस पर वांछित अनुतोष प्राप्त होना मानते हुए यह परिवाद दिनांक 3.7.2008 को नस्तीबद्ध किया गया।

प्रावधायी निधि विभाग

एफ. 47(4)लोआस/2006

यह परिवाद श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नी स्व. श्री देवी सिंह चौहान ने दिनांक 13.9.2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति श्री देवी सिंह चौहान की आकस्मिक मृत्यु बम्बई में हो जाने के उपरान्त सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय बान्द्रा द्वारा आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को पत्र दिनांक 23.2.2006 से भिजवाये गये थे। उसके द्वारा भी कई पत्र व स्मरण पत्र दिये गये, परन्तु उसे पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

इस पर क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 11.7.2007 के माध्यम से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 12.12.2007 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादिया माउन्ट आबू स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से पेंशन प्राप्त करना चाहती थी । वह क्षेत्र उपक्षेत्रीय

कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि, जोधपुर के अधिकारक्षेत्र में आता है जहां से यह अवगत कराया गया है कि उन्हें पेंशन पेपर दिनांक 2.8.2006 को प्राप्त हुए हैं और पी.पी.ओ. नं. 5852 दिनांक 31.8.2006 को जारी किया गया है । परिवादिया को 41519/- के एरियर का भुगतान तथा दिसम्बर, 2006 तक की 1601/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है । परन्तु चूँकि परिवादिया द्वारा पुनः विवाह नहीं करने व जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिये जनवरी, 2007 से पेंशन रोक दी गई । जैसे ही यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा, पेंशन जारी कर दी जावेगी ।

तत्पश्चात् पत्र दिनांक 25.1.2008 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपर्युक्त प्रमाण पत्र पेश करने पर पेंशनर को माह जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक की पेंशन एरियर राशि रूप्ये 19,212/- तथा माह जनवरी, 2008 की मासिक पेंशन राशि रूपये 1601/- माह फरवरी, 2008 के बी.आर.एस. के माध्यम से भिजवाई जा रही है । तत्पश्चात् पत्र दिनांक 25.4.2008 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को पेंशन राशि लगतार भिजवाई जा रही है ।

इस प्रकार सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान किया हुआ मानते हुए यह परिवाद दिनांक 25.7.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

एफ. 48(4)लोआस/2006

मैसर्स के.बी. एण्ड कम्पनी, मालवीय नगर, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 15.12.2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा प्रधानाचार्य, डाईट, जैसलमेर को बिल संख्या 1247 एवं 1248 दिनांक 21.12.95 द्वारा कुल रूप्ये 50735 रूपये की विज्ञान सामग्री की आपूर्ति की थी । इस राशि के भुगतान पेटे बैंक ड्राफ्ट नं. ओ.एल.डी. 587475 दिनांक 1.1.1996 एस. बी.बी.जे. का बनवाया गया था। प्रधानाचार्य ने अग्रिम रसीद चाही जो भिजवा दी गई, परन्तु आज तक **उन्हें उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है** और न ही डुप्लीकेट ड्राफ्ट ही दिया जा रहा है ।

इस संबंध में इस सचिवालय स्तर पर कार्रवाई की गई व संबंधित कार्यालय से निरन्तर पत्राचार किया गया व अन्ततोगत्वा श्री अशोक कुमार गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, अंचल कार्यालय, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.11.2008 के द्वारा यह अवगत कराया कि जैसलमेर शाखा ने ड्राफ्ट सं. 587475 रूप्ये 50633/- का डुप्लीकेट ड्राफ्ट दिनांक 10.9.2008 को जारी कर प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर को प्रेषित कर दिया है जिस पर यह परिवाद दिनांक 19.12.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

अध्याय-5

भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की शिकायतों पर विभागों की असंवेदनशीलता

पुलिस विभाग

एफ. 3(83)लोआस/2004

यह परिवाद श्री नथूसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी गांव खोद, थाना उदयपुरवाटी हाल भाटीपुरा मकराना, जिला नागौर ने दिनांक 9.7.2004 को लोकसेवक श्री पूर्ण प्रकाश गौड़, तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक, मकराना के विरूद्ध पुलिस थाना, परबतसर के हिस्ट्रीशीटर श्री आशाराम चौधरी को संरक्षण देने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 6.8.2004 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो पुलिस अधीक्षका, पुलिस सतर्कता, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्र दिनांक 16.3.2005 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया । रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर से करवाई गई व पुलिस अधीक्षक, नागौर की टिप्पणी प्राप्त की गई ।

रिपोर्ट के अनुसार वृत्ताधिकारी श्री पी.पी.गौड के श्री आशाराम चौधरी से मधुर संबंध होना व खान संख्या 134 पर श्री गौड़ की शह से आशाराम चौधरी द्वारा फायरिंग करना पाया गया । खान संख्या 134 पर पुलिस फोर्स भेजे जाने, खनन कार्य बन्द करवाये जाने, पत्थर जब्त करवाने आदि के निर्देश भी श्री गौड़ द्वारा दिया जाना पाया गया । यह भी पाया गया कि श्री आशाराम ने स्वयं के मोबाइल फोन से श्री पी.पी.गौड़ से कई बार सम्पर्क किया । अपराध संख्या 191/2004 धारा 147, 148, 447, 307 भारतीय दण्ड संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट में आशाराम का बचाव किया ।

इस प्रकार जांच में यह मामला एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, जिसका प्रथम कर्त्तव्य आम लोगों की सुरक्षा करना व कानून व व्यवस्था को बनाये रखने का होता है, द्वारा हिस्ट्रीशीटर से मिलीभगत करके आतंक फैलाने में उसकी मदद करने व संरक्षण करने का पाया गया । आशा की गई थी उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी, परन्तु काफी पत्राचार के पश्चात् महानिरीक्षक पुलिस (सतर्कता), राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 28.11.2008 के द्वारा अवगत कराया कि **लोकसेवक श्री पी.पी.गौड़, उप अधीक्षक पुलिस के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की गई व लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उसे वार्षिक वेतनवृद्धि दो वर्ष के लिए बिना भविष्य प्रभाव के रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है ।**

पुलिस विभाग की इस कार्रवाई को कदापि **उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि श्री गौड़ को दिया गया दण्ड उसके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों की गंभीरता के अनुपात में अपर्याप्त है । यह दृष्टांत पुलिस विभाग की अपने लोकसेवकों द्वारा पद का दुरूपयोग कर अपराधियों से सांठगांठ करने वाले व उन्हें संरक्षण देने वाले दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध समय पर समुचित कार्रवाई न करने व उनका संरक्षण करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है ।** ऐसे मामलों में तो तुरन्त ही सख्त कदम उठाना चाहिए तभी जाकर इस खतरनाक गठजोड़ को होने से रोका जा सकेगा व अपराधियों पर अंकुश लगाया जाना व आम जनता का विश्वास जीता जाना संभव हो सकेगा ।

एफ. 3(4)लोआस/2008

परिवादिया श्रीमती अमीत कौर पत्नी श्री हंसराज निवासी ग्राम रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ने यह परिवाद दिनांक 25.3.2008 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 17.3.2008 को शाम को प्रार्थिया अपने परिवार के साथ व बाल-बच्चों के साथ रात को अपने घर में सोई हुई थी तब रात्रि करीब 10 बजे टिब्बी पुलिस थाना के थानेदार श्री साहबराम बेनीवाल व तीन सिपाही शराब पिये हुए आये और घर का दरवाजा खुलवा कर जबरदस्ती प्रार्थिया के घर में घुस गये, प्रार्थिया व बच्चों के साथ मारपीट करने लगे, मां-बहिन की गालियां निकाली, प्रार्थिया को पकड़ कर घीसटा, प्रार्थिया के अपाहिज पति के साथ भी मारपीट की व 10,000 रूपयों की मांग की अन्यथा झूँठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी । प्रार्थिया ने दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की ।

इस परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ से पत्र दिनांक 25.4.2008 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 31.5.2008 के द्वारा प्राप्त हुआ । रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से करवाई गई जिसमें **लोकसेवक श्री साहबराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस को शराब का सेवन कर बिना किसी वजह के परिवादीपक्ष के घर पहुंचने तथा अनावश्यक रूप से तंग व परेशान करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया, रूपये मांगने का दोषी नहीं पाया गया ।** रिपोर्ट में लोकसेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने की भी सूचना दी गई । तत्पश्चात् पत्र दिनांक 26.11.2008 के द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 29.8.2008 की प्रति संलग्न करते हुए **यह अवगत कराया गया कि दोषी लोकसेवक के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई, जिसमें लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है ।**

उपर्युक्त विवरण से **स्पष्ट है कि लोकसेवक को जो दण्ड दिया गया है वह उसके द्वारा किये गये दुव्यर्वहार के अनुपात में काफी कम है जो विभाग की आम गरीब जनता के प्रति असंवेदनशीलता व दोषी लोकसेवकों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति का द्योतक है** जिसे कदापि प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता । विभाग की इस लीपापोती की कार्यवाही से आम जनता में

पुलिस के प्रति और अविश्वास ही बढ़ेगा । होना तो यह चाहिए कि ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध त्वरित ढंग से कठोर कदम उठायें जिससे कि आम जनता का पुलिस में विश्वास ही बढ़े ।

शिक्षा विभाग

एफ. 5(3)लोआस/2005

परिवादी श्री उदय सिंह मीणा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आमौली, वैर, भरतपुर ने यह परिवाद दिनांक 29.3.2005 को श्री अतर सिंह, अध्यापक के विरूद्ध **आपराधिक कृत्यों में संलग्न रहने, विद्यालय में अभद्र व्यवहार करने व पोषाहार में गड़बड़ी करने के संबंध में** प्रस्तुत किया था ।

इस शिकायत के संबंध में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 6.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 4.3.2008 के माध्यम से अवगत कराया कि लोकसेवक श्री अतरसिंह के विरूद्ध की गई जांच में दोषी पाये जाने पर उसका स्थानान्तरण पंचायत समिति, बयाना में कर दिया गया है व जांच रिपोर्ट के आधार पर उसके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय कार्यवाही की जा रही है । तत्पश्चात् निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, **राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 9.2.2009 के द्वारा अवगत कराया कि लोकसेवक को पोषाहार में अनियमितता बरतने व सेवा में लापरवाही का दोषी पाये जाने पर दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है । इस दण्ड को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है ।**

एफ. 5(19)लोआस/2007

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री किशनदान आढा, अध्यापक को दिनांक 22.11.1954 को तपेदिक रोग होने से सेवानिवृत्त किया गया था । श्री आढा का देहान्त दिनांक 11.11.1955 को हो गया । उसके बाद उसकी पत्नी श्रीमती बख्तू देवी ने पारिवारिक पेंशन आदि दिये जाने हेतु लगभग 52 वर्ष तक प्रयास किये और अंत में हार-थक कर इस सचिवालय में दिनांक 16.6.2007 को परिवाद दायर किया ।

प्रकरण में सर्वप्रथम निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिनके द्वारा यह सूचित करने पर कि परिवादिया के पारिवारिक पेंशन प्रकरण में अंतिम कार्यवाही पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर द्वारा की जानी है, पेंशन विभाग से जानकारी प्राप्त

की गई और उसके बाद निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान से भी पूर्ण जानकारी मांगी गई जिनके द्वारा यह सूचित किया गया कि परिवादिया पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं है । इस पर विभाग से यह पूछा गया कि जब परिवादिया के स्वर्गीय पति को पेंशन स्वीकृत की गई थी तो फिर उसे पारिवारिक पेंशन देय क्यों नहीं है ? जिसका कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त न होने पर निदेशक, पेंशन विभाग को व्यक्तिशः आहूत किया गया । उन्हें सारा प्रकरण बताया गया जिस पर उन्होंने परिवादिया के प्रकरण में उचित निर्णय लिये जाने हेतु मामला वित्त विभाग को प्रेषित किया गया और अंततोगत्वा प्रमुख शासन सचिव, वित्त ने अपने पत्र क्रमांकः प.10(13)वित्त/राजस्व/09 दिनांक 24.3.2009 के द्वारा सूचित किया कि स्व. श्री किशन दान आढा की पत्नी श्रीमती बगतू बाई को जीवनकालीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार स्वीकृत करदी गई है :-

1. स्व. श्री किशन दान आढा को उनकी जीवनकालीन पेंशन अवधि दिनांक 23.11.1954 से 11.11.1955 तक
2. स्व. श्री किशन दान आढा की पत्नी श्रीमती बगतू बाई को दिनांक 1.4.1988 से अब तक की पारिवारिक पेंशन ।

   उन्होंने यह भी सूचित किया कि श्रीमती बगतू बाई को उक्त पेंशन पेटे राशि रूपये 3,88,930/- का भुगतान करने के दिनांक 19.3.2009 को आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से करीब 55 वर्ष पश्चात् एक विधवा स्त्री, जो कि अब करीब 94 वर्ष की आयु की होगी, को न्याय प्राप्त हुआ ।

एफ. 5(22)लोआस/2007

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री रघुवीर सिंह अध्यापक निवासी ग्राम पोस्ट अनौड़ा, तहसील मांट जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) ने यह परिवाद दिनांक 26.6.2007 को इस आशय का प्रेषित किया कि उसके पति श्री रघुवीर सिंह का राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, ताखा, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर में अध्यापक के पद पर रहते हुए दिनांक 23.2.2005 को निधान हो गया था । उसने अपने बड़े पुत्र श्री त्रिवेन्द्र कुमार का आवेदन पत्र मृतक के आश्रित होने के नाते नौकरी दिलाये जाने हेतु दिनांक 4.4.2005 को निर्धारित समय सीमा में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी-कम-ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, कुम्हेर, जिला भरतपुर के कार्यालय में जमा करा दिया था । परिवादिया ने आरोप लगाया कि लगभग ढाई वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उसे चक्कर लगवाये जा रहे हैं और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है । उसका पुत्र बेरोजगार है और परिवाद की हालत अत्यधिक दयनीय हो गई है । परिवादिया ने प्रार्थना की कि उसके पुत्र को शीघ्र नियुक्ति दिलाई जावे। वह आजीवन आभारी रहेगी ।

परिवाद में आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 1.9.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 18.12.2007 के द्वारा अवगत कराया

कि प्रकरण पंचायत राज से संबंधित है व पंचायत राज कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु उनके कार्यालय के परिपत्र क्रमांकः शिविरा-प्रारं/पं.रा./सी/मृआनि/16904/2001 दिनांक 27.12.2001 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), भरतपुर को निर्देशित किया गया है । पंचायत राज कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति पंचायत राज विभाग के पद रिक्त होने पर जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा दी जानी है । इस पर आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 23.2.2008 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई गई जिसके संदर्भ में उन्होंने अपनी अर्द्धशासकीय टीप क्रमांकः 681 दिनांक 28.8.2008 द्वारा आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर को नियुक्ति हेतु कार्यवाही कर इस सचिवालय को अवगत कराने का लिखते हुए उसकी एक प्रति इस सचिवालय को भी पृष्ठांकित की । आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 28.3.2008 के द्वारा यह पुनः सूचित किया कि परिवादिया के पति पंचायती राज के अधीन अध्यापक पद पर कार्यरत थे । अतः नियुक्ति की कार्रवाई पंचायत राज विभाग के अधीन मंत्रालयिक कर्मचारी के पद रिक्त होने पर वरीयता क्रम से नियमानुसार जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा दी जानी है । इस पर पुनः आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर था जिला परिषद, भरतपुर को पत्र दिनांक 2.5.2008 के द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा गया । शासन उप सचिव (प्रशा.1), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 9.5.2008 के द्वारा पुनः यही सूचित किया कि मामला आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से संबंधित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 9.5.2008 के द्वारा यह सूचित किया कि उन्हें उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 2.5.2008 प्राप्त नहीं हुआ है, शिकायत की प्रति भिजवाई जावे जिस पर उन्हें पत्र दिनांक 3.6.2008 के द्वारा वांछित पत्र की प्रति भिजवाई गई । काफी पत्राचार के पश्चात् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 6.10.2008 के द्वारा अवगत कराया कि जिला स्थापना समिति, जिला परिषद, भरतपुर द्वारा बैठक दिनांक 11.9.2008 से श्री त्रिवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह मृतक आश्रित का कनिष्ठ लिपिक पद हेतु चयन कर नियुक्ति के लिए प्रकरण उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 6116 दिनांक 26.9.2008 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), भरतपुर को भिजवा दिया गया है । इसके पश्चात् परिवादिया ने अपने पत्र दिनांक 7.1.2009 के द्वारा सूचित किया कि उनके पुत्र त्रिवेन्द्र कुमार को जिला स्थापना समिति की मीटिंग दिनांक 11.9.2008 के निर्णय के आधार पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करदी गई है तथा उसके पुत्र ने दिनांक 20.10.2008 को बी.ई.ई.ओ., नदबई, जिला भरतपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । परिवादिया ने यह लिखते हुए आभार भी व्यक्ति किया कि *''श्रीमान् जी ने मेरे पुत्र को नौकरी दिलवाई एवं सहानुभूति दिखाई इसके लिए मैं आजीवन उनकी आभारी रहूंगी।''* इस पर यह पत्रावली दिनांक 30.1.2009 को नस्तीबद्ध की गई ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज विभाग एवं जिला परिषद, भरतपुर ने इस सचिवालय के द्वारा बार-बार लिखे जाने व परिपत्र दिनांक 27.12.2001 में ऐसे मामालों में कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये हुए होने के बावजूद **भी प्रकरण को बार-बार बिना**

कोई कार्यवाही किये ही आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को भेजा जाता रहा जो विभाग के अधिकारियों के बेहद असंवेदशील व गैरजिम्मेदार रवैया को दर्शाता है । इस तरह का रवैया भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को बढ़ावा देता है व आम लोगों में प्रशासन व सरकार की छवि धूमिल होती है । भविष्य में ऐसा न हो, इस संबंध में विचार किया जाना चाहिए व पीड़ित को यथासंभव शीघ्र अनुतोष प्रदान किये जाने की भावना विकसित की जानी चाहिए व अकर्मण्यता एवं गैरजिम्मेदारी के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर संबंधित दोषी लोकसेवकों को भी दण्डित किये जाने पर विचारा किया जाना चाहिए ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

एफ. 8(37)लोआस/2007

यह परिवाद श्री बालकिशन प्रजापति निवासी वार्ड नं. 12, शाखा गली, सिंधी मोहल्ला, भवानी मण्डी, जिला झालावाड़ ने दिनांक 18.2.2008 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि डा. के.के.जुहिया, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), राजकीय चिकित्सालय, भवानीमण्डी, **झालावाड़ को दिनांक 12.1.2008 को पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, झालावाड़ द्वारा 3000/- रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था, परन्तु उक्त चिकित्सक अभी तक अपने पद पर बैठ कर कार्य कर रहा है और परिवादी को बयान बदलने के लिये डरा-धमका रहा है ।** परिवादी ने प्रार्थना की कि डा. जुहिया को तुरन्त निलम्बित करने की कार्यवाही करने की प्रार्थना की ।

इस शिकायत के संबंध में निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 4.3.2008 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 1.4.2008 के प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी द्वारा दिये गये विवरण को सही बताते हुए अंकित किया कि मामले में राज्य सरकार का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् तदनुरूप कार्रवाई की जावेगी । तत्पश्चात् यह मामला शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के साथ उठाया गया जिसके प्रत्युत्तर में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 23.6.2008 के द्वारा आदेश दिनांक 13.5.2008 की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया कि डा. के.के. जुहिया, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), राजकीय चिकित्सालय, भवानीमण्डी, झालावाड़ को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में कर दिया गया है ।

इस प्रकार विभाग द्वारा कार्रवाई कर लिये जाने के पश्चात् यह परिवाद दिनांक 5.7.2008 को नस्तीबद्ध किया गया ।

यह प्रकरण **दर्शाता है कि ट्रेप के मामलों में भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध निलम्बन जैसी कार्रवाई करने में भी इतनी कोताही बरती जा रही है** बल्कि होना तो यह चाहिए कि ऐसे मामलों में निलम्बन की कार्रवाई तो तत्काल की ही जानी चाहिए, साथ ही मामले का परीक्षण कर अभियोजन की स्वीकृति चाहे जाने पर वह भी तत्काल दी जानी चाहिए कि ताकि भ्रष्ट लोकसेवकों को उचित राह दिखाई जा सके और आम जनता में यह विश्वास उत्पन्न हो कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत किये जाने पर सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है ।

राजस्व विभाग

एफ. 11(64)लोआस/2004

यह जिला प्रशासन की **असंवेदनशीलता को दर्शित करने वाला एक ऐसा मामला है जिसमें एक हिस्ट्रीशीटर को रिवॉल्ववर का लाइसेंस दे दिया गया ।**

परिवादी श्री इकबाल सिंह गंभीर निवासी- एफ-114-ए, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 6.10.2004 को प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि श्री रामअवतार रघुवंशी, तत्कालीन जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति विजय कुमार तुतलानी पुत्र श्री मुंशीराम तुतलानी, मकान नं. 161-ए, वार्ड नं. 7, चांदनी चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को रिवॉल्ववर का लाइसेंस नं. 2/2003 दिनांक 27.2.2003 जारी कर दिया जो निरस्त किया जावे तथा श्री रामअवतार के विरूद्ध जांच की जावे ।

इस संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 28.5.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 8.7.2007 एवं 21.11.2007 के द्वारा अवगत कराया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 4.5.2005 के आधार पर जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 24.6.2005 के द्वारा श्री विजय कुमार तुतलानी के नाम से शस्त्र लाइसेन्स नं. 2/2003 निरस्त कर दिया गया है । पत्र दिनांक 15.5.2008 के द्वारा यह भी सूचित किया कि श्री रामअवतार, तत्कालीन जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर दिनांक 31.1.2005 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं । चूँकि लाइसेंस जारी करने हेतु जिम्मेदार लोकसेवक सेवानिवृत्त हो जाने के कारण लोकसेवक लोकसेवक नहीं रहे व प्रश्नगत लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति में यह प्रकरण दिनांक 12.6.2008 को नस्तीबद्ध कर दिया गया ।

एफ. 11(75)लोआस/2003

यह एक ऐसा मामला है जिसमें **नगरपालिका की लापरवाही एवं असंवेदनशीलता का खामियाजा परिवादी को उठाना पड़ा ।**

श्री ओम प्रकाश गोयल निवासी प्लाट नं. 3, बाल मंदिर विस्तार योजना हाल निवासी-पूर्व विधायक श्री हंसराज शर्मा के पास, शहर सवाई माधोपुर ने यह परिवाद दिनांक 26.6.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने दिनांक 15.5.2000 को नगरपालिका, सवाईमाधोपुर से आवासीय योजना 'बाल मंदिर विस्तार' में भूखण्ड संख्या 3 सार्वजनिक नीलामी में रूप्ये 5,06,127.00 में क्रय किया था व रजिस्टर्ड पट्टा प्राप्त कर दिनांक 20.6.2003 को निर्माण हेतु नींव खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया तब दिनांक 21.6.2003 को सुबह श्री ओम प्रकाश शर्मा, पटवारी ने आकर काम तुरन्त बन्द करने व कार्य होने देने के लिए 5000 रूपये की मांग और नहीं देने पर निर्माण नहीं होने देने की धमकी दी और वापिस चला गया । दिनांक 23.6.2003 को परिवादी पर दो नोटिस तामील करवा दिये । इस पर जब परिवादी नगरपालिका जाकर तहसील से प्राप्त नोटिसों की जानकारी देने गया तो उसे निमार्ण जारी रखने को कहा गया । परिवादी का आगे कथन है कि दिनांक 24.6.2003 को उक्त भूखण्ड पर मजदूर कार्य रहे थे तो पटवारी श्री ओम प्रकाश श्र्मा आया और कार्य तुरन्त बंद करने को कहा और धमकी दी कि यदि कार्य करना है तो उसे 5000 रूपये तथा 5000 रूप्ये तहसीलदार के लिये दे अन्यथा जेल की हवा खिला देगा । इस परिवादी ने भ्रष्ट व असभ्य पटवारी के विरूद्ध कार्रवाई कर दण्डित करने की प्रार्थना की ।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 7.7.2003 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 2003 के द्वारा प्रेषित किया गया जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया कि जांच के उपरान्त यह तथ्य आया है कि परिवादी द्वारा नरगपालिका की आवासीय योजना 'बाल मंदिर विस्तार' में लिया गया भूखण्ड राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर के द्वारा स्टे जारी किया हुआ है। अत: पटवारी के विरूद्ध की गई शिकायत निराधार एवं तथ्यहीन है। अपने पत्र दिनांक 28.8.2004 **के द्वारा यह भी सूचित किया कि सिवायचक भूमि पर भूखण्ड काटने की कार्यवाही करने के लिए तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री राकेश शर्मा तथा श्री इकरामुद्दीन, वरिष्ठ लिपिक व श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन, वरिष्ठ लिपिक दोषी है ।**

इस पर यह मामला निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के साथ उठाया गया जिन्होंने काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् पत्र दिनांक 31.1.2008 के द्वारा अवगत कराया कि **श्री राकेश शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सवाईमाधोपुर को दो वार्षिक वेतनवृद्धि एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन, वरिष्ठ लिपिक को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है । निश्चय ही अपकृत्य को देखते हुए दण्ड को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है ।** पत्र दिनांक 18.2.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री इकरामुद्दीन, वरिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सवाईमाधोपुर को जांच में दोषी नहीं पाया गया है। इस पर यह प्रकरण दिनांक 24.2.2009 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ. 11(198)लोआस/2003

परिवादी श्री शिवचरण लाल तिवारी निवासी डी-158, हनुमान नगर, आम्रपाली मार्ग, जयपुर ने यह परिवाद उसके पड़ौसी श्री यशपाल शर्मा, तत्कालीन एडीशनल एस.पी., बूँदी के विरूद्ध परिवादी की पुत्री कुमारी मृदुलिका तिवारी का श्री बी.एल.यादव, तत्कालीन एस.डी.एम., कोटा से कोटा के गलत पते के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर मॉरीशस निवासी अपने साले श्री श्यामकुमार दस्सी के साथ मॉरिशस भगाने में मदद करने के संबंध में दिनांक 11.11.2003 को प्रस्तुत किया व जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराने की प्रार्थना की ।

इस शिकायत के संबंध में पुलिस महानिदेशक, राजस्थान से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 19.11.2003 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो पत्र दिनांक 19.12.2003 के द्वारा प्राप्त हुई । तथ्यात्मक रिपोर्ट में आरोप को सारवान पाये जाने पर श्री यशपाल शर्मा के विरूद्ध राज्य सरकार के आदेशानुसार विभागीय कार्रवाई करने बाबत सूचित किया गया ।

काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् अन्ततोगत्वा शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 18.12.2008 के साथ दण्डदेश दिनांक 23.5.2008 की प्रति संलग्न करते हुए यह अवगत कराया गया कि लोकसेवक श्री यशपाल शर्मा, आर.पी.एस. के विरूद्ध 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय जांच की गई जिसमें कुमारी मृदुलिका के पास पूर्व में पासपोर्ट होने के बावजूद तत्काल स्कीम के तहत् नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किये जाने, आवेदन में पहिले से मौजूद पासपोर्ट का तथ्य छुपाने, कुमारी मृदुलिका के जयपुर निवास कर रहे होने के बावजूद भी कोटा स्थिति सरकारी निवास का पता अंकित करने, तत्कालीन एस.डी.एम. कोटा श्री बी.एल.यादव से तथ्य छुपाकर आवेदन पत्र पर वेरीफिकेशन करवाने के गैरकानूनी कार्य करने में सहायोग प्रदान करने के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री यशपाल शर्मा को **एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से** रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया । **लोकसेवक के कृत्य को देखते हुए लगाई गई शास्ती को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।**

इस प्रकार **इस सचिवालय के हस्तक्षेप से दोषी लोकसेवक को दण्डित कराये जाने के पश्चात्** यह प्रकरण दिनांक 19.1.2009 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ. 11(191)लोआस/2004

यह परिवाद श्री नन्दकिशोर एवं गोकुल चन्द सोनी निवासी टमकोर, जिला झुन्झूनू ने इस आशय का प्रेषित किया कि उसने व उसके भाई ओम प्रकाश ने संयुक्त रूप से निजी कृषि की भूमि खसरा नं. 59/3 रकबा 3.5 बीघा ग्राम ब्राह्मणों की ढाणी तन हमीरा कलां, झुन्झूनू में से 2000 वर्गमीटर निजी भूमि कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन भूराजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम, 1992 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र पटवारी

हलका के द्वारा तहसील झुन्झूनू में दिनांक 1.8.2003 को प्रस्तुत किया गया था । चूँकि परिवादीगण ने 2000 वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन चाहा था तथा तहसीलदार को सिर्फ 1000 वर्गमीटर का ही संपरिवर्तन करने का अधिकार था, इसलिए उन्होंने उक्त प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ., झुन्झूनू को भिजवा दिया । जब परिवादी पत्रावली की जानकारी करने एस.डी.ओ., झुन्झूनू के कार्यालय में गया तो उनके पी.ए. से कहा कि 5000 रूपये लगेंगे । जब खुद एस.डी.ओ., झुन्झूनू से मिला तो उन्होंने भी टालमटोल कर प्रत्युत्तर दिया तथा पत्रावली को वापिस तहसील में यह लिख कर लौटा दिया कि इसके साथ सरपंच, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है जबकि उपरोक्त संपरिवर्तन नियमों के अन्तर्गत सरपंच के ऐसे किसी प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उक्त संपरिवर्तन नियम, 1992 के नियम 8(2) के अनुसार 30 दिवस में इस पर निर्णय किया जाना जरूरी है ।

परिवादी ने आगे कथन किया कि उसने जिला कलेक्टर, झुन्झूनू के समक्ष प्रस्तुत होकर दिनिांक 24.12.2003 को इसकी शिकायत की तब जिला कलेक्टर ने अपने पत्र सं. 815/1463 दिनांक 15.1.2004 द्वारा सतर्कता समिति में परिवाद संख्या 14 दर्ज कर तहसीलदार, झुन्झूनू से समुचित कार्यवाही करने का आदेश दिया। तहसीलदार, झुन्झुनू ने पुनः पत्रावली एस.डी.ओ., झून्झूनू के यहां भिजवादी जहां परिवादी से संपरिवर्तन के लिये वांछित राशि रूपये 2000/- जरिये चालान दिनांक 22.7.2004 को जमा करवा लिये गये । इसके उपरान्त भी एस.डी.ओ. के द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया और जब परिवादी व्यक्तिशः जाकर मिला तो उन्होंने टालमटोल कर बाबू से मिलने को कहा जिसने परिवादी से फिर 5000 रूपये मांगे । परिवादी ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की तो एस.डी.ओ. ने इससे नाराज होकर अपने निर्णय दिनांक 30.10.2004 के अनुसार परिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.8.2003 को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया । इस प्रकार एस.डी.ओ., झुन्झूनू ने परिवादी के प्रार्थना को जानबूझ कर लम्बे समय तक लटकाया, उसके निस्तारण हेतु रिश्वत चाही गई व शिकायत करने पर उसे निरस्त कर दिया ।

इस पर जिला कलेक्टर, झुन्झूनू से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 29.5.2007 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया व काफी पत्राचार के बाद लगभग 8 माह बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर, झुन्झूनू ने अपने पत्र कमांकः पीए/पीजी-3643 दिनांक 24.1.2008 द्वारा अवगत कराया कि परिवाद की जांच अपर जिला कलेटर, झुन्झूनू द्वारा करवाई गई जिसके अनुसार परिवादी ने कोई दस्तावेज या अन्य सबूत पेश नहीं किये व उसका संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र नियमानुसार खारिज किया गया तथा रिश्वत मांगने की बात साबित नहीं होती है। इस पर अपर जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट तलब की गई जो जिला कलेक्टर के पत्र दिनांक 21.4.2008 द्वारा संलग्न कर प्रेषित की गई । तत्पश्चात् जिला कलेक्टर, झुन्झूनू से पत्र दिनांक 9.5.2008 के द्वारा निम्न तीन बिन्दुओं के संबंध में जवाब मांगा गयाः-

1. क्या संपरिवर्तन के प्रचलित नियमों के अनुसार एस.डी.ओ., झुन्झूनू को प्रकरण में वर्णित भूमि के संपरिवर्तन हेतु सरपंच का प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता थी ? यदि हां, तो संबंधित नियमों की प्रति भिजवावें ।

2. एस.डी.ओ. द्वारा प्रार्थी के संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कितने दिवस में उस प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया गया ?
3. प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के पश्चात् यदि उक्त प्रार्थना पत्र पर एस.डी. ओ. द्वारा निर्णय लिया गया था, तो क्या उसे ऐसा निर्ण करने का अधिकार था ? यदि हां तो किन नियमों के तहत् ? यदि निर्णय करने का अधिकार नहीं था तो ऐसा निर्णय करने की क्या परिस्थितियां व कारण रहे, स्पष्ट करें।

जिला कलेक्टर ने अपने पत्र क्रमांकः पी.ए./पी.जी.-3643 दिनांक 31.5.2008 द्वारा अवगत कराया कि-

1. संपरिवर्तन के प्रचलित नियमों में सरपंच का प्रमाण पत्र मांगना आवश्यक नहीं था । परन्तु परिपत्र दिनांक 17.5.1994 के द्वारा संपरिवर्तन से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने बाबत समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे ।
2. एस.डी.ओ. द्वारा निर्णय लेने में 1 वर्ष 2 माह का समय लिया गया ।
3. एस.डी.ओ. द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर 30 दिवस के पश्चात् निर्णय लिया गया था जबकि उन्हें 30 दिवस के पश्चात् निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। नियमानुसार उन्हें 30 दिवस की कालावधि में कार्यवाही न किये जाने कारण सहित 10 दिन के भीतर अपने से ठीक अगले उच्च अधिकारी के आदेश पारित करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने का प्रावधान है ।

अतः यह **निष्कर्ष निकाला जाना अनुचित न होगा कि अपर जिला कलेक्टर, झुन्झूनू, जिनसे जिला कलेक्टर, झून्झूनू ने उक्त शिकायत की जांच करवाई, ने दोषियों को बचाने हेतु लीपापोती करके जांच रिपोर्ट 22.1.2008 तैयार की जिसके आधार पर** जिला कलेक्टर ने बिना उसका अपने स्तर पर कोई परीक्षण एवं विवेचन किये ही अपनी रिपोर्ट इस सचिवालय को प्रेषित की । जिला कलेक्टर के **पत्र दिनांक 31.5.2008 द्वारा दिये गये बिन्दुवार उक्त जवाब से स्पष्ट है कि एस.डी.ओ, झुन्झूनू द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दुर्भावनापूर्वक व भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित होकर कार्यवाही की गई ।**

ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर धारा 10 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये लोकसेवकों के विरूद्ध दिनांक 21.6.2008 को अन्वेषण प्रारंभ किये जाने का आदेश दिया गया । अन्वेषण वर्तमान में विचाराधीन है।

एफ. 11(143)लोआस/2007

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह, पार्षद, निवासी मोहल्ला चौधरियान, पिड़ावा, जिला झालावाड़ ने यह परिवाद दिनांक 12.12.2007 को इस आशय का प्रेषित किया कि महाप्रबन्धक, जिला दूरसंचार, जयपुर ने पत्र क्रमांकः आई.एन.वी./37/1306/सी.डी.एल./26 दिनांक **30.5.1995** के द्वारा बाकीदार पूर्व मंत्री श्री नफीस अहमद खां निवासी बगीची, पिड़ावा से भूराजस्व की बकाया के

रूप में एक लाख चार सौ ग्यारह रूप्ये वसूल करने का पत्र जिला कलेक्टर, झालावाड़ को लिखा था जिस पर जिला कलेक्टर ने उनके पत्र क्रमांकः डी.आर.ए./95/1693 दिनांक 13.6. 1995 से वसूली हेतु उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ को लिखा, परन्तु करीब 12 साल 6 महीने से ये तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा बाकीदार से आपराधिक षड़यंत्र कर वसूली नहीं कर रहे हैं । यही नहीं आज तक बाकीदार की कोई चल अचल सम्पत्ति कुर्क नहीं की जा रही है । यह भी आरोप लगाया कि हिम्मत सिंह बारेठ ने तो बाकीदार के ग्राम बठखेड़ा की लगानी जमीन, जो कि चवली सिंचाई परियोजना में कैनाल में चली गई थी, की मुआवजा राशि का चैक भी बाकीदार से आपराधिक सांठगांठ कर दिनांक 26.6.2006 को शपथ पत्र लेकर बाकीदार को दे दिया । बाकीदार से न तो बकाय राशि वसूल नहीं की और न ही झूठे शपथपत्र पर कोई कानूनी कार्रवाई की । परिवादी ने राजकोष को हानि पहुंचाने वाले सभी अपराधियों के विरूद्ध सी.बी.आई., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस में मुकदमादर्ज करवाने व विभागीय कार्रवाई कर सख्त सजा दिलवाने की प्रार्थना की ।

उपर्युक्त परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, झालावाड़ से पत्र दिनांक 30.4.2008 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 23.5.2008 के द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में परिवाद में लगाये गये आरोपों की पुष्टि करते हुए लेखाधिकारी, राजस्व, कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला दूर संचार, जयपुर द्वारा जारी श्री नफीस अहमद खां, ग्राम पिड़ावा से टेलीफोन की बकाया राशि रू. 100411/- की वसूली हेतु एल.आर. एक्ट के तहत् आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसे उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ को वसूली कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था । उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा बाकीदार को नोटिस जारी किया गया जिसमें दिनांक 23.7.1995 तक बकाया राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में बाकीदार की चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा तहसीलदार, पिड़ावा से मांगा गया । इस बीच श्री नफीस अहमद ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें आवंटित टेलीफोन नं. 371306 बी 1 सी-स्कीम से 11 विधायकपुरी में स्थानान्तरित करने हेतु दूरसंचार विभाग को निवेदन किया गया था लेकिन टेलीफोन दूरसंचार विभाग द्वारा स्थानान्तरित नहीं किये जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को पत्र लिख कर टेलीफोन कटवा दिया था । फिर भी दूरसंचार विभाग द्वारा 100411/- की वसूली निकाल दी गई । प्रार्थी ने दूरसंचार विभाग में अपील करने हेतु समय दिये जाने की मांग की । उक्त स्थिति में दूरसंचार विभाग से जानकारी चाहे जाने पर मुख्य लेखाधिकारी (टी.आर.), दूरसंचार, जयपुर के पत्र दिनांक 12.7.1996 से अवगत कराया गया कि देय बकाया राशि सही निकाली गई है । वसूली कार्रवाई जारी रखी जावे । इस पर उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा पुनः वसूली कार्यवाही प्रारंभ कर चल चल सम्पत्ति कुर्की वारंट जारी किये गये । बाकीदार ने दिनांक 5.12.2005 को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त राशि की वसूली रूकवाने की प्रार्थना की गई जिसके प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री कार्यालय को दिनांक 19.12.2005 को वसूली की कार्रवाई सही होने की बाबत जानकारी प्रेषित की गई । तथ्यात्मक प्रतिवेदन में यह भी अवगत कराया गया कि नवसृजित उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा को स्थानान्तरित किया जाकर ग्राम भटखेड़ा में माइनर के मुआवजे के चैक, जो बाकीदार व उसके परिवार के सदस्यों के नाम थे, वसूली के लिये रोक लिये गये । बाकीदार द्वारा दिनांक 26.6.2006 को 17000/- रूपये नकद जमा कराकर शपथ पत्र

प्रस्तुत किया गया कि शेष राशि हर रबी व खरीफ की फसलों के समय 15000 रूपये की किश्तों में जमा करा दी जावेगी । परन्तु बाकीदार द्वारा शपथ पत्र के अनुसार राशि जमा नहीं कराई गई । इस क्रम में बाकीदार के विरूद्ध शेष राशि की वसूली हेतु ठोस व प्रभावी कार्रवाई बाबत उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 26.12.2007 के अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा हिदायत दी गई । तथ्यात्मक रिपोर्ट में बाकीदार से आपराधिक सांठगांठ करने व पद का दुरूपयोग करने के आरोप को गलत बताया गया । तथ्यात्मक रिपोर्ट में शेष राशि 83,411/- की वसूली यथाशीघ्र कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया ।

इसके पश्चात् जिला कलेक्टर, झालावाड़ ने अपने पत्र दिनांक 12.1.2009 के द्वारा अवगत कराया कि बाकीदार श्री नफीस अहमद खां से राशि रूपये 37000/- वसूल कर विभाग को भिजवाये जाने के पश्चात् रूपये 63411/- शेष रहे । तत्पश्चात् बाकीदार द्वारा दूरसंचार विभाग, जिला जयपुर से सम्पर्क करने पर समझौता योजना के अन्तर्गत दूर संचार विभाग ने रूपये 63411/- के स्थान पर रूपये 46,943/- दो किश्तों में जमा कराने का निर्णय लिया । समझौतानुसार श्री नफीस द्वारा रूपये 46,943/- दो किश्तों में जमा करा दिये गये, जिसके फलस्वरूप लेखाधिकारी (केन्द्रीय), भारत संचार निगम लिमिटेड, कार्यालय जी.एम.टी.डी., जयपुर द्वारा बाकीदार को अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इस प्रकार वसूली की कार्यवाही पूर्ण की जाकर समाप्त करदी गई है । पत्र के साथ अदेयता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी प्रेषित की गई ।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन में आये तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जाना अनुचित न होगा कि जिला प्रशासन, झालावाड द्वारा **पूर्व मंत्री श्री नफीस अहमद खां के प्रभाव में आकर व उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से** उनके विरूद्ध 30.5.1995 से लेकर इस सचिवालय में परिवाद प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 12.12.2007 तक यानि **लगभग साढे 12 वर्ष तक वसूली की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई व मामले को येनकेन प्रकारेण लटकाये रखा गया, जिसे कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। भारत में कानून का शासन है और कानून से ऊपर कोई नहीं है ।** सभी सरकारी विभागों व एजेन्सियों को कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए । चूँकि मामला काफी पुराना हो चुका है व **इस सचिवालय के हस्तक्षेप से अब रूपये 83943/- की वसूली की जा चुकी है**, इसलिये इस प्रकरण को दिनांक 23.1.2009 को समाप्त किया गया ।

स्थानीय निकाय विभाग

एफ. 16(215)लोआस/2002

परिवादी श्री श्याम लाल गुप्ता, निवासी ए-11, मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली ने यह परिवाद दिनांक 30.11.2002 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमती चन्द्रकला देवी पत्नी श्री बाबू लाल गुप्ता, निवासी हिण्डौन सिटी ने नगरपालिका, हिण्डौन के कर्मचारियों से साज कर व्यावसायिक प्रयोजन में ली जा रही भूमि का आवासीय उपयोग हेतु पट्टा जारी

करवा लिया है जिससे नगरपालिका व राज्य सरकार को लाखों रूपयों की आर्थिक हानि हुई है । इस पर जिला कलेक्टर, करौली से तथ्यात्मक प्रतिवेदन व परिवादी द्वारा प्रतिवेदन का अवलोकन कर प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर पुनः टिप्पणी मांगी गई । दोनों पक्षों को भी सुना गया ।

जिला कलेक्टर, करौली ने अपने पत्र दिनांक 19.5.2004 के द्वारा जो टिप्पणी प्रस्तुत की वह निम्नानुसार है :-

1. श्रीमती चन्द्रकला देवी द्वारा दिनांक 11.2.2002 को आवासीय परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र 9 बिस्वा का पेश किया गया जिसके 1361.25 वर्गगज बनते हैं। सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.2.2002 में 1422.3 वर्गगज का क्षेत्रफल व मौके पर भवन बना हुआ होना अंकित किया । इस प्रकार नगरपालिका द्वारा 61.08 वर्गगज की अधिक भूमि का पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना कर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया ।
2. श्रीमती चन्द्रकला देवी द्वारा पट्टे के लिए आवेदन करने से पूर्व ही उक्त भवन में विद्यालय संचालित कर रखा था जिसा माह 7/2001 से पूर्व 10,000/- रूपये किराया निर्धारित था एवं दिनांक 27.11.2001 को लिखे गये किरायेनामे के अनुसार 7/2001 से 15000/- रूपये मासिक किराया निर्धारित किया गया । इससे स्पष्ट है कि आवासीय भवन का किराये पर देकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जारहा था । विद्यालय पट्टा जारी करने से पूर्व से ही लम्बे अरसे से संचालित था लेकिन इस तथ्य को सर्वेयर द्वारा छिपाया जाकर आवासीय पट्टा जारी करने में सहयोग किया गया ।
3. नगरपालिका द्वारा 61.08 वर्गगज अधिक भूमि का पट्टा नियमविरूद्ध तरीके से जारी किया गया था जिसकी परिवादी द्वारा शिकायत किये जाने पर दिनांक 21.2.2003 को अन्तर राशि रूपये 2290.00 श्रीमती चन्द्रकला देवी से जमा कराये गये जिससे स्पष्ट है कि नगरपालिका की अनदेखी से अतिक्रमणशुदा रकबे का कभी पट्टा जारी किया गया जो संदेह की परिधि में आता है।
4. श्रीमती चन्द्रकला देवी द्वारा धारा 6 का उल्लंघन कर बिना नक्श पास कराये ही भवन कर निर्माण करवाया गया ।

जिला कलेक्टर, करौली ने अपने पत्र दिनांक 5.8.2004 के द्वारा यह भी सूचित किया कि प्रकरण में तथ्य छिपाने हेतु श्री विनोद कुमार शर्मा, सर्वेयर, नगरपालिका, हिण्डौन सिटी दोषी है । इस पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर व तत्पश्चात् निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर को लिखा गया । काफी पत्राचार के उपरान्त आयुक्त, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 7.11.2008 के द्वारा अवगत कराया कि श्री विनोद शर्मा को उसके विरूद्ध 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत जांच की गई जिसमें उसे भविष्य में स्पष्ट रूप से रिपोर्ट किये जाने की लिखित चेतावनी दी जा चुकी हे ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि **श्री विनोद कुमार शर्मा, सर्वेयर ने पार्टी से मिलीभगत करके अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को छिपा कर पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने में सहयोग किया, परन्तु उसे जांच की औपचारिकता पूरी करते हुए केवल लिखित चेतावनी देकर कार्यवाही समाप्त करदी गई जो आरोपों की गंभीरता के अनुपात में न के बराबर है ।** सक्षम प्राधिकारी की इस कार्यवाही को कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । एक तो उनके द्वारा प्रकरण जानकारी में आते ही कार्यवाही नहीं की गई और दूसरे जो आधी-अधूरी कार्यवाही की गई उसे किये जाने में भी **लगभग 6 वर्ष का समय लगा दिया गया ।** इससे आम जनता में गलत संदेश जायेगा व लोकसेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग पर रोक लगाया जाना संभव नहीं हो सकेगा ।

एफ. 16(33)लोआस/2007

परिवादी श्री गोरधन नाई, मनोनीत पार्षद, नगरपालिका, राजगढ़ चूरू ने यह परिवाद इस आशय का प्रेषित किया कि नगरपालिका, राजगढ़, जिला चूरू में कार्यरत भूमि शाखा लिपिक इन्द्रसिंह धूंवा एवं कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी श्री मोहन लाल गोदारा द्वारा षडयंत्रपूर्वक पालिका की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करवाकर मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर पट्टा दिया जा रहा है जिसके संबंध में भूमि नियमन बाबत पत्रावली संख्या 38 दिनांक 1.12.2006 से उनवानी मुमताज खां पुत्र गनी खां तेली वार्ड नं. 30 गुसाइयांन समाधि के पास, राजगढ़ चूरू के नाम से जैरकार करवाई गई है । इस पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 30.8.2007 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी पत्राचार के पश्चात् निदेशक ने अपने पत्र क्रमांकः प 2(क)(342)लोका/जांच/डीएलबी/ 2007/160 दिनांक 28.1.2008 द्वारा अवगत कराया कि क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार अधिशाषी अधिकारी एवं कनिष्ट लिपिक, नगर पालिका, राजगढ़, जिला चूरू द्वारा किसी प्रकार के नियमन की कार्यवाही नहीं की गई है । नगरपालिका द्वारा उक्त प्रकरण में पट्टा जारी करने की कार्यवाही भी नहीं की गई है ।

उक्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई क्षेत्रीय उप निदेशक की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित हुआ कि मुमताज खां ने आवेदन पेश कर भूमि का नियमन/पट्टा चाहा था जिस पर अधिशाषी अधिकारी के द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया तथा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर कनिष्ठ लिपिक श्री इन्द्रसिंह को मौका जांच एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। इससे स्पष्ट हुआ कि निदेशक द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी/जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट का परीक्षण किये बिना ही केवल मात्र अपने हस्ताक्षर कर इस सचिवालय को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित किया है। इस पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को स्थिति स्पष्ट करने हेतु दिनांक 15.4.2008 को व्यक्तिशः आहूत किया गया जिन्होंने व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की जिस पर उन्हें दिनांक 28.5.2008 तक का समय प्रदान किया गया ।

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः प.2(क)(342)लोका/जांच/डीएलबी/2007/1174 दिनांक 26.5.2008 द्वारा यह सूचित किया कि प्रकरण से संबंधित पत्रावली तलब की जाकर उसका परीक्षण किया गया जिसके यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रकरण मेंश नियमन/पट्टा आदि जारी किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, परन्तु श्री मुमताज खां पुत्र गनी खां तेली वार्ड नं. 30 द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी एवं संबंधित भूमि शाखा लिपिक, नगरपालिका, राजगढ़, जिला चूरू के द्वारा प्रकरण को नियमित कराने की टिप्पणी कर पत्रावली अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई है । अतः श्री मोहन लाल गोदारा, तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी एवं श्री इन्द्र सिंह धुवां, लिपिक, नगरपालिका, राजगढ़, जिला चूरू के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जाकर आरोपत्र पत्र जारी कर दिये गये है। इस पर **दिनांक 2.6.2008** को इस प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर बंद किया गया ।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि **कुछ अधिकारीगण द्वारा किस प्रकार से बिना कोई ध्यान दिये तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस सचिवालय को प्रेषित किये जाते हैं ।**

सिंचाई विभाग

एफ. 24(7)लोआस/2004

सेवानिवृत्त पटवारीगण सर्वश्री हंसराज भाटी, मनोहर लाल, काला सिंह, ताराचन्द वर्मा व बलदेव सिंह ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वे पूर्व में सिंचाई विभाग, उत्तर जोन, हनुमानगढ़ के अधीनस्थ अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, इंन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर में पटवारी के पद पर नियुक्त थे । राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 1.3.2002 के द्वारा अधिशेष कर राजस्व विभाग में समायोजित कर दिया । जब वे **सिंचाई विभाग में कार्यरत थे, तो उस अवधि में उनके यात्रा भत्ता के बिल काफी समय से बकाया पड़े थे जिनका भुगतान बार-बार निवेदन करने पर भी बजट न होने का बहाना बना कर नहीं किया जा रहा है,** जिनका भुगतान कराया जावे ।

इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई उत्तर, हनुमानगढ़ से पत्र दिनांक 12.9.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसका उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया । इसके पश्चात् स्मरण पत्र व अर्द्धशासकीय पत्र लिखे जाने के बावजूद भी कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । तत्पश्चात् मुख्य अभियन्ता को जरिये सम्मन व्यक्तिशः आहूत किये जाने पर पत्र दिनांक 10.6. 2008 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि बकाया यात्रा भत्तों के भुगतान हेतु स्वीकृत बजट के अतिरिक्त बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु विशेष बजट आवंटन हेतु वित्त विभाग को निवेदन किया गया है । बजट उपलब्ध होते ही बकाया यात्रा भत्तों का भुगतान कर दिया जावेगा । पत्र दिनांक 14.6.2008 के द्वारा सूचित किया गया कि श्री बलदेव सिंह के 21918/-, हंसराज भाटी के 26884/- रूपये, श्री मनोहर लाल के 13469/- रूपये, श्री काला सिंह के 18601/- रूपये तथा श्री ताराचन्द वर्मा के 29199/- रूपये के यात्रा भत्ता बिल

बकाया हैं । अन्ततोगत्वा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़ संगम ने अपने पत्र दिनांक 20.1.2009 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त सेवानिवृत्त पटवारियों को बकाया यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान माह जून, 2008 में कर दिया गया है । इस पर यह प्रकरण दिनांक 9.2.2009 को नस्तीबद्ध किया गया ।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि **सिंचाई विभाग की असंवेदनशीलता व लापरवाही के कारण उक्त सेवानिवृत्त पटवारीगण के बकाया यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान के लिये समय पर बजट आवंटित कराने व भुगतान कराने की कोई कार्रवाई समय पर नहीं की गई व इस सचिवालय के हस्तक्षेप के पश्चात् ही लगभग 6 वर्ष पश्चात् भुगतान किया गया** जिसे कदापि उचित नहीं कहा जा सकता ।

विविध

एफ. 35(67)लोआस/2001

यह परिवाद श्री महादेव प्रसाद गर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं अंशधारक, पुरानी आबादी, आदर्श टॉकीज रोड, श्रीगंगानगर ने दिनांक 3.10.2001 को प्रेषित कर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जयपुर में देशी मदिरा की भरी बोतलों पर सील लगाने हेतु ऊंची कीमतों पर पी.पी.सील क्रय कर मिल को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने आरोप लगाया । परिवादी द्वारा शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर परिवाद दिनांक 3.5.2002 को नस्तीबद्ध कर दिया गया और इसकी सूचना परिवादी को प्रेषित की गई जिस पर परिवादी ने दिनांक 1.6.2002 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर शपथ पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण वर्णित करते हुए परिवाद को पुनः खोले जाने की प्रार्थना की जिस पर परिवाद पुनः खोले जाने के आदेश दिये गये व परिवाद में लगाये गये आरोपों के संबंध में महाप्रबन्धक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, सहकार भवन, जयपुर से पत्र दिनांक 4.7.2002 के जरिये तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

महाप्रबन्धक **द्वारा अपने पत्र दिनांक 3.9.2002 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में परिवाद में लगाये गये आरोपों को निराधार बताया गया ।** परिवादी द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन का अवलोकन कर आपत्ति प्रस्तुत कर अपने आरोपों को दोहराया गया । ऐसी स्थिति में प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 27.12.2002 के द्वारा परिवाद, **तथ्यात्मक रिपोर्ट व परिवादी की आपत्तियों को प्रेषित कर इसकी जांच किसी वरिष्ठ लेखाधिकारी से करवाकर मय टिप्पणी के प्रेषित करने हेतु लिखा गया ।**

काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् उप शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 15.4.2008 के द्वारा जांच अधिकारी श्री एस.एल., अतिरिक्त श्रम आयुक्त (सेवानिवृत्त) द्वारा कराई गई संयुक्त जांच की विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की और तदुपरान्त पत्र दिनांक 18.12.2008 के साथ अनुशासनिक अधिकारी प्रभारी संचालक,

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, सहकार भवन, जयपुर के निर्णय दिनांक 21.11.2008 की फोटो प्रति संलग्न कर प्रेषित की जिसके अनुसार संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित लोकसेवकगण को राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स एम्प्लाइज सर्विस रूल्स, 2000 के नियम 16.37 (ii) के अन्तर्गत उनके सम्मुख अंकितानुसार आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दण्डित किया गया :-

क्र.सं.	लोकसेवक का नाम	प्रमाणित आरोप	दण्ड जो दिया गया
1.	श्री सज्जन दास, डिस्टलरी कैमिस्ट	भौतिक सत्यापन करने पर शीरा 14314 क्विंटल कम पाया गया ।	4 वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने
2.	श्री नरेन्द्र कुमार संखवार, डिस्टलरी कैमिस्ट	शोधित प्रासव का नॉर्म्स से कम उत्पादन होने के कारण वसूली योग्य रूपये 3,16,569/-	2 वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने
3.	श्री गुरदीप सिंह, स्टीलमैन	डिस्टलरी प्लाण्ट पर डिस्टलेशन पंजिका में विभिन्न तिथियों में अधिकतर पारियों में वाश टैंक लीकेज होने से दो प्लेट खाली हैं या एक प्लेट खाली है, की प्रविष्ठियां अलग स्याही से बाद में अंकित करना ।	2 वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने
4.	श्री लक्ष्मीनारायण, स्टीलमैन	डिस्टलरी प्लाण्ट पर डिस्टलेशन पंजिका में विभिन्न तिथियों में अधिकतर पारियों में वाश टैंक लीकेज होने से दो प्लेट खाली हैं या एक प्लेट खाली है, की प्रविष्ठियां अलग स्याही से बाद में अंकित करना ।	2 वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने
5.	श्री रामाशीष, स्टीलमैन	डिस्टलरी प्लाण्ट पर डिस्टलेशन पंजिका में विभिन्न तिथियों में अधिकतर पारियों में वाश टैंक लीकेज होने से दो प्लेट खाली हैं या एक प्लेट खाली है, की प्रविष्ठियां अलग स्याही से बाद में अंकित करना ।	2 वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने

स्टॉक में 14,314 क्विंटल शीरा कम पाया गया जिसकी कीमत करोड़ों रूपयों में होती है । ऐसी स्थिति में दोषी लोकसेवकगण को दिया गया दण्ड उनके द्वारा किये गये दुराचार की **गंभीरता के अनुपात में नहीं होने के कारण उक्त दण्डादेश उचित प्रतीत नहीं होता है ।**

परिवाद में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कर लिये जाने के पश्चात् इस पत्रावली को दिनांक 25.2.2009 को नस्तीबद्ध किया गया ।

अध्याय-6

लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता

6.1 लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे-

देश में विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना राज्य विधियों के अन्तर्गत की गई है । ऐसी स्थिति में इन लोकायुक्त विधियों के प्रावधानों में एकरूपता नहीं है । विभिन्न राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के **तुलनात्मक विश्लेषण** से भी स्पष्ट है कि इन अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों में कोई एकरूपता नहीं है । इस संस्था का संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण कुछ राज्यों में इस संस्था को समाप्त भी कर दिया गया। कुछ राज्यों में लोकायुक्त का पद लम्बे समय से रिक्त चलते रहे हैं।

अतः सभी राज्यों में लोकायुक्त विधियों के प्रावधान एकसमान हों, इस हेतु संविधान में प्रावधान किया जाना एवं केन्द्रीय विधि बनाया जाना आवश्यक है । लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने मांग इसकी स्थापना के समय से विभिन्न लोकायुक्त सम्मेलनों द्वारा, अनेक प्रख्यात विशिष्टजनों एवं लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा की जाती रही है। इस संबंध में पूर्व के प्रतिवेदनों में भी लिखा जा चुका है ।

तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने आठवें लोकायुक्त सम्मेलन, देहरादून (27 से 29 सितम्बर, 2004) में अपने उद्घाटन भाषण में लोकपाल/लोकायुक्त को संवैधानिक स्तर प्रदान किये जाने के संबंध में विचार व्यक्त किये थे, उन्हें उद्धृत किया जा रहा हैं-

> "The selection of Lokayukta and Lokpal needs special attention. The wide spread suspicion among the citizens about administrative and political corruption corrodes the very roots of democracy. During my interaction with students, I find this thought is commonly prevalent in the minds of our younger generation. **To revive the confidence of citizens and also to shore up the position of our nation in the corruption perception index, it is essential to strengthen the internal checks and balances of the democratic system through a constitutionally instituted mechanism. In this effort, Lokpal/Lokayuktas can play a pivotal role.**
>
> To add respect, dignity and confidence in these institutions, the appointment of Lokpal/Lokayukta can be done by a two stage selection and appointment process. In the first stage, the short listing of promising candidates for appointment as Lokayukta/Lokpal can be made by a duly appointed collegium of prominent members drawn from all walks of society. They may recommend, a few suitable names for each Lokayukta/Lokpal/Upa-Lokayukta appointment to the

Government. A uniform service/appointment conditions of the Lokpal/Lokayuktas have to be evolved."

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी उसी आठवें लोकायुक्त सम्मेलन, देहरादून में अपने समापन भाषण में लोकपाल/लोकायुक्त को संवैधानिक स्तर प्रदान किये जाने के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किये थे :-

"In this context, let me suggest a few measures to further raise its stature and standing and ensure greater effectiveness of the institution of Lokayukta. There exists a wide variety in composition and functioning of these institutions at the state level. **Therefore, uniformity of their structures, power, functions and jurisdiction has been underlined from time to time and it merits serious consideration. Successive Lokayukta Conferences have demanded Constitutional status to these institutions on the pattern of the Election Commission and the Comptroller and Auditor General of India. I see great merit in this** proposal. However, before granting such status, there is a need to objectively assess the performance of these institutions. The selection process of Lokayukta has to be made sufficiently robust and impartial to inspire confidence among the people. Lokayuktas also need to evolve procedures for carrying on business, which should be systematic, speedy and effective. This will ensure that citizens not only get justice but also see justice being done in a reasonable time frame. By giving adequate powers and resources to handle complaints and take up independent investigation, we can facilitate this process.

In conclusion, I would like to say that I am sure that the 8th Conference of Lokayuktas and Uplokayuktas has afforded opportunities to all of you to exchange ideas and experiences and stimulate constructive thought for meaningful action. The instrumentality of Ombudsman is of immense significance in revitalising democratic institutions all over the world. In our own country, while such an institution has been found useful at the State level, we have to replicate it at the national level by enacting appropriate legislation. At the same time, **I also take note of your recommendation of a need for Central legislation to amend the Constitution to make it obligatory for all states to set up the institution of Lokayukta."**

माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधाराव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग ने अपने सम्बोधन में ये विचार व्यक्त थे :-

"If we read the speeches made and views expressed in the various articles published at the last several conferences of the Lok Ayuktas/Lokpals, we find that very valuable suggestions have been made but practically nothing has come about. Some States still do not have Lok Ayuktas/Lokpals and those that have, do not have adequate powers. It has been repeatedly pointed that there is no uniformity in legislation made in the various States and that most statutes do not grant adequate powers to the Lok Ayuktas/Lokpals at least to the extent granted by the Karnataka and Madhya Pradesh Acts. In the various Acts, jurisdictions vary and classes of persons covered also vary. This variance has led to two significant

recommendations in the previous Conferences. One relates to producing a Model Lok Ayukta Act to be adopted by each State and the other recommendation is for seeking Constitutional status. A Model Lok Ayukta Act 2001 has indeed been prepared by the participants in the previous Conferences. **Several Committees and Commissions, including the recent Commission to Review the Constitution, have also advocated that** the institution be given Constitutional status.

That is where we stand now. At the national level, the Lok Pal Bill, which has lapsed on several occasions in Parliament, is yet to become law. "

लोकायुक्त संस्था को सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु 27-29 सितम्बर, 2004 को देहरादून में सम्पन्न हुए आठवे अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल /उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन, 2004 में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधा राव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये, उनके प्रमुख अंशों को यहां उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार हैं :-

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम:-

"The jurisdiction of the Lokayuktas has been a great subject of debate in the country. In some States it has been made applicable over all elected representatives including the Chief Minister. In some other States it has no power over the Chief Minister and MLAs. In yet other States, the Chief Minister and bureaucracy are outside its purview. Thus we can see, there is no uniform thinking in the jurisdiction of Lokayukta all over the country.

In my view all elected representatives and all top level executives in the States who are responsible for executing the schemes of the Government should be brought under the purview of this body. I would even suggest that the office of the fountain head of judiciary, which in our system is the President, be also brought under the purview of Lokpal. However, it is to be ensured by the Lokayukta that the elected representatives and the Govt servants do not become a victim of vilification campaign by vested interests. Sufficient safeguards have to be built in to ensure that no pathfogging takes place to redicule these high offices just for the sake of doing so.

I understand that there is no uniformity in legislation made in the various States regarding the functioning of the Lokayuktas and most Statutes do not grant adequate powers to the Lokayuktas. In the various States' acts jurisdiction vary and the classes of persons to be covered also vary. There is need to address this anomaly in the national scale. I was also told that a model Lokayukta Act was prepared by the participants of previous conference. It may be appropriate for the Government to appoint a review committee of jurists to review the model Lokayukta Act, with a view to injecting more simplicity, which, after public debate, can be made applicable on a national scale.

I am sure in times to come the Lokayukta/Lokpal would emerge as a powerful effective institution with a strong moral force that would serve as a healthy check against the abuse of authority by certain elements in the society and make India a model of transparent progressive democracy. "

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंहः–

"The establishment of the institutions of Lokayukta and Uplokayukta is part of an ongoing effort to provide clean, transparent and accountable government to the people. Our struggle for independence too was also a struggle for good governance. Mahatma Gandhiji had understood the gathering crisis of corruption and prophesied that the public would need to be in the forefront in exposing corrupt practices and taking to task those who were involved in them.

As part of their responsibilities, Lokayuktas have been unearthing corruption cases, recommending measures to redress grievances of the people and above all, acting as a much needed safety valve to release the bottled up pressure of aggrieved citizens, which, if allowed to accumulate, would put a question mark on the credibility of our administrative apparatus. In many States, the work of Lokayuktas has brought to light the misdeeds of public functionaries and alerted them to discharge their responsibilities with care, sensitivity and concern for the public interest. **The very existence of a Lokayukta helps to generate a feeling of assurance among the public at large, that they have a mechanism to fall back upon when faced with corrupt public servants. Such a perception is itself an important factor in an accountable, clean responsive and responsible administration.**

There is also a broad agreement that public functionaries, directly or indirectly elected by and responsible to the public such as Members of Parliament and Ministers, including the Prime Minister, should be brought within the purview of the Lok Pal legislation.

As institutions to look into the conduct of highly placed public functionaries, the Lokayukta is a potent instrument to keep a check on administrative high-handedness and injustice. It should not be perceived as an overbearing organisation creating bottlenecks in the functioning of Government and coming in the way of administrative machinery in carrying out its duties.

In fact by pointing out mistakes, identifying problem areas and exposing the black sheep in administration, the Lokayukta is rendering valuable service in making our State Governments more effective.

In this sense it is an institution, which is a friend of the administration and complements the national effort for good governance".

माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधाराव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोगः–

"Corruption, inefficiency, delays and insensitivity to people's grievances have been identified as key problems with which the Lok Ayuktas/Lokpals are to deal with in their functions. The present incumbents in these high offices, who are either

former Supreme Court Judges or Chief Justices or Judges of the High Court or Senior bureaucrats appear to have a genuine feeling that, in the last more than two decades, **these institutions have not had the desired impact due to various reasons, including the apathy of the governments and inadequacies inherent in the various legislations.** That, in fact, is the reason for holding periodical Conferences to highlight the problems that are being faced by the Lok Ayuktas/Lokpals.

Article 36 of the latest UN Convention against corruption exhorts that 'specialized authorities' be created. It states:-

> 'Art.36: Each State shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue influence. Such persons or staff of such body or bodes should have the appropriate training and resources to carry out that work.'

The above Article of the Convention obviously contemplates mechanisms like the Lok Ayukta/Lokpal to be constituted, apart from the regular anti-corruption agencies of Governments.

आठवें लोकायुक्त सम्मेलन में इस संबंध में पारित प्रस्ताव निम्नवत् है:-

Resolution No.2 : The President of the Association shall address letters to Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Union Home Minister, Hon'ble Union Law & Justice Minister, Hon'ble Union Minister for Parliamentary Affairs and Hon'ble Leader of Opposition in Lok Sabha requesting them to **take necessary steps for making provisions in the Constitution of India, so as to oblige every State and Union Territory in India, to have the Institution of Lokayukta and also to ensure its independent and effective functioning and also to** make central legislation in this regard on the pattern of Model Lokayukta Bill.

उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्तों की एसोसियेशन की एक बैठक दिल्ली में दिनांक 20.11.2004 को सम्पन्न हुई जिसने एक केन्द्रीय लोकायुक्त विधि का प्रारूप बनाने हेतु एक उप समिति का गठन किया । तदनुसार उप समिति ने बिल का प्रारूप तैयार किया जिसे अंतिम रूप से एसोसियेशन की बैठक दिनांक 8.2.2005 में अनुमोदित किया गया । एसोसियेशन ने माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच.ए.रजा, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड को उक्त प्रारूप बिल को महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एवं केबीनेट द्वारा संस्थापित मंत्रियों के समूह, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री एवं विज्ञान एवं टेक्नोलोजी मंत्री सम्मिलित थे, को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया । दिनांक 10.2.2005 को बिल का प्रारूप उपर्युक्त डिगनेटरीज को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। 'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त बिल 2005' को 23वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है ।

उक्त बिल को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने अपनी चौथी रिपोर्ट के चैप्टर 4 के पैरा 4.4.5 में उद्धृत किया है । **आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने की अनुशंसा की है** तथा राज्यों के लोकायुक्त संगठनों को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है जो निम्नानुसार है:-

"4.3.15 Recommendations:

(a) **The Constitution should be amended to provide for a national Ombudsman to be called the Rashtriya Lokayukta**. The role and jurisdiction of the Rashtriya Lokayukta should be defined in the Constitution while the composition, mode of appointment and other details can be decided by Parliament through legislation.

4.4.9 Recommendations:

(a) **The Constitution should be amended to incorporate a provision making it obligatory on the part of State Governments to establish the institution of Lokayukta** and stipulate the general principles about its structure, power and functions."

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट (जनवरी 2007) का संबंधित अंश 23वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है ।

6.2 लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की प्रस्तावना में इसे बनाये जाने का एक प्रमुख उद्देश्य कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करना है, परन्तु ''लोकसेवक'' की परिभाषा में कई ऐसे अधिकारी/लोकसेवक/लोककृत्यकारी सम्मिलित नहीं हैं जो कि सरकार/स्थानीय निकायों/निगमों की सेवा में हैं या उनके वेतनभोगी हैं । **इसे दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम में संशोधन किये जाने के लिए मेरे द्वारा एक विस्तृत अर्द्धशासकीय पत्र कमांकः एफ.1(4)एलएएस/2007/6155 दिनांक 4.10.2007 तत्कालीन माननीया मुख्यमंत्री को लिखा गया था ।** पूर्व के सभी लोकायुक्तों ने भी समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन किये जाने के सुझाव दिये थे, परन्तु अभी तक उनके अनुसार कोई संशोधन नहीं किये गये हैं जिसके कारण इस अधिनियम को बनाये जाने के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहे है । अब तक दिये गये सुझावों को समेकित करके उन्हें यहां पुनः दोहराया जा रहा है :-

6.2.1 धारा 2 (i)(iv)(ख) में संशोधन की आवश्यकता:-

धारा 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (iv) के उप खण्ड (ख) में प्रावधान है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो, **राज्य अधिनियम** के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो), की सेवामें या वेतन भोगी है, 'लोकसेवक' होंगे । राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना केन्द्रीय अधिनियम के

अधीन की गई है, ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति जो इसकी सेवामें हैं या वेतनभोगी है, लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में नहीं आते हैं। प्रतिवर्ष इसके बहुत सारे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं, परन्तु उक्त प्रावधान के कारण यह सचिवालय उन पर कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है । संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है :-

> ''धारा 2 (i)(iv)(ख) किसी **राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित** और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),''

कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 में राज्य अधिनियम के साथ-साथ केन्द्रीय अधिनियम के अधीन गठित निगम के वेतनभोगियों को भी लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है जो निम्नवत् है :-

> "2(12)(g)(ii) a statutory body or a corporation (not being a local authority) **established by or under a State or Central Act**, owned or controlled by the State Government and any other board or Corporation as the State Government may, having regard to its financial interest therein by notification, from time to time, specify;"

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त प्रावधान में आंशिक संशोधन करके शब्द **''राज्य अधिनियम''** के पश्चात् व शब्द **''के अधीन''** के पहिले शब्द **''या केन्द्रीय अधिनियम''** को जोड़ा जावे ताकि प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवामें है या उसके वेतनभोगी है, को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधिकारक्षेत्र में लाया जा सके और उनके विरूद्ध प्राप्त होने वाली पद के दुरूपयोग आदि की शिकायतों की जांच/अन्वेषण किया जा सके ।

6.2.2 धारा 2(i)(iv)(d) में संशोधन की आवश्यकता :-

वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राजपत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, 'लोकसेवक' की परिभाषा में आता है । परन्तु यह प्रकट तथ्य है कि वर्ष 1973 में लोकायुक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद से लेकर अब तक एक भी ऐसी सोसाइटी को इस अधिनियम के निमित्त अधिसूचित नहीं किया गया है। आज राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन, सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कई शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, परन्तु इनके लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त अधिसूचित न होने के कारण कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पाता है । वर्तमान धारा 2(i)(iv)(d) निम्नवत् है :-

''2(i)(iv)(d) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है,''

कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की सेवामें या वेतनभोगी है, लोकसेवक है ।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त धारा 2(i)(iv)(d) को निम्न से प्रतिस्थापित (Substitute)किया जावे जिससे सहकारी समितियों के कर्मचारी/अधिकारी भी अधिनियम की परिधि में आ सकें :-

''कोई भी सोसाइटी, जो राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 .....में पंजीकृत हो तथा जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो । राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है,''

6.2.3 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में विश्वविद्यालय के कर्मचारी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किये गये हैं । यह अधिनियम 1973 में प्रभावशील हुआ था । इसके बाद से लेकर अब तक सारा परिदृश्य ही बदल चुका है । भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम संशोधित किया जा चुका है यहां तक कि नया भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 लाया जा चुका है जिसमें दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में 12 उपखण्ड दिये गये हैं। संबंधित धारा 2(C)(Xi) निम्नवत् है :-

"2(c)(xi) Any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations;"

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की उक्त धारा 2 के उपखण्ड (C)(Xi) में वर्णित कार्मिकों के विरूद्ध इन दिनों गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगना असामान्य नहीं रहा है । प्रश्नपत्रों को लीक किये जाने की घटनाएं आये दिन होने लग गई हैं । वीक्षकों (Invigilators) के विरूद्ध भी कई शिकायत देखने को मिलती हैं । इसी तरह की शिकायतें परीक्षकों के विरूद्ध भी देखने को मिल रही हैं । अत: उक्त संदर्भित उप खण्ड (Xi) के अनुसार राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी समुचित संशोधन वांछनीय है ।

यहां यह उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2(12)(g)(vi) के प्रावधान के अनुसार वह प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में या उसका वेतनभोगी है, 'लोकसेवक' माना गया है ।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2 को संशोधित किया जाकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(xi) में किये गये प्रावधान को जोड़ा जावे जिससे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत पर भी कार्यवाही की जा सके।

6.2.4 सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

सरपंच, उप-सरपंच व पंचों तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी पंचायत की सेवामें है, को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है । जब से पंचायतों को विकास कार्यो के क्रियान्वयन से जोड़ा गया है व इस हेतु सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं, तब से उनके द्वारा भ्रष्टाचार व पद का दुरूपयोग किये जाने की शिकायतें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं ।

यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जिला परिषद के प्रमुख व उप-प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान व उप-प्रधान व स्थाई समिति के अध्यक्ष को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iii)(a) में दी गई 'लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, परन्तु सरपंच, उप-सरपंच व पंचों तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि किसी पंचायत की सेवामें है, को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

यहां यह उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि धारा 2(i)(iii)(a) में किये गये प्रावधान में पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 का संदर्भ अंकित है, जो कि अब प्रभाव में प्रतीत नहीं होता है । 73वें संविधान संशोधन के प्रभाव में आने के पश्चात्, जिसके कि द्वारा अध्याय 243ए से 243ओ जोड़े गये हैं और नया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अधिनियम सं. 13 सन् 1994) प्रवृत किये जा चुकने के पश्चात् निरसित किये जा चुके पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 का संदर्भ इस धारा में हटाया जाना वांछनीय है ।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 में आवश्यक संशोधन किया जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत **के सरपंच, उप-सरपंच व पंच तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सेवामें हैं को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे ।**

6.2.5 समितियों/बोर्डो के कार्मिकों को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित करने की आवश्यकता :-

सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न समितियों व बोर्डो का गठन किया जाता है जिनमें से कुछ स्टेट्यूटरी होते हैं और कुछ नॉन-स्टेट्यूटरी होते हैं । इस तरह की समितियों व मण्डलों के संचालन हेतु नियुक्त व्यक्ति व वे व्यक्ति जो ऐसी समितियों/बोर्डो की सेवामें या वेतनभोगी होते हैं, वे 'लोकसेवक' की वर्तमान परिभाषा में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

जैसाकि पहिले कहा जा चुका है, राजस्थान का लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1973 में प्रभाव में आया थ जब इस तरह की समितियां/बोर्ड नहीं होंगे । इसलिये इनकी सेवामें या इनके वेतनभोगी कार्मिकों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया होगा ।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान धारा 2 में आवश्यक संशोधन किया जाकर सरकार द्वारा समय-समय पर **स्टेट्यूटरी या नॉन-स्टेट्यूटरी आधार पर गठित प्रत्येक समिति/बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों व प्रत्येक वह व्यक्ति जो इनकी सेवामें व इनके वेतनभोगी हैं, को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे ।**

6.2.6 पूर्व लोकसेवक को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में रखे जाने की आवश्यकता:-

लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में पदधारण न करने वाले व्यक्ति/सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं आते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई लोकसेवक भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग करने के पश्चात् स्वयं त्यागपत्र देदे, या सेवानिवृत्त हो जावे या पद त्याग करदे तो वह धारा 2 में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार 'लोकसेवक' नहीं माना जावेगा । ऐसे कई उदाहरण विगत में देखने को मिले हैं जिनमें लोकसेवकों के विरूद्ध गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का अन्वेषण प्रारंभ करते ही उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया या शिकायत ही सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् प्राप्त हुई, जिसके कारण उनके लोकसवेक न रहने के कारण आगे अन्वेषण नहीं किया जा सका । केवल इसी प्रावधान के कारण किसी भी लोकसेवक को भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग करके बिना जवाबदेही के ही चले जाने की आजादी दिया जाना उचित नहीं है।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 में यथोचित संशोधन किया **जाकर पूर्व लोकसेवकों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे ।**

6.2.7 राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

राज्य विधान सभा के सदस्यों के विरूद्ध भी इन दिनों कई भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग के आरोप लगते रहते हैं, परन्तु लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में राज्य विधानसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध इस

सचिवालय द्वारा कोई जांच किया जाना संभव नहीं हो पा राह है । कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम, 1984 में राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' माना गया है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक शुचित को बनाये रखने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए धारा 2 में यथोचित संशोधन किया जाकर राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे ।

6.2.8 धारा 5 (1) में संशोधन की आवश्यकता :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5(1) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि पांच वर्ष की है । मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि छः वर्ष है। पदावधि की इस विसंगति को दूर करने एवं इसे छः वर्ष करने के लिये पूर्व में 12वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी लिखा गया था, जो निम्नानुसार है -

> **"Sec. 5 (1) Conditions of Service.**
> The term of office of the Member of the Public Service Commission as provided in Article 316 (2) of Constitution is six years. Similarly the term of office the Comptroller and Auditor General of India is six years as provided in Section 2 of the Comptroller and Auditor General (Conditions of Service) Act, (XXI of 1953). To make the law uniform, the State of Uttar Pradesh has also amended Section regarding the term of the Office of Lokayukta and now the term of Office of the Lokayukta is six years. Similarly amendments have been moved in other Acts in other States**.**
>
> **It is, therefore, proposed that in Section 5 (1) the words "six years" should be substituted for the words "five years".**

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 5(1) में संशोधन किया जाकर लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि 6 वर्ष की जावे ।

6.2.9 धारा 8(3) के संशोधन की आवश्यकताः-

धारा 8(3) शिकायत प्रस्तुत किये जाने की जो पांच वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, वह उचित नहीं है । कई मामलों में यह देखा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे अपने प्रभाव से या उनके डर के कारण उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की कोई शिकायत उनके पदासीन रहते नहीं की जाती । कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के मामले पांच वर्ष बाद उजागर होते हैं । ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारियों को केवल समय सीमा लाभ देकर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अत: धारा 8(3) के नीचे यह परन्तुक जोड़ा जाना चाहिए कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी शिकायतों के संबंध में अन्वेषण कर सकेंगे, जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, शिकायत को उक्त अवधि में प्रस्तुत न करने के शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये कारणों से संतुष्ट हों।

6.2.10 धारा 9(1) में संशोधन कर लोकसेवकों को भी शिकायत किये जाने की अधिकारिता दिये जाने की आवश्यकता:-

भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग, भाई-भतीजावाद आदि कृत्य लोकसेवकों द्वारा ही किये जाते हैं और इनकी सबसे अधिक जानकारी भी लोकसेवकों को ही होती है, परन्तु उन्हें लोकायुक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं दी गई है । इसका कोई उचित कारण नजर नहीं आता है । इसी कारण बहुत सारी शिकायतें गुमनाम या छद्मनाम से प्राप्त होती हैं, जिनमें से जांच किये जाने योग्य मामला बनना पाये जाने पर लोकायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जांच के आदेश दिये जाते । ऐसी स्थिति में **किसी लोकसेवक को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता न देना तर्कसंगत नहीं लगता है** । दिल्ली, आन्धप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकसेवकों को भी शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है ।

अत: यदि वास्तव में हम भ्रष्टाचारमुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के सभी उपायों को अपनाना ही होगा और इस हेतु लोकसेवकों को, जो कि भ्रष्टाचार के स्रोतों एवं भ्रष्टाचारियों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके सबूतों के बारे में जानते हैं, को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता देनी चाहिए ।

इसके लिये धारा 9(1) में आंशिक संशोधन करते हुए शब्द ''लोक सेवक से भिन्न'' को हटाया जाना चाहिए ।

6.2.11 शपथ पत्र को समाप्त किये जाने की आवश्यकता :-

धारा 9(2) सपठित नियम 4, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शिकायत ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे शपथ पत्रों सहित प्रस्तुति की जायगी जो विहित किये जायें।

इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश जनता अब भी अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है । लोग अब भी कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते । उन्हें ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जहां उन्हें वकीलों और अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता न पड़े और यह सब लोकायुक्त सचिवालय प्रदान कर सकता है । आज अधिकाधिक लोग फैक्स व ई-मेल का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण मूल शपथ पत्र आदि प्रेषित किया जाना संभव नहीं है ।

लोकायुक्त सचिवालय के लिये अब इन नवीनतम माध्यमों को नकारना उचित नहीं होगा । इसके अतिरक्त जब लोकायुक्त को स्वमेव स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिये जाने की शक्ति प्रदत है और लोकायुक्त का कार्य केवल जांच करना व मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर केवल अपनी सिफारिश करना है तो फिर किसी शिकायत के संबंध में प्रारूप निर्धारित किये जाने या उसके समर्थन में कोई शपथ पत्र को प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

अत: समय की आवश्यकता को देखते हुए व आम जनता के हित को देखते हुए धारा 9(2) को विलुप्त किया जाना चाहिए।

6.2.12 धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) को समाप्त करने की आवश्यकता:-

धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में यह प्रावधान है कि जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) लोकायुक्त अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्थापित करते है, तो वह उस शिकायत की प्रतिलिपि, या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में, जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित करे, उसके लिये आधारों का एक विवरण, संबंधित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे, संबंधित लोक सेवक को उस शिकायत या विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे ।

जहां तक औपचारिक अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रावधान है, वह उचित है, परन्तु अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व ही संबंधित लोकसेवक को प्रतिलिपि या सारांश दिये जाने और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने से अन्वेषण का महत्व ही निष्फल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में संबंधित लोकसेवक द्वारा रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ किये जाने और गवाहों को डराने-धमकाने या अपने प्रभाव में लेने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । लोकसेवक को विभागीय जांच अथवा अभियोजन के दौरान् अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है।

अत: धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अन्वेषण के दौरान् क्या प्रक्रिया अपनाई जावे, इसे लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त के विवेक पर छोड़ देना चाहिए ।

6.2.13 तलाशी एवं जब्ती की शक्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता:-

धारा 11(2)(ख) के अनुसार लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त को किसी भी अन्वेषण एवं प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण के संबंध में सिविल प्रक्रिया

संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, किन्तु अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त द्वारा तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है, एवं अनैतिकता से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती का आदेश भी दिया जा सकता है ।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात के लोकायुक्त अधिनियमों में तलाशी एवं जब्ती का वारंट जारी करने की शक्ति विशिष्ट रूप से प्रदत्त हैं ।

अत: अन्वेषण/जांच के उचित एवं लाभदायक निस्तारण के लिये राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी तलाशी एवं जब्ती का विशिष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए।

6.2.14 सिफारिश की पालना :-

वर्तमान धारा-12 की उप धारा (2) में यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा(1) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई की सूचना देगा ।

अभी तक का अनुभव यह बताता है कि इस वैधानिक प्रावधान की पालना सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती है । प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में सूचना कई स्मृति पत्र जारी करने के बाद महीनों एवं वर्षो के बाद दी जाती है । तब तक सिफारिश का महत्व ही समाप्त हो जाता है ।

आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर बिना किसी अग्रिम जांच के किसी लोकसेवक को अपने पद से हटाया जा सकता है । कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि लोकायुक्त इस संबंध में संतुष्ट हो कि संबंधित लोकसेवक को उसके पद पर से हटना चाहिए, तो उस स्थिति में इस आशय की घोषणा कर दी जावेगी ।

यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा यदि 3 माह में अस्वीकार नहीं की जाती है, तो उसे स्वीकृत माना जायेगा । यदि संबंधित लोकसेवक अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ऐसे लोकसेवक को उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार निलम्बित रखने की कार्यवाही करेगी ।

महाराष्ट्र, उड़ीसा व केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में परिवेदना के मामलों में लोकायुक्त की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है।

अत: लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को महत्व देने हेतु धारा 12 को समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए जिससे लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिश का क्रियान्वयन तत्काल हो जावे ।

6.2.15 धारा 22 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता:-

धारा 22(क) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण नहीं कर सकेंगे, परन्तु इसके साथ ही धारा 22(ख) में प्रावधान किया गया है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त भारत में किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण करने नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण विभिन्न विधियों के तहत् न्यायालय की तरह कार्य करने वाले राजस्व न्यायालयों व उन अन्य न्यायालयों को भी धारा 22(क) में परिभाषित न्यायालयों के समान लोकायुक्त के अधिकारक्षेत्र के बाहर माना जा रहा है, जबकि ये सीधे रूप से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं।

इसी प्रावधान के कारण राजस्व न्यायालयों के आरोपित पीठासीन अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान का आश्रय लिया जाता रहा है ।

अत: किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिये धारा 22 के खण्ड (क) व (ख) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावे :-

''(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा भारत के संविधान के पार्ट VI के चैप्टर VI में यथापरिभाषित अधीनस्थ न्यायालय के किसी न्यायिक अधिकारी,

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,''

6.2.16 लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों (public functionary) द्वारा सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता :-

अधिकतर भ्रष्ट लोकसेवक भ्रष्टाचार से अर्जित धन को जमीन जायदाद व अन्य चल-अचल सम्पत्तियों को स्वयं एवं अपने रक्त सम्बन्धियों के नाम से या बेनामी क्रय करने में निवेश करते हैं। अत: भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि सभी लोकसेवक एवं लोककृत्यकारी (public functionary) अपने एवं निकट संबंधियों की सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रेल तक आवश्यक रूप से लोकायुक्त को प्रस्तुत करें, जिन्हें लोकायुक्त द्वारा प्रकाशित करवाया जावे ताकि यदि किसी लोकसेवक या लोककृत्यकारी (public functionary) के प्रकाशित किये गये सम्पत्ति विवरण के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह लोकायुक्त को प्रस्तुत कर सके और

लोकायुक्त उनका अन्वेषण कर सके। सम्पत्ति के विवरण की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होना चाहिए और उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि उनके पास सम्पत्ति विवरण में दी गई सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है और न ही कोई बेनामी सम्पत्ति है । यदि शपथ पत्र को झूठा पाया जावे तो ऐसे लोकसेवक को अभियोजित करने की शक्तियां भी लोकायुक्त में निहित किये जाने की आवश्यकता है । यह प्रावधान किये जाने पर भ्रष्ट लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा।

6.2.17 अंतरिम सिफारिश किये जाने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता:-

कई बार शिकायतें लोकसेवक की किसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को होने वाले अन्याय या अनुचित परेशानी के बारे में, लोकसम्पत्ति, राजकोष को क्षति पहुंचाने वाले आदेश की विरूद्ध या ऐसी कार्रवाही के विरूद्ध की जाती है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । परन्तु वर्तमान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत् लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उनके क्रियान्वयन को रोकने हेतु अंतरिम सिफारिश कर सके ।

अत: वर्तमान अधिनियम में अंतरिम सिफारिश किये जाने का एक नया प्रावधान यह जोड़ा जावे कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का यदि प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि शिकायतकर्ता को लोकसेवक की किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुए अन्याय या अनुचित परेशानी की अंतरिम सहायता की मंजूरी की सिफारिश करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के प्रशासनिक कृत्यों से होने वाले लोकसम्पत्ति या लोक राजस्व के होने वाले अपव्यय को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के अवचार के कृत्यों को रोकना आवश्यक है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को समुचित निर्देश देते हुए अंतरिम सिफारिश अग्रेषित कर सके ।

यह भी प्रावधान किया जावे कि यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि जिस लोकसेवक या लोककृत्यकारी के विरूद्ध शिकायत की गई है, उसका उस पद पर बने रहना उचित नहीं है तो वह सक्षम प्राधिकारी को उसके निलम्बन या स्थानान्तरण की सिफारिश कर सके ।

अत: उपर्युक्तानुसार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने पर विचार किया जावे।

यदि इतने संशोधन किया जाना व्यावहारिक न समझा जावे तो वर्तमान अधिनियम को **'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 2005'**, जिसे 23वें प्रतिवेदन में दिया जा चुका है, के अनुसार एक नवीन लोकायुक्त अधिनियम बनाया जाकर उससे प्रतिस्थापित (substitute)किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

6.3 अन्वेषण एजेन्सी एवं स्टाफ की आवश्यकता –

इस सचिवालय में वर्तमान में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के केवल दो अधिकारी, सचिव एवं उप सचिव, ही अन्वेषण कार्य सम्पन्न कराने में भागीदारी निभाते हैं। राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है और निरन्तर विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर है । बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्यो के साथ-साथ शिकायतों की संख्या में भी उत्तरोत्तर भारी वृद्धि हो रही है । कतिपय शिकायतें ऐसी प्रकृति की शिकायतें होती है जिनमें इस सचिवालय स्तर पर सुविधा एवं संसाधनों के अभाव में त्वरित अन्वेषण किया जाना संभव नहीं हो पाता । अत: ऐसे मामलों के अन्वेषण में हमारे राज्य की जांच एजेन्सी ''भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो'' एवं केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सी ''केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो'' की सेवाओं की इस सचिवालय द्वारा उपयोगिता बहुधा अपेक्षित होती है ।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य व केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या अन्य किसी भी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे । इस प्रावधान का कर्नाटक, गुजरात एवं केरल के लोकायुक्त अधिनियमों से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है तो यह पाया जाता है कि इन अधिनियमों के तहत् लोकायुक्त को अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की किसी भी एजेन्सी अथवा अधिकारी की सेवाएं लेने हेतु राज्य सरकार की पूर्व सहमति लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 18(2) में यह प्रावधान है कि महामहिम राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेन्सियों, प्राधिकरणों या अधिकारी-वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेंगे।

पूर्व में सभी लोकायुक्तों द्वारा इस संस्था की एक स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी बनाये जाने या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का पर्यवेक्षण लोकायुक्त के अधीन करने की आवश्यकता समय-समय पर पत्रों एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों के माध्यम से प्रतिपादित की जाती रही है। सर्वप्रथम पूर्व लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ ने अपने पत्र क्रमांक: डी. 18/एलए/77 दिनांक 25 अगस्त, 1977 द्वारा लोकायुक्त संस्था हेतु एक स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान करने की मांग तत्कालीन मुख्यमंत्री से की थी ।

इसके पश्चात् वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को लोकायुक्त के सीधे नियंत्रण में देने की मांग की गई। इसके पश्चात् 5वें, 7वें 8वें, 9वें, 12वें, 13वें एवं 15वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान करने एवं भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो को लोकायुक्त के सीधे नियंत्रण में देने की मांग की गई ।

पूर्व लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा ने भी लोकायुक्त संस्था की एक स्वंत्रत अन्वेषण एजेन्सी की स्थापना मांग अपने पत्र कमांक: एफ.1(11)लोआस/96/एसपीए-22 दिनांक 14.10.1997 के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री से की थी । इन सबका विवरण पूर्व के वार्षिक समेकित प्रतिवेदनों में दिया जा चुका है ।

पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन ने भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग लोकायुक्त द्वारा किये जाने की हेतु काफी पत्राचार किया, जिसका विवरण 20वें प्रतिवेदन में किया जा चुका है, परन्तु किसी भी सरकार द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई । इतने वर्षो तक लगातार मांग किये जाते रहे होने के बावजूद भी लोकायुक्त संस्था को न तो अब तक कोई स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान की गई है, न ही धारा 14(3) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग करने हेतु सहमति प्रदान की गई है और न ही धारा 18(2) के प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लोकायुक्त को पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। मेरे द्वारा इस संबंध में 23वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी ध्यान आकर्षित किया गया था । **अन्वेषण एजेन्सी के अभाव में यह संस्था कई प्रकरणों के अन्वेषण में कठिनाई महसूस करती है ।**

यहां अन्वेषण स्टाफ की उपलब्धता के संबंध में राजस्थान, मध्यप्रदेश व कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों का तुलनात्मक विवरण दिया जाना भी उपयुक्त होगा, जो निम्नानुसार हैं -

	मध्यप्रदेश	कर्नाटक	राजस्थान
प्रशासनिक शाखा	1 सचिव 1 उप सचिव 1 अवर सचिव 1 लेखाधिकारी 4 अनुभाग अधिकारी	1 रजिस्ट्रार 1 उप रजिस्ट्रार (प्रशा.) 1 सहायक रजिस्ट्रार (प्रशा.) 1 प्रबन्धक (प्रशा.) 1 संयुक्त रजिस्ट्रार (सांख्यिकी)	1 सचिव, 1 उप सचिव 1 सहायक सचिव 2 अनुभाग अधिकारी
विधि एवं जांच शाखा	3 विधि सलाहकार (जिला जज रैंक के अधिकारी) 1 उप विधि सलाहकार (सी.जे.एम. रैंक के अधिकारी)	5 अतिरिक्त रजिस्ट्रार-जांच 5 उप रजिस्ट्रार-जांच 3 सहायक रजिस्ट्रार (लीगल ऑपिनियन) 1 पब्लिक प्रोसीक्यूटर 5 सीनियर ए.पी.पी.	कोई नहीं
पुलिस शाखा	1 महानिदेशक 1 महानिरीक्षक पुलिस 2 उप महानिरीक्षक पुलिस 8 पुलिस अधीक्षक 26 उप पुलिस अधीक्षक 41 पुलिस निरीक्षक	1 अतिरिक्त महानिदेशक 1 महानिरीक्षक पुलिस 17 पुलिस अधीक्षक 2 उप पुलिस अधीक्षक 56 पुलिस निरीक्षक	कोई नहीं
तकनीकी शाखा	1 मुख्य अभियन्ता 3 अधीक्षण अभियन्ता 6 सहायक अभियन्ता 4 तकनीकी सहायक	1 मुख्य अभियन्ता 1 अधीक्षण अभियन्ता 4 अधीशाषी अभियन्ता 4 सहायक अभियन्ता 1 उप लेखा नियंत्रक	कोई नहीं

स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों में अन्वेषण कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, परन्तु राजस्थान में इस हेतु कोई विशिष्ट स्टाफ नहीं है । श्री वीरप्पा मोईली (वर्तमान कानून मंत्री, भारत सरकार) की अध्यक्षता में **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (जनवरी 2007) में यह सिफारिश की है कि लोकायुक्त की खुद की अन्वेषण मशीनरी होनी चाहिए।** आयोग के अनुसार प्रारंभ में वह राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी ले सकते हैं, परन्तु पांच वर्ष के पश्चात् उसे स्वयं केडर में भर्ती करने एवं उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करने के कदम उठाने चाहिए।

सिफारिश का संबंधित अंश निम्नानुसार है :-

"4.4.9 Recommendations:

---

h. **The Lokayukta should have its own machinery for investigation**. Initially, it may take officers on deputation from the State Government, but over a period of five years, it should take steps to recruit its own cadre, and train them properly.

---"

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में यह विचार किये जाने की आवश्यकता है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में समुचित संशोधन किये जावें जिससे लोकायुक्त सचिवालय को अन्वेषण कार्य हेतु एक स्वतंत्र अन्वेषण टीम प्रदान की जा सके ।

6.4 सुशासन के लिये सुझावः-

सुशासन की स्थापना के लिये निम्न उपाय भी शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाये जाने चाहिए:-

1. जहां तक हो सके सभी राजकीय कार्यो के निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता लाई जावे ।
2. समस्त राजकीय कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण किया जावे ।
3. प्रत्येक कार्य को निपटाने की तय अवधि एवं उसे निपटाने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम की सूचना प्रत्येक विभाग/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से अंकित करवाई जावे । यदि किसी कार्य को तय अवधि में संबंधित लोकसेवक द्वारा नहीं निपटाया जा रहा है तो इसकी शिकायत किस अधिकारी की जा सकती है, इसकी सूचना भी अंकित करवाई जावे, व प्रत्येक विभाग में सभी कार्यो की मॉनीटरिंग की व्यवस्था करवाई जावे ।
4. प्रत्येक विभाग/कार्यालय में शिकायत पुस्तिका रखवाया जाना अनिवार्य किया जावे एवं उसे आम जनता को शिकायत दर्ज करने की हेतु उपलब्ध करावाया जावे तथा उसमें दर्ज शिकायत का निवारण 24 घण्टे के भीतर किया जाना अनिवार्य किया जावे । उस **शिकायत पुस्तिका की एक प्रति प्रत्येक माह लोकायुक्त सचिवालय में प्रेषित हो, जिससे यह संस्था निगरानी रख सके ।**

5. प्रत्येक विभाग/कार्यालय में उन लोकसेवकों को चिन्हित किया जावे जिनका जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो, जो अपने कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते हों, विलम्ब करते हों, कार्य को निर्धारित समयावधि में बिना किसी उचित कारण के पूर्ण नहीं करते हों व अपने काम को पूरा करने के सिलसिले में जनता से कोई अपेक्षा रखते हों, जिनकी आम शोहरत अच्छी न हो, ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे व उन्हें कभी भी आम जनता से जुड़े कार्यों का दायित्व नहीं दिया जावे ।
6. प्रत्येक विभाग/कार्यालय के अधिकारी जनसाधारण की पहुंच में हों, वे जनसाधारण से मिलने के लिये समय निर्धारित करें और उस समयावधि में वे कार्यालय में मिलने के लिये उपस्थित रहें । इस हेतु अवांछित बैठकों एवं दौरों पर अंकुश लगाया जावे ।
7. जहां तक हो सके, प्रत्येक लोकसेवक की पदस्थापन अवधि निश्चित की जावे, जो तीन से पांच वर्ष हो सकती है ताकि लोकसेवकों को अपनी कार्यक्षमता एवं प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिल सके एवं उसकी जवाबदेही भी तय की जा सके ।
8. भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर उन पर तत्काल व प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जावे ।

अध्याय-7

अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त ऑम्बुड्समैन सम्मेलन

प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त सम्मेलन 26 मई से 30 मई, 1986 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में, **द्वितीय सम्मेलन** 22 अगस्त से 24 अगस्त, 1989 को नागपुर (महाराष्ट्र), **तृतीय सम्मेलन** 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 1991 को जुबिली हाल, पब्लिक गार्डन्स व आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त संस्था के भवन, हैदराबाद, **चौथा सम्मेलन** 7 मार्च, 1995 को गुरूजादा हाल, ए.पी.भवन, नई दिल्ली तथा **पांचवा सम्मेलन** 10 व 11 फरवरी, 1996 को गांधीनगर (गुजरात) में सम्पन्न हुआ ।

छठा सम्मेलन दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2001 को पार्लियामेंट एनेक्सी, नई दिल्ली एवं दिल्ली सचिवालय में सम्पन्न हुआ ।

सातवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2003 (बैंगलोर) दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2003 को बैंक्वेट हॉल, विधान सौधा, बैंगलोर में सम्पन्न हुआ।

आठवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2004 दिनांक 27 से 29 सितम्बर, 2004 को देहरादून में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया । सम्मेलन का समापन समारोह को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा सम्बोधित किया गया ।

सम्मेलन को अन्य विशिष्टजनों के अतिरिक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधा राव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग ने भी सम्बोधित किया जिन्होंने लोकायुक्त संस्था को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने एवं केन्द्रीय लोकायुक्त विधि बनाये जाने पर दिया।

यह पहला अवसर था जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकायुक्त सम्मेलन को सम्बोधित किया गया ।

नवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मलेन-2007 दिनांक 22 व 23 सितम्बर, 2007 को बैंगलोर में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया ।

समारोह का समापन माननीय श्री शिवराज पाटील, तत्कालीन गृहमंत्री, भारत सरकार ने अपने भाषण से किया ।

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदास्थापना अवधि

लोकायुक्त			
क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.8.1973	27.8.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.8.1978	5.8.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.8.1979	7.8.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	4.4.1984	3.1.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	4.1.1985	3.1.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.1.1990	6.3.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.8.1990	30.9.1993
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.1.1994	16.2.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.7.1994	6.7.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	1.5.2007	निरन्तर
उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	5.6.1973	25.6.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त ।

- लोकायुक्त का पद 8.8.1982 से 3.4.1984 तक, 4.1.90 से 15.1.1990 तक, 7.3.1990 से 9.8.1990, 1.10.1993 से 20.1.1994 तक, 17.2.1994 से 5.7.1994 तक, 7.7.1999 से 25.11.1999 तक एवं 27.11.2004 से 30.4.2007 तक रिक्त रहा है ।
- उप लोकायुक्त का पद श्री के.पी.यू.मेनन के दिनांक 25.6.74 को त्याग पत्र दिये जाने के बाद से निरन्तर रिक्त चला आ रहा है।

जिला स्तरीय अधिकारियों व गैर सरकारी संगठनों की विभिन्न जिला में आयोजित की गई बैठकों के बारे में स्थानीय अखबारों में छपी खबरों की कटिंग व फोटोग्राफ

लोकायुक्त बूंदी पहुंचे जनसुनवाई आज

बूंदी. लोकायुक्त न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता, सचिव प्रकाश गुप्ता मंगलवार को बूंदी पहुंच गए। वे बुधवार सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे।

बाद में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेंगे। न्यायमूर्ति गुप्ता दोपहर एक से दो बजे तक कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। एडीएम जेके पुरोहित ने बताया कि सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई के तहत कोई भी व्यक्ति किसी लोक सेवकगण के विरुद्ध किसी अभिकथन के संबंध में लोकायुक्त अधिनियम के अधीन अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। दोनों दोपहर तीन जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।

लोकायुक्त आज जनसुनवाई करेंगे

कोटा। राजस्थान के लोकायुक्त जी.एल गुप्ता मंगलवार को सर्किट हाउस में सुबह 11 से 12 बजे तक जनसुनवाई करेंगे। शिकायत प्रस्तुत करने के लिए दस रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर तस्दीकशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जिला कलक्टर अजिताभ शर्मा ने बताया कि लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतकर्ता को शपथ पत्र में नाम, पता और व्यवसाय का पूरा विवरण देना होगा। उन्होंने बताया कि किसी कारण से असमर्थ व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करके शिकायत दर्ज करा सकता है। जनसुनवाई के बाद वे टैगोर में हॉल में अधिकारियों की बैठक लेंगे।

लोकायुक्त ने की जनसुनवाई

अधिकारी तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब भिजवायें

कोटा 17 मार्च राजस्थान के लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति जी. एल. गुप्ता ने आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर विभिन्न व्यक्तियों के परिवाद सुने। जनसुनवाई में 30 से अधिक व्यक्तियों ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी समस्याओं के बारे में शिकायतें प्रस्तुत की। लोकायुक्त सचिवालय के सचिव प्रकाश गुप्ता भी उपस्थित थे। लोकायुक्त गुप्ता ने टैगोर हॉल में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों से कहा कि जब भी किसी विभाग से किसी शिकायत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मांगी जाती है तो प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है कि तत्परता से कार्यवाही करते हुए बिना किसी विलम्ब के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के बारे में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श कर जानकारी प्राप्त की।

लोकायुक्त ने टैगोर हॉल में ही आयोजित एक अन्य बैठक में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अपेक्षा की कि स्वंयसेवी संगठन सूचना के अधिकार के बारे में आमजन को जागरूक करने में पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में स्वंयसेवी संगठनों का विशेष महत्व रहता है और जब वे आमजन को कोई बात कहते हैं तो उसका असर भी होता है। उन्होंने संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई विभिन्न शिकायतों एवं समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करने के लिए भी आश्वस्त किया और कई समस्याओं के बारे में मौके पर ही बैठक में उपस्थित जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

(▶ शेष पृष्ठ दो पर)

सर्किट हाउस में मंगलवार को जनसुनवाई करते लोकायुक्त जी.एल. गुप्ता एवं सचिव प्रकाश गुप्ता।

राजस्थान लोकायुक्त ने सुनी लोगों की फरियाद

अधिकारी तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब भिजवायें

कोटा 17 मार्च। राजस्थान के लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति जी.एल.गुप्ता ने आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर विभिन्न व्यक्तियों के परिवाद सुने। जनसुनवाई में 30 से अधिक व्यक्तियों ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी समस्याओं के बारे में शिकायतें प्रस्तुत की। इस अवसर पर लोकायुक्त सचिवालय के सचिव प्रकाश गुप्ता भी उपस्थित थे।

लोकायुक्त गुप्ता ने टैगोर हॉल में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों से कहा कि जब भी किसी विभाग से किसी शिकायत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मांगी जाती है तो प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है कि तत्परता से कार्यवाही करते हुए बिना किसी विलम्ब के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के बारे में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श कर जानकारी प्राप्त की।

लोकायुक्त ने टैगोर हॉल में ही आयोजित एक अन्य बैठक में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अपेक्षा की कि स्वंयसेवी संगठन सूचना के अधिकार के बारे में आमजन को जागरूक करने में पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में स्वंयसेवी संगठनों का विशेष महत्व रहता है और जब वे आमजन को कोई काम करते हैं तो उसका असर

प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई विभिन्न शिकायतों एवं समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करने के लिए भी आश्वस्त किया और कई समस्याओं के बारे में मौके पर ही बैठक में उपस्थित जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

स्वंयसेवी संस्थाओं की बैठक में जिला कलक्टर अजिताभ शर्मा ने सडक पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि लम्बित कार्ययोजना की समीक्षा कर नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने लावारिश शव की फोटो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का आश्वासन भी दिया। जिला कलक्टर ने जिन विकलांगों की पेंशन बन्द हो गई है ऐसे प्रकरण उन्हें प्रस्तुत करने को कहा जिससे कि उन पर कार्यवाही की जा सके। जिला कलक्टर ने लोकायुक्त को आश्वस्त किया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं उनमें सुधार लाने के लिए प्रशासन पूरे प्रयास करेगा।

पुलिस अधीक्षक नगर भूपेन्द्र साहू ने बताया कि महिला थाने में सब इन्सपेक्टर महिला अधिकारी को लगाया हुआ है तथा 50 प्रतिशत स्टाफ महिलाएं हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रूपिन्द्र सिंह भी बैठक में मौजूद थे।

स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा शिविर फिर से प्रारंभ करने के लिए लगाई गई रोक को हटाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुधारने, सडक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने, सडक से पशुओं को हटाने, सडक पर चारा बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने, लावारिश शव का फोटो समाचार पत्रों में छपवाने, वृद्धावस्था पेंशन के लिए संबंधित कार्यालय द्वारा सही रूप से मार्गदर्शन करने, विकलांगों की बन्द पेंशन को चालू करने तथा विकलांग सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने, सभी सरकारी कार्यालयों में विकलांगों के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार रेम्प की सुविधा मुहैया कराने, पुलिस थानों में एफ.आई.आर.आवश्यक रूप से दर्ज हो तथा एफ.आई.आर.की प्रतिलिपि उपलब्ध हो आदि समस्याओं की ओर लोकायुक्त का ध्यान आकर्षित किया।

सिद्ध योग ज्ञान शिविर कल

कोटा 17 मार्च। सिद्ध योग ज्ञान शिविर 19 मार्च को संत बालयोगी पार्क में संतोषी नगर चौराहा के पास में आयोजित किया जायेगा।

आध्यात्मिक विज्ञान केन्द्र संत्संग केन्द्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षकगुरू रामलाल सियाग के चित्र से ध्यान शिविर निशुल्क कार्यक्रम 19 मार्च को सांय 5.30 बजे आयोजित

स्थान पत्रिका
कोटा, बुधवार 18 मार्च, 2009

लोकसेवकों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायतें

लोकायुक्त ने की जनसुनवाई, 40 शिकायतें दर्ज

कार्यालय संवाददाता

कोटा, 17 मार्च। लोकायुक्त जी.एल. गुप्ता और सचिव प्रकाश गुप्ता ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई में करीब 40 शिकायतें दर्ज कीं। इनमें ज्यादातर नगर निगम, जिला परिषद और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें हैं। सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. आर.एस. गठाला और जिला रसद अधिकारी दीपक नंदी के खिलाफ भी शिकायतें आई हैं।

महावीर नगर के रमेशचंद्र शर्मा ने तत्कालीन जिला कलक्टर डॉ. आर.एस. गठाला के खिलाफ जबरन सेवानिवृत्ति देने का मामला दर्ज कराया है। वे इस मामले में वर्ष-2004 में भी लोकायुक्त से शिकायत कर चुके हैं। रामगंजमण्डी के एक जने ने तत्कालीन एडीएम (नगर) दीपक नंदी के खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से हथियार लाइसेंस निरस्त करने की शिकायत दर्ज कराई है। दादाबाड़ी के वैद्य अमरीकचन्द गंभीर ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर कलक्ट्रेट के लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

सर्किट हाउस परिसर में मंगलवार को जनसुनवाई करते लोकायुक्त जी.एल. गुप्ता एवं सचिव प्रकाश गुप्ता। पत्रिका

अधिकारियों को टरकाया

जनसुनवाई के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी पांडाल में बैठ गए, जिससे लोग खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहे थे। इस पर लोकायुक्त ने अधिकारियों को वहां से जाने के लिए कहा, फिर जनसुनवाई की।

आत्मदाह की चेतावनी

प्रशासनिक विषमताओं को उजागर करने के लिए मेरे पास आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। दफ्तरों की ठोकरें खाते-खाते मैं टूट चुका हूं। क्या यही दिन देखने के लिए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था।

-वैद्य अमरीकचंद गंभीर

तानाशाही से हुई बर्बादी

तत्कालीन जिला कलक्टर गठाला की तानाशाही के कारण मुझे चलती ट्रेन में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पकड़ा दिया गया। इससे पहले कोई प्रक्रिया तक पूरी नहीं की गई।

-रमेशचंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक

भ्रष्टाचार की शिकायतों के 900 मामले लम्बित

राज्य के लोकायुक्त जीएल गुप्ता ने कहा- मंत्रियों और आला अफसरों के खिलाफ भी चल रही है जांचें। अधिकांश शिकायतें राजस्व, पुलिस और चिकित्सा महकमे से संबंधित।

भास्कर न्यूज. कोटा

राज्य के लोकायुक्त मुख्यालय में लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 900 मामले लम्बित हैं। इनकी जांचें चल रही हैं। इनमें मंत्री और आला अफसर भी शामिल हैं। अधिकांश शिकायतें राजस्व, पुलिस एवं चिकित्सा महकमे से संबंधित हैं।

यह जानकारी मंगलवार को राजस्थान के लोकायुक्त जीएल गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में दी। कोटा में जनसुवाई करने आए लोकायुक्त ने कहा कि लोकायुक्त का सचिवालय तो है, लेकिन स्टाफ की कमी है, इसलिए भी जांच कार्रवाई की गति प्रभावित होती है। हमारे पास जांच अधिकारी होने चाहिए। वर्ष 2007 में जब उन्होंने लोकायुक्त का पद संभाला था, तब तीन हजार मामले लम्बित चल रहे थे। जांच की प्रक्रिया में कई आवश्यक तथ्य जुटाने पड़ते हैं, इसलिए भी देरी हो जाती है।

मंत्रियों के नाम गोपनीय

जांच के दायरे में कितने और कौन-कौन पूर्व एवं वर्तमान मंत्री शामिल हैं, इस सवाल पर लोकायुक्त गुप्ता का कहना था कि ऐसे मामले गोपनीय रखने पड़ते हैं, इसलिए वे किसी भी वर्तमान या पूर्व मंत्री का नाम नहीं बता सकते। कई शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय में गुमनाम भी आती हैं। अखबारों में अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई तथ्यपरक खबर प्रकाशित होती है, तो उसकी कटिंग काटकर भी शिकायत दर्ज कर ली जाती है।

लोकायुक्त रबर स्टैम्प नहीं

क्या लोकायुक्त का पद रबर स्टैम्प की तरह है? इस सवाल पर लोकायुक्त गुप्ता ने तीखे अंदाज में कहा कि ऐसा कतई नहीं है। इसका क्या मतलब है। जिस प्रकरण की भी जांच पूरी करके हम कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजते हैं, तो उस पर क्रियान्वयन होता है।

लोकायुक्त आज शहर में, करेंगे जनसुनवाई

भास्कर न्यूज. कोटा

लोकायुक्त न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता मंगलवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे। गुप्ता सुबह 11 बजे से जनसुनवाई शुरू करेंगे। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी लोकसेवक के खिलाफ किसी भी अभिकथन के संबंध में लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्वयं उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

शिकायतकर्ता को शिकायत पर 50 पैसे का कोर्ट फीस स्टाम्प तथा शिकायत के समर्थन में 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। लोकायुक्त 12 बजे से एक बजे तक टैगोर हाल में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय अधिकारियों से साथ बैठक करेंगे।